हिन्दी
19

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड–19

अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी

बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल, 1891 परिनिर्वाण 6 दिसंबर, 1956

बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 19

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 19

अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्त्वपूर्ण पत्र–व्यवहार आदि

पहला संस्करण : 2002
दूसरा संस्करण : 2013 (जनवरी)
तीसरा संस्करण : 2013 (फरवरी)
चौथा संस्करण : 2013 (अप्रैल)
पाचवां संस्करण : 2013 (जुलाई)
छठा संस्करण : 2013 (अक्टूबर)
सातवां संस्करण : 2014 (फरवरी)
आठवां संस्करण : 2016
नौवां संस्करण : 2019 (जून)
दसवां संस्करण : 2020 (अगस्त)

ISBN :978-93-5109-168-4

आवरण परिकल्पना : डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

ISBN (सेट) : **978-93-5109-149-3**

रियायत नीति के अनुसार सामान्य (पेपरबैक) 1 सेट (खंड 1–40) का मूल्यः रू 1073/-
रियायत नीति (Discount Policy) संलग्न है।

प्रकाशकः
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार
15 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट :http://drambedkarwritings.gov.in
Email-Id :cwbadaf17@gmail.com

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमि., W-30 ओखला, फेज–2, नई दिल्ली–20

परामर्श सहयोग

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार
एवं
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री रामदास अठावले
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री आर. सुब्रह्मण्यम
सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

सुश्री उपमा श्रीवास्तव
अतिरिक्त सचिव एवं सदस्य सचिव,
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.
निदेशक
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

डॉ. बृजेश कुमार
संयोजक, सी.डब्ल्यू.बी.ए.
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सकंलन (अंग्रेजी)
श्री वसंत मून

संपादक
श्री ओम प्रकाश कश्यप

अनुवादक
श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल
डॉ. अफलासिंह वर्मा

पुनरीक्षक
श्री आर.डी. निम

संपादक सहयोग
श्री विनय कुमार जैन

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
DR. THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

कार्यालयः 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाषः 011-23381001, 23381390, फैक्सः 011-23381902
ई-मेलः min-sje@nic.in

संदेश

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे । बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे । वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष के प्रतीक हैं । बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की । एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान अतुलनीय है ।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन-सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिये डॉ. अम्बेडकर जी का दृष्टिकोण और जीवन-संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है । समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिये बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने देश की जनता का आह्वान किया था ।
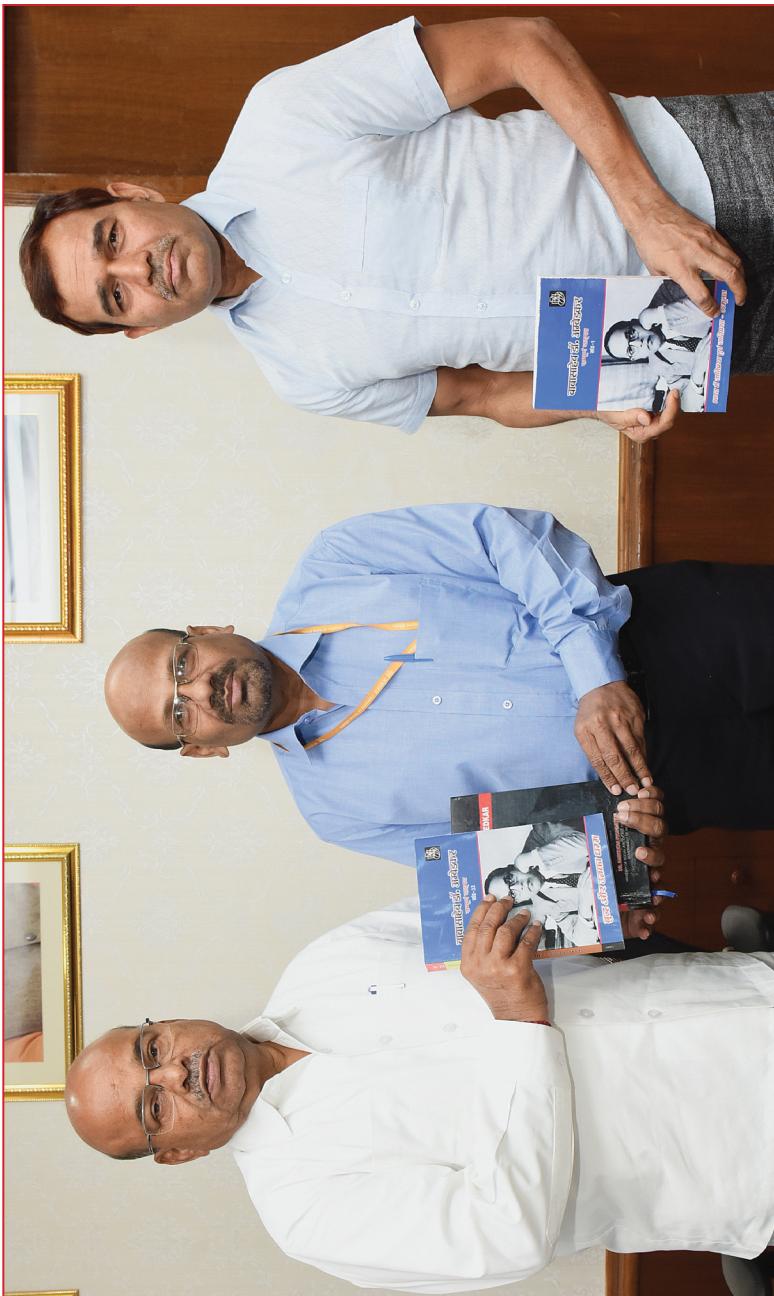
बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने अस्पृश्यों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्वपूर्ण संदेश दिये, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिये अनिवार्य दस्तावेज हैं । तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर जी का चिंतन-मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित बाबासाहेब डॉ; भीमराव अम्बेडकर जी के स्वप्न का समाज-**"सबका साथ सबका विकास"** की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान द्वारा, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, **"बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : सम्पूर्ण वांग्मय"** के खण्ड 1 से 21 तक के संस्करणों को, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायियों और देश के आम जन-मानस की मांग को देखते हुये पुनर्मुद्रण किया जा रहा है ।

विद्वान पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत करायेंगे तो हिंदी में अनुदित इन खण्डों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

9/7/19

(डॉ. थावरचन्द गेहलोत)

बाबासाहेब अम्बेडकर के सम्पूर्ण वाङ्मय (Complete CWBA Vols.) का विमोचन

हिंदी और अंग्रेजी में CWBA / सम्पूर्ण वाङ्मय, (Complete Volumes) बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संग्रहित कार्यों के संपूर्ण खण्ड, डॉ. थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। साथ ही डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदी के खंड 22 से खंड 40 तक 2019 में पहली बार प्रकाशित हुए है।

उपमा श्रीवास्तव, आई.ए.एस.
अपर सचिव
UPMA SRIVASTAVA, IAS
Additional Secretary

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383077 Fax : 011-23383956
E-mail : as-sje@nic.in

प्राक्कथन

भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यंत समाज के आख़िरी पायदान पर संघर्षरत् व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है।

बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य–गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया।

समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन–मनन किया।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सद्परामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

उपमा श्रीवास्तव

(उपमा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, एवं
सदस्य सचिव

प्रस्तावना

बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रखर व्यक्तित्व, ज्ञान के प्रतीक और भारत के सुपुत्र थे। वह एक सार्वजनिक बौद्धिक, सामाजिक क्रांतिकारी और एक विशाल क्षमता संपन्न विचारक थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ–साथ अंतःविषयक दृष्टिकोणों को अपने लेखन और भाषणों के माध्य से प्रभावित किया जो बौद्धिक विषयों और भावनाओं को अभिव्यक्त एवं आंदोलित किया। उनके लेखन में वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रकट न्याय और मुक्ति की गहरी भावना है। उन्होंने न केवल समाज के वंचित वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि समन्वय और 'सामाजिक समरसता' पर उनके विचार राष्ट्रीय प्रयास को प्रेरित करते रहे। उम्मीद है कि ये खंड उनके विचारों को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान कर सकते हैं और वर्तमान समय के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के पुनःपाठ की संभावनाओं को उपस्थित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत के साथ–साथ विदेशों में भी जनता के बीच बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की विचारधारा और संदेश के प्रचार–प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। यह बहुत ख़ुशी की बात है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठान के शासी निकाय के एक निर्णय के परिणामस्वरूप, तथा पाठकों की लोकप्रिय माँग पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब अम्बेडकर के हिंदी में संपूर्ण वांग्मय (Complete CWBA Volumes) का दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रित कर रहा है।

मैं संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी सहयोगियों, एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में अपनी सहायक, कुमारी रेनू और लेखापाल, श्री नन्दू शॉ के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी निष्ठा एवं सतत् प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में सुझाव से डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई–मेल आई.डी. **cwbadaf17@gmail.com** पर अवगत कराएं ताकि, अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हमेशा पाठकों को रियायती कीमत पर खंड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करता रहा है, तदनुसार आगामी संस्करण का भी रियायत नीति (Discount Policy) के साथ बिक्री जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रत्येक खंड के साथ प्रतिष्ठान की छूट नीति को संलग्न कर दिया गया है। आशा है कि ये खंड पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

(डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,

15, जनपथ,
नई दिल्ली

जिस प्रकार अपने जीवन का खतरा उठाते हुए मां अपने शिशु की देखभाल करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम प्रदान करने के लिए मन बनाना चाहिए। उसे संपूर्ण विश्व के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, ऊपर–नीचे और उस पार, सभी के लिए उसके मन में घृणाहीन और शत्रुतारहित अबाध प्रेम होना चाहिए। ऐसा जीवन पद्धति विश्व में सर्वोत्तम है।

भगवान बुद्ध

विषय सूची

भाग–1 अनुसूचित जातियों की शिकायतें

अध्याय

भाग–2 सत्ता हस्तान्तरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र–व्यवहार

भाग–3 वक्तव्य

रियायत नीति (Discount Policy)

1942-46 के दौरान महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार, ज्ञापन, वक्तव्य आदि

भाग–1

ज्ञापन

गोपनीय

परिचालन के लिए नहीं

अनुसूचित जातियों की शिकायतें

डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर
एम. ए. पीएच. डी., डी.एस.सी., बेरिस्टर–एट–लॉ
सदस्य, गर्वनर जनरल की कार्यकारी परिषद
द्वारा
महामहिम गवर्नर जनरल को
29 अक्टूबर, 1942 को प्रस्तुत किया गया

22, पृथ्वीराज रोड
नई दिल्ली

(डा. अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका से उद्धत)

अनुसूचित जातियों की शिकायतें

इस ज्ञापन में ब्रिटिश इंडिया में रहने वाली अनुसूचित जातियों की शिकायतें दी गई हैं और उन उपायों का सुझाव दिया गया है जो उन शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक हैं। मैंने इन शिकायतों की सूची बनाते समय ऐसी शिकायतों का उल्लेख किया है जो केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही दूर की जा सकती है।

इस ज्ञापन में सूचीबद्ध शिकायतों को तीन वर्गों में बांटा गया है, अर्थात् (1) राजनीतिक (2) शैक्षिक (3) अन्य शिकायतें, और उन पर अलग-अलग विचार किया गया है। अध्याय 1 में राजनीतिक शिकायतें, अध्याय 2 में शैक्षिक शिकायतें और अध्याय 3 में अन्य शिकायतें दी गई हैं। इसमें मैंने अध्याय 4 भी सम्मिलित किया है जिसमें मैंने उस कर्त्तव्य के बारे में बताने का साहस किया है जिसे प्रत्येक सरकार ऐसे लोगों के साथ निभाए जो अनवरत विपन्नता का जीवन बिता रहे हैं, और मुझे आशा है कि भारत सरकार इसको मान्यता देगी तथा वह काम करेगी जो उसे अनुसूचित जातियों के लिए करना चाहिए।

इस प्रकार यह ज्ञापन निम्नलिखित चार अध्यायों में विभाजित किया गया है–

अध्याय 1 *राजनीतिक शिकायतें*

1. केन्द्रीय विधान सभा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।
2. केन्द्रीय कार्यपालिका में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।
3. लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अभाव।
4. संघ लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधित्व का अभाव।

अध्याय 2 *शैक्षिक शिकायतें*

1. उच्च शिक्षा के लिए सहायता का अभाव।
2. तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का अभाव।

अध्याय 3 *अन्य शिकायतें*

1. प्रचार के मामले में लापरवाही ।
2. सरकारी ठेकों में बंद द्वार।

अध्याय 4 *विपन्न लोगों के प्रति सरकार का कर्त्तव्य*

अध्याय: 1
राजनीतिक शिकायतें

1. केन्द्रीय विधान सभा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

1. इस समय गठित केन्द्रीय विधान सभा में 141 सदस्य हैं। इनमें से 102 सदस्यों का चुनाव किया गया है और 39 नामांकित हैं। नामांकित सदस्यों में से 19 सदस्य गैर-सरकारी और 20 सदस्य सरकारी हैं। इन कुल 141 सदस्यों में से अनुसूचित जातियों के केवल 2 सदस्य हैं। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों के दो सदस्यों की बात पर विचार किया जाना चाहिए। भारत में जनगणना एक राजनीतिक विषय बन गया है और हिन्दुओं, मुसलमानों और सिक्खों ने जनगणना कराने में इस बात के प्रयास किए हैं कि वे गलत आंकड़े देकर अपनी जनसंख्या में वृद्धि दिखाएं। यह प्रयास अधिकांशतया अछूतों की उपेक्षा करके किया गया है, इसलिए कि उनकी जनसंख्या के सही आंकड़े मालूम करना कठिन है। जनसंख्या में जो कुछ भी अनुमान दिए गए हैं, वे कम हैं। फिर भी जनगणना के 4 करोड़ के आंकड़े को मानकर निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय विधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व हास्यास्पद रूप से कम है। चार करोड़ का आंकड़ा 1940 की जनगणना रिपोर्ट में दिया गया है।

2. इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं पृष्ठ 2 और 3 पर दो तालिकाएं प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रश्न से संबंधित हैं।

3. तालिका 2 उस प्रतिनिधित्व पर विशेष प्रकाश डालती है जो इस समय केन्द्रीय विधान सभा में अलग-अलग समुदायों का है। स्तंभ 5 में दिए गए आंकड़े प्रत्येक समुदाय का कुल प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं तथा उनमें से कुछ के प्रतिशत के अनुपात भी दिखाए गए हैं। परन्तु मैं उनके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। उनमें नामाकित कर्मचारियों के आंकड़े सम्मिलित किए गए हैं। वे मुख्य रूप से सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिनके वे अंग हैं। दूसरे, नामांकित कर्मचारियों के समूह का गठन परिवर्तनीय है और निर्धारित नहीं है। परंतु मैं अन्य स्तंभों में दिए गए आंकड़ों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं स्तंभ 6 से

तालिका 1

ब्रिटिश इंडिया में जनसंख्या

समुदाय	*1941 में प्रत्येक समुदाय की संख्या का जोड़*	*जनसंख्या की दृष्टि से महत्व का क्रम*	*कुल जनसंख्या का प्रतिशत*
1	2	3	4
कुल	295,808,722		
हिन्दू	150,890,146	1	50.0
मुसलमान	79,398,503	2	23.6
अनुसूचित जातियां	39,920,807	3	13.5
जनजातियां	16,713,256	4	5.7
सिख	4,165,097	5	1.3
भारतीय ईसाई	3,245,706	6	1.0
यूरोपीय	122,788	7	---
एंग्लो-इंडियन	113,936	8	---
पारसी	101,968	9	---

टिप्पणी: इस तालिका में उन्हीं समुदायों की जनसंख्या दी गई है जो इस ज्ञापन के उद्देश्य की दृष्टि से संगत हैं।

प्रारंभ करके अपनी बात कहना चाहूंगा। इसमें ऐसे प्रतिनिधित्व की कुल संख्या दी गई है जिसे अलग-अलग सम्पदायों ने चुनाव और नामांकन द्वारा प्राप्त किया है। स्तंभ 3 में आंकड़े अधिक विचारणीय हैं। इसमें यह दर्शाया गया है कि हिन्दुओं को चुनाव के द्वारा 54.9% की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त उनके लिए नामांकन द्वारा 21% का कोटा आरक्षित किया गया है। मुसलमानों को चुनाव द्वारा 33.5% का कोटा दिया गया है। यह कोटा उस स्थिति से कहीं बेहतर है जिसका उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें अधिकार है। इसके अतिरिक्त, उन्हें उस कोटा का 37% लाभ उठाने की अनुमति भी है जो नामांकन के लिए आरक्षित किया गया है। सिखों और पारसियों के बारे में इसी प्रकार की स्थिति है। दोनों को ही चुनाव द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार है जबकि उनकी जनसंख्या यह प्रतिनिधित्व संगत नहीं ठहराती। फिर भी प्रत्येक को नामांकन कोटा में से 10.5% का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है। इसकी तुलना में यह खुला सत्य है कि अनुसूचित जातियों को चुनाव द्वारा

तालिका 2

केन्द्रीय विधान सभा का सम्प्रदाय-अनुसार गठन

समुदाय	चुने गए सदस्य		नामांकित गैर सरकारी सदस्य		नामांकित सरकारी सदस्य		सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करते हुए जोड़		सरकारी सदस्यों को छोड़ते हुए जोड़	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
1	2		3		4		5		6	
हिन्दू	56	54.9	4	21	8	---	68	48.5	60	49.5
मुसलमान	34	33.5	7	37	3	---	44	31	41	33.8
सिख	2	---	2	10.5	---	---	4	2.8	4	3.3
पारसी	1	---	2	10.5	1	---	4	2.8	3	2.4
यूरोपीय	8	7.8	1	---	7	---	16	11.3	9	7.4
भारतीय ईसाई			1				1		1	
एंग्लो इंडियन			1				1		1	
अनुसूचित जातियां			1		1		2	1.4	1	
रिक्त	1						1		1	
जोड़	102		19		20		141		121	

कोई भी सीट नहीं मिली है और उन्हें नामांकन द्वारा केवल एक सीट प्राप्त हुई है, जबकि अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 4 करोड़ है और वे भारत में तीसरे बड़े समुदाय के लोग हैं।

4. उपरोक्त तथ्यों पर उपयुक्त टिप्पणियां की जा सकती हैं। प्रथम, विधान सभा बिल्कुल असंतुलित सभा लगती है। यह दोनों ही दोषों से आक्रांत है, एक ओर कुछ समुदायों का अधिक प्रतिनिधित्व है तो दूसरी ओर अन्य समुदायों का बहुत अल्प प्रतिनिधित्व है। यह दोष बहुत गंभीर अवस्था में व्याप्त है। अधिक प्रतिनिधित्व वाले समुदाय अधिक शक्तिशाली और दृढ़ समुदाय हैं तथा अल्प प्रतिनिधित्व वाले समुदाय कमजोर और दीन समुदाय हैं। दूसरी टिप्पणी का संबंध नामांकन की शक्ति के गलत प्रयोग से है। संविधान के अंतर्गत नामांकन की शक्ति इसलिए आरक्षित की गई थी ताकि प्रतिनिधित्व की असमानताओं को सुधारा जाए। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि यह ऐसे समुदायों के लिए दी गई थी जिन्हें चुनाव द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है और जिन्हें नामांकन द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कराया जाए।

ऐसा कोई नियम नहीं है जो चुनाव अथवा नामांकन को प्रशासित करे– जहां तक कि केन्द्रीय विधान सभा के गठन से उनका संबंध है। यदि कोई नियम है तो यह कि ''क'' को ''ख'' की अपेक्षा अधिक सुविधा दी जाए और इसके बाद ''ख'' से अधिकार छीन कर, जो उसके पास वास्तव में नहीं है, ''क'' को देकर जिसके पास सब कुछ हैं, उसे और भी समृद्ध बना दिया जाए।

5. प्रतिनिधित्व के मामले में अनुसूचित जातियों के साथ जो भयंकर भूल की गई है, उसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसा किसी भी विधान सभा में जिसमें मुसलमान और हिन्दू अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और वे दोनों ही इस बात के लिए सचेत हैं कि किसी भी तीसरे दल यथा अनुसूचित जातियों को कुछ भी न दिया जाए, ऐसी स्थिति में 141 सदस्यों के सदन में अनुसूचित जाति के एकल प्रतिनिधित्व से अनुसूचित जातियों के अधिकारों में क्या सहायता मिलेगी? साऊथबरो समिति का, जिसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय विधान सभा की वर्तमान संरचना पोषित है, यह विचार था कि नामांकित सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपने मस्तिष्क में अनुसूचित जाति के हितों को रखेंगे । यह पर्याप्त विचारणीय मामला है कि तत्कालीन भारत सरकार ने इस मत को अस्वीकार कर दिया। साऊथबरो समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने कहा–

> 'परंतु हमारे राय में यह व्यवस्था (मांटेग्यू–चैम्सफोर्ड की) सुधार रिपोर्ट में निर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुसार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दलित जातियों को आत्म–सुरक्षा का सबक भी सीखना चाहिए। वास्तव में यह सोचना

> कल्पना मात्र है कि ऐसी विधान सभा में जहां इस समुदाय का केवल एक सदस्य ही है उससे ऐसी आशा की जाए, जबकि वहां साठ से नब्बे तक सवर्ण हिन्दू जाति के सदस्य हैं। रिपोर्ट के पैरा 151, 152 और 155 के सिद्धांतों को सार्थक बनाने के लिए हमें जाति से बहिष्कृत लोगों के साथ अधिक उदार व्यवहार करना चाहिए....'

दुर्भाग्यवश, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्रीय विधान सभा के गठन में कोई उदारता नहीं दिखाई। भारत सकार ने नामांकन द्वारा उन्हें एक सीट दी और यह स्थिति 1921 से चली आ रही है।

6. इस अल्प प्रतिनिधित्व का परिणाम बहुत निंदनीय रहा है। 141 सदस्यों की सभा में अनुसूचित जातियों के एकल प्रतिनिधित्व से हम उनकी घोर विवशता को महसूस कर सकते है। उसे सदन में हिंदू पक्ष से उत्पन्न अनुसूचित जाति के विरूद्ध पूर्वाग्रहों से लड़ना होगा। वह उस मुस्लिम ब्लाक के समर्थन पर भी निर्भर नही कर सकता जो अपने ही हितों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वह उस सरकारी ब्लाक पर भी निर्भर नहीं हो सकता जो हिन्दुओं और मुसलमानों के बृहद् ब्लाक के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में अधिक सावधान है और अनुसूचित जातियों के हितों की चिंता नहीं कर पाता। सभा में अनुसूचित जातियों के एकल प्रतिनिधित्व से यह संभव नहीं है कि अनुसूचित जातियों की शिकायतों को उजागर किया जा सके। मेरी सूचना है कि विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उनके अनुसार अध्यक्ष उन माननीय सदस्यों को पहले बोलने का अवसर देते हैं जो किसी मान्यताप्राप्त पार्टी के सदस्य हैं। मुझे यह भी मालुम हुआ है कि अध्यक्ष किसी भी दल को मान्यता नहीं देते जब तक कि उस दल में कम से कम दस सदस्य न हों। इसका अर्थ यह है कि साधारणतया अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि को सदन में बोलने का कोई अवसर तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि वह किसी दल में सम्मिलित न हो। अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि को जिस स्थिति का सामना करना पड़ता है वह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। उसके किसी भी पार्टी में सम्मिलित होने का अभिप्राय यह है कि पार्टी के हितों के अधीन अनुसूचित जाति के हितों को रखा जाए जबकि पार्टी के नियम तथा हित अनुसूचित जाति के नियम तथा हितों से बिलकुल भी मेल नहीं रखते। दूसरी ओर, यदि वह किसी पार्टी में सम्मिलित न हों तो इसका अर्थ यह है कि वह बोलने का अधिकार बिल्कुल ही खो देता है। यदि कोई इस बात को देखे कि सभा के सत्र (सितम्बर 1942) की उस बहस में क्या हुआ जिसमें भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया था तो मालूम होगा कि उस समय

केन्द्रीय सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि माननीय राय बहादुर एन. शिवराज को अनुसूचित जातियों की ओर से बोलने का अवसर बहुत कठिनाई से मिला था जबकि पांच या छः मुस्लिम सदस्य मुसलमानों के बारे में आसानी से बोल सके।

7. इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की जाए। किन्तु यह तभी हो सकता है जब नामांकित गैर-सरकारी सीटें रिक्त हों। जब कभी ये सीटें रिक्त हों, तो इस बात की आवश्यकता है कि इन सभी रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों का नामांकन करके, विधान सभा में उनकी सीटों में वृद्धि की जाए।

2. केन्द्रीय कार्यपालिका में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

8. भारत सरकार केन्द्रीय कार्यपालिका में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व के अधिकार की मान्यता देने में बहुत संकोच करती रही है। यह स्थिति अनुसूचित जातियों के लिए बराबर बनी रहती है। उनका विचार है कि अतीत में उनकी राजनीतिक स्थिति कुछ भी क्यों न रही हो, गोल-मेल सम्मेलन के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति मुसलमानों की स्थिति के समान हो गई, और यदि मुसलमानों को केन्द्रीय कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार है तो ऐसा अधिकार अनुसूचित जातियों को भी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस धारणा का ठोस आधार है। गोल-मेज सम्मेलन में अनुसूचित जातियों की यह मांग थी कि प्रतिनिधित्व केवल मुसलमानों तक ही सीमित न करके इस कानून के उपबंध अनुसूचित जातियों के लिए भी लागू हों ताकि उन्हें भी पर्यात्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। हिन्दुओं का विचार इस मांग के विरूद्ध नहीं था। हिंदुओं ने यही कहा कि यह परिपाटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अन्ततोगत्वा एक समझौता किया गया और यह सहमति हुई कि प्रान्तों के गर्वनरों और भारत के गवर्नर-जनरल को दिए जाने वाले निर्देशों में ऐस प्रावधान भी होना चाहिए जो उन पर यह दायित्व सौंपे कि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किए जाने का प्रयास किए जाएं। यद्यपि समुदायों के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं था कि ''महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों'' के प्रावधान में अनुसूचित जातियां भी सम्मिलित की गई थी। अंत में भारत सरकार ने इस दायित्व को स्वीकार कर लिया और मंत्रिमंडल में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व दिया।

9. परंतु यह भी सच है कि उनके अधिकार को मान्यता देने में देरी के कारण

इसकी सार्थकता बहुत कुछ नष्ट को गई तथा उनकी शिकायत दूर नहीं हुई। अनुसूचित जातियां यह महसूस करती हैं कि मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व बहुत अपर्याप्त है। 15 सदस्यों के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जातियों का केवल एक सदस्य है जबकि मुसलमानों के 3 सदस्य हैं। विभिन्न समुदायों की आवश्यकताओं तथा उनकी संख्या की तुलना में उन्हें प्रदत्त प्रतिनिधित्व में भारी अंतर होने के कारण शिकायतें पैदा होती हैं। यदि जनसंख्या की कसौटी मानी जाती तो इसमें संदेह नहीं था कि जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के लोग मुसलमानों के बहुत निकट हैं। अतः यह कहना संगत होगा कि यदि 15 सदस्यों के मंत्रिमंडल में मुसलमानों के तीन सदस्य शामिल किए जाते हैं तो अनुसूचित जातियों के भी कम से कम दो सदस्य होने चाहिए। जैसी स्थिति है, उससे यह लगता हैं कि मंत्रिमंडल में सामुदायिक अनुपात के गठन में किसी नियम का पालन नहीं हुआ हैं। सिखों की संख्या कुछ लाखों में है जबकि अछूतों की संख्या 4 करोड़ है और दोनों को एक ही समान देखा जाता है।

10. भारतीय राजनीति में अनुसूचित जातियों की स्थिति के अधिक स्थिरीकरण की आवश्यकता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय राजनीति में उनकी स्थिति को स्थिर करने का प्रभावकारी ढंग उन्हें मंत्रिमंडल में ऐसा प्रतिनिधित्व देना हैं जो उनकी संख्या और आवश्यकता की दृष्टि से उनकी मांग है। मुझे विश्वास है कि मैं यह बताने में कोई रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूं कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जब भारत आए थे तब मैंने उनसे साक्षात्कार किया था और उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी महामहिम सरकार का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि उस केन्द्रीय कार्यपालिका में अनुसूचित जातियों की स्थिति को स्थिर किया जाए जिसका गठन आंतरिक अवस्था में किया जाना है ताकि संविधान सभा इस नई मांग के अनुसार मसौदा तैयार करे। मेरा निवेदन है जब कार्यकारिणी परिषद के भारतीयकरण की दिशा में अगला कदम उठाया जाएगा तो इस नीति को कार्यान्वित किया जाएगा।

3. लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अभाव

11. अनुसूचित जातियों को लोक सेवाओं में उपयुक्त और पर्याप्त स्थान न देकर उनके साथ घोर अन्याय किया गया है। ज्ञापन के कार्यक्षेत्र की दृष्टि से मैं केवल उन सेवाओं के बारे में कहना चाहूंगा जिनका मुख्यतया केन्द्रीय सरकार से संबंध है। वे दो वर्गो में विभाजित की जा सकती है:

(क) आई.सी.एस.

(ख) केन्द्रीय सेवाएं–

(i) ऐसी सेवाएं जिनकी भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, और

(ii) ऐसी सेवाएं जिनकी भर्ती स्थानीय तौर पर की जाती है।

12. यदि कोई व्यक्ति इन सेवाओं में सामुदायिक अनुपात की जांच करे तो निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों को इन सेवाओं से काफी हद तक अलग रखा गया है। इन सेवाओं से अनुसूचित जातियों को अलग रखे जाने के विचार के बारे में मेरा अपना मत है। सर्वप्रथम, मैं उस स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा जिसका संबंध भारतीय सिविल सेवा से है। आई.सी.एस. की समुदायवार स्थिति जैसी कि आजकल (1942) है, इस प्रकार है:

आई.सी.एस. में समुदायवार स्थिति

समुदाय	*आई.सी.एस. की संख्या*
1. यूरोपीय	488
2. हिन्दू	363
3. मुसलमान	109
4. भारतीय ईसाई	23
5. एंग्लो-इंडियन	9
6. पारसी	9
7. सिख	11
8. अनुसूचित जातियां	1
9. अन्य	43
कुल	1,056

1,056 आई.सी.एस. अधिकारियों में से एक अधिकारी अनुसूचित जातियों का है। यह है आई.सी.एस की स्थिति।

जहां तक अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती का प्रश्न है, यह स्थिति भी उतनी ही शोचनीय है। यह बिलकुल अनावश्यक है कि ऐसे तथ्यों से ज्ञापन को अधिक बोझिल बनाया जाए। भारत सरकार के गृह विभाग की ओर से इस मुद्दे से संबंधित स्थिति को स्वीकार किया गया है। गृह विभाग के अलग-अलग समुदायों की भर्ती से संबंधित उनके कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है-

> "दलित वर्गो1 के सदस्यों की भर्ती के पूर्ण अभाव के बारे में, जो उपलब्ध सूचना से बिलकुल स्पष्ट है, विभाग को चिंता है।"

उपभोक्त उद्धरण ज्ञापन संख्या 4/5/38 एस्ट्स एस. दिनांक 1 जून, 1939 से लिया गया है तथा उसमें उस स्थिति का रिकार्ड है जो उस तारीख को विद्यमान थी।

13. यह कैसे हुआ कि अन्य समुदायों ने भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सेवाओं में स्थान पा लिया? अनुसूचित जातियों को अलग करने के क्या कारण हैं? ये कारण सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के इन नियमों और तरीकों के अंतर में मिल सकते हैं जो भारत सरकार ने भारत की अनुसूचित जातियों और अन्य अल्प-संख्यक समुदायों के संबंध में अपनाए हैं।

14. केन्द्र द्वारा नियंत्रित सेवाओं में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का नियम 1925 में लागू किया गया था जब कि भारत सरकार ने 10 मार्च, 1923 को केन्द्रीय विधान सभा में लोक सेवाओं के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर श्री नायर का प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि लोक सेवा पर हिंदुओं द्वारा एकाधिकार है, और विशेषकर उन पर ब्राह्मणों का अधिकार है तथा अन्य संप्रदायों को इन सेवाओं में स्थान पाने में बहुत कठिनाई हुई है। इस प्रस्ताव के अनुसरण में भारत सरकार ने एक तरीका अपनाया जिसके अनुसार सांप्रदायिक असमानताओं को दूर करने के लिए सभी सीधी भर्ती के एक तिहाई स्थायी पदों को आरक्षित कर दिया गया।

15. लोक सेवाओं में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नीति को प्रभावकारी बनाने के तरीकों से गैर-हिन्दू संप्रदायों को संतुष्ट नहीं किया जा सका। यह मामला गोल-मेज सम्मेलन में उठाया गया और यह मांग की गई कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक प्रभावकारी तरीका अपनाया जाए। यह मांग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई तथा गृह विभाग के संकल्प संख्या एफ 14-17-8-33 दिनांक 4 जुलाई, 1934 द्वारा इसे प्रभावी बनाया गया।

16. यह ऐसा संकल्प है जो अब लागू है तथा ऐसा महाधिकार पत्र है जो देश की लोक सेवाओं के सभी संप्रदायों को न्याय दिलाता है। इस संकल्प के उपबंधों का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। इससे यह विदित होगा कि लोक सेवाओं में अन्य अल्पसंख्यक संप्रदायों को इतना अधिक प्रतिनिधित्व क्यों मिला है जबकि अनुसूचित जातियों को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। इस संकल्प में दो आधारभूत उपबंध हैं जो 1923 के पुराने संकल्प की तुलना में बिल्कुल नए हैं-

(1) इसमें यह घोषणा की गयी है कि लोक सेवाओं में भर्ती के उद्देश्य से किन संप्रदायों के अल्पसंख्यक संप्रदाय माना जाए;

(2) इसमें वार्षिक रिक्त स्थानों के एक निर्धारित अनुपात की परिभाषा की गई है जो उन समुदायों को आवंटित किए जाने चाहिए जिन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया गया है।

17. 1934 के संकल्प में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपबंध दिए गए हैं। संकल्प में सर्वप्रथम निम्नलिखित समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है–

(1) मुसलमान, (2) एंग्लो-इंडियन, (3) भारतीय ईसाई, (4) सिख, (5) पारसी।

दूसरे, इस संकल्प में निम्नलिखित रिक्त स्थानों के अनुपात को निर्धारित किया गया है जिसे सदस्यों द्वारा भरा जाना है:

4 जुलाई, 1934 के संकल्प द्वारा रिक्त स्थानों के भरे जाने का अनुपात

अल्पसंख्यक	*सेवाएं*			
	आई.सी.एस. और अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की और अधीनस्थ सेवाऐ	*रेलवे और सीमा शुल्क*	*डाक और तार*	*मूल्यांकन विभाग एवं निरोधक सेवाएं*
मुसलमान	25%	25%	25%	इस संकल्प के कार्यान्वयन से
एंग्लो-इंडियन	---	8%	5%	यह सेवा छोड़ दी गयी है ताकि
भारतीय ईसाई	*8½%	6%	3½%	स्पष्ट रूप से एंग्लो इंडियनों
सिख किया	---	---	---	की भर्ती के लिए आरक्षण
पारसी	---	---	---	जाए जिसका केवल आधार यह है कि इस सेवा के लिए विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है

*नोट: ऊपर बताए गए संकल्प के पैरा 7 (iii) में यह कहा गया है- यदि समुदायों को उनके आरक्षित प्रतिशत से कम स्थान प्राप्त होते हैं और यथोचित रूप से योग्यता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो शेष स्थानों के 8½% स्थान मुसलमानों के लिए उपलब्ध होंगे।

18. इस संकल्प में ऐसा कौन सा उपबंध है जो अनुसूचित जातियों की स्थिति की सुरक्षा करता है? मैं आगे इस संकल्प के दो संगत उपबंधों का उल्लेख करूंगा। इस संकल्प के पैरा 3 में दिया गया है कि-

> ''यदि उनके (दलित वर्गों के) लिए कुल मिलाकर हिन्दुओं के निमिन्त उपलब्ध संख्या में से रिक्त स्थानों का निश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जाए तो किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, परन्तु वे यह सुनिश्चित करने की आशा करते हैं कि दलित वर्गों के योग्यताप्राप्त उम्मीदवारों को नियुक्ति के उचित अवसरों से वंचित नहीं किया जाए।''

जिस तरीके से सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए लोक संवाओं में प्रतिनिधित्व का समुचित भाग सुनिश्चित करने की आशा की वह स्थिति संकल्प के पैरा 7(i)(vi) में विनिर्दिष्ट है, जो इस प्रकार है-

> ''दलित वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु इन वर्गों के यथोचित योग्यता प्राप्त सदस्यों को लोक सेवा में नामांकित किया जा सकता है चाहे उस सेवा में भर्ती प्रतियोगिता द्वारा ही क्यों न की जा रही हो।

इन प्रस्तावों के अवलोकन से आगे दिए गए दो तथ्य स्पष्ट होते हैं-

(i) इस संकल्प में अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया गया है।

(ii) इस संकल्प में वार्षिक रिक्त स्थानों के निर्धारित अनुपात को अनुसूचित जातियों में आवंटित नहीं किया गया है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की भर्ती कराने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपबंधों में आश्चर्यजनक वैषम्य है। इस वैषम्य को एक वाक्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है। अन्य समुदायों की भर्ती इस संकल्प के कारण निश्चित है और इसमें कोई स्थान विवेक के प्रयोग का नहीं है। यह मामला दायित्व का बनाया गया है। भर्ती करने वाले अधिकारी को उस व्यक्ति के भर्ती करने से रिक्त स्थान भरना चाहिए जो ऐसे समुदाय का हो जिसके लिए स्थान आरक्षित किया गया हो। दूसरी ओर, अनुसूचित जातियों की भर्ती केवल विवेकाधीन मामला माना गया है। भर्ती करने वाला अधिकारी आरक्षित रिक्त स्थान को अनुसूचित जातियों के व्यक्ति की नियुक्ति करके भर सकता है।

19. यही अंतर जिसमें एक ओर कछ अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों की नियुक्ति का अनुपात सरकारी सेवाओं में अनिवार्य कर दिया गया है, किन्तु दूसरी ओर

अनुसूचित जातियों की नियुक्ति को विवेक पर छोड़ दिया गया है, वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार है। यही कारण है कि मुसलमानों और अन्य समुदायों को लोक सेवाओं में भली भांति प्रतिनिधित्व मिला है जबकि अनुसूचित जातियों को पूर्णतया छोड़ दिया गया है। इससे अधिक अच्छा परिणाम तब तक संभव नहीं है जब तक भारत सरकार लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों की भर्ती का मामला नियुक्त करने वाले अधिकारियों के विवेक पर रहने देगी। ये अधिकारी या तो यूरोपीय होते है या हिन्दू या मुसलमान। यूरोपीय तो अनुसूचित जातियों की स्थिति से अनभिज्ञ होता है और उसने अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए कभी भी विशेष चिंता प्रकट नहीं की है। जब तक उसके सामान्य अधिकार बने रहें, वह अपने हिंदू या मुसलमान अधीनस्थ कर्मचारियों के परामर्श का अनुसरण करने के लिए तैयार रहता है। मुसलमान, स्वाभाविक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि यथासंभव अधिक से अधिक रिक्त स्थान मुसलमानों द्वारा भरे जाएं। किसी भी दशा में वे सभी स्थान मुसलमानों द्वारा भरे जाएं जो उनके लिए आरक्षित हैं। हिंदुओं का अभी तक लोक सेवा में एकाधिकार रहा है और वे कभी भी नहीं चाहते कि जीवन के अच्छे तत्वों में अन्य समुदाय के साथ सहयोगी हों। अपितु वे इस संतुलन को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। हिन्दू अनुसूचित जातियों के विरूद्ध हैं और बहुत समय से भेदभाव रखते हैं तथा अपने ही हितों को साध आते हैं। अतः हिन्दू अनुसूचित जातियों के लिए कभी भी न्यायसंगत नहीं होंगे। यह केवल भ्रम ही है कि अनुसूचित जातियों की भर्ती के प्रश्न को ऐसे अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया जाए और यह आशा की जाए कि अनुसूचित जातियां इसके फलस्वरूप अपने प्रतिनिधित्व में उचित भाग प्राप्त कर सकेंगी।

20. लोक सभा में प्रवेश का प्रश्न सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, परंतु अनुसूचित जातियों के लिए यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रश्न का संबंध उनके जीवन-परण से है। इसके अनेक कारण हैं कि ऐसा क्यों है। सर्वप्रथम, अनुसूचित जातियों के युवाओं के लिए आजीविका के साधन के दरवाजे खोलने का प्रश्न है। यह इस प्रश्न का एक पक्ष है जिसे कि अनुसूचित जातियां और यहां तक कि भारत सरकार भी उपेक्षा नहीं कर सकती। व्यापार और उद्योग आजीविका के खुले साधन हैं, परंतु ये सब अनुसूचित जातियों के लिए बंद हैं। केवल सरकारी सेवा ही ऐसा साधन है जिससे वे अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है, केवल यही एक ऐसा पक्ष नहीं है जो इस प्रश्न को इतना महत्वपूर्ण बना देता है। एक अन्य पक्ष भी है जो इसे महत्वपूर्ण बनाता है। इस पक्ष का संबंध उस प्रभाव से है जो सरकार के संरक्षण की उदारता से इस समुदाय

की शिक्षा के प्रश्न पर पड़ेगा। हिन्दू समुदाय का मामला इसका द्योतक है। हिन्दू समुदाय ने तीव्रता से प्रगति की है जो स्पष्ट झलकती है। परंतु यह शायद ही महसूस किया जाता है कि इसका क्या कारण है कि शिक्षा की गहरी जड़े हिन्दू समाज में व्याप्त हैं। इसका कारण यह है कि शिक्षा से सरकारी सेवा में प्रवेश पाने के लिए आजीविका का दरवाजा खुल जाता है। आजीविका का इसी प्रकार का आश्वासन अनुसूचित जातियों के लिए भी आवश्यक है जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। ऊपर बताए गए दो तर्कों से कहीं बड़ा एक तीसरा तर्क भी है। इसका संबंध इस बात से है कि अनुसूचित जातियों के सामान्य लोगों के हित अनुसूचित जातियों के शिक्षित लोगों के हितों से भिन्न हैं। यह बात इससे स्पष्ट होगी यदि यह महसूस किया जाए कि लोक प्रशासन का लोक कल्याण की दृष्टि से कितना महत्व है। सर्वप्रथम, आजकल प्रशासन की शक्ति में विधान बनाने की शक्ति निहित होती है। आधुनिक समय में कोई भी कानून न तो पूरा है, और न ही सुविस्तृत है। इनमें से अधिकांश कानून प्रशासन को वे नियम बनाने की शक्ति देते हैं जो अधिनियम के उद्‌देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरे, कानून की प्रभावोत्पादकता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है। अतः अच्छे कानून की अपेक्षा अच्छे प्रशासन का कहीं अधिक महत्व है। कानून अच्छे सिद्ध नहीं हो सकते, यदि प्रशासन ठीक न हो। इसलिए प्रशासन का प्रश्न उन अनुसूचित जातियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो अच्छे नियमों की अपेक्षा अच्छे प्रशासन में रूचि रखती हैं। क्या वर्तमान प्रशासन अच्छा प्रशासन है? वर्तमान प्रशासन के बारे में अनुसूचित जातियां क्या सोचती हैं? इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि व्यापक रूप से यह अभिमत है कि भारत भर में अनुसूचित जातियों की ओर समग्र प्रशासन अपनी प्रवृत्ति में द्वेषपूर्ण, न्यायविहीन और विकृत है। वास्तव में अनुसूचित जातियों की पीड़ा और परेशानी उस विवेक से उत्पन्न होती है जो उन सभी मामलों में लोक सेवा अधिकारियों में निहित है जिन्हें अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अपनाया जाता है जिनका उद्‌देश्य यह होता है कि अनुसूचित जातियों को नीचे रखा जाए। हिन्दू और मुसलमान अफसरों की मानसिकता को देखते हुए, अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव होना निश्चित है। यह स्थिति उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि प्रशासन अपने कर्मचारियों को ऐसे वर्गों से लेता रहेगा जो अनुसूचित जातियों के विरूद्ध हैं और जो उनके दमन में विश्वास रखते हैं। इससे अधिक कोई अन्य सशक्त तर्क नहीं हो सकता जो अनुसूचित जातियों की सामान्य जनसंख्या के लाभ और कल्याण के निमित्त हो और यह दिखाए कि लोक सेवा में अनुसूचित जातियों का प्रवेश सबसे सशक्त विचार समझा जाना चाहिए।

21. कुछ तथ्य संदेह से परे हैं। शरारत का स्रोत स्पष्ट है। अनुसूचित जातियों की सेवा में रूचि होना कितना महत्वपूर्ण है यह बात भी स्पष्ट है। इस बात में कोई विवाद नहीं कर सकता है कि अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जातियों के विरूद्ध 4 जुलाई, 1934 के सरकार के संकल्प में विभेद करके गंभीर शरारत की गई है। इससे अनुसूचित जातियों के लिए परिणाम कितने घातक सिद्ध हुए, यदि आई.सी.एस. में सांप्रदायिक अनुपात से संबंधित आगे दी गई तालिका में दर्शाया गया हैं–

तालिका 3

1942 में आई.सी.एस. में साम्प्रदायिक अनुपात

समुदाय		*कुल संख्या*	*यूरोपीय लोगों को सम्मिलित करते हुए 1056 के जोड़ का प्रतिशत*	*यूरोपीय लोगों को छोड़ते हुए 568 के जोड़ का प्रतिशत*
1.	यूरोपीय	488	42.4	---
2.	हिन्दू	363	34.4	63.2
3.	मुसलमान	109	10.3	19.2
4.	भारतीय ईसाई	23	2.2	4.0
5.	एंग्लो–इंडियन	9	.9	1.5
6.	पारसी	9	.9	1.5
7.	सिख	11	1.0	2.0
8.	अनुसूचित जातियां	1	00	00
9.	अन्य	43	3.9	8.0
	जोड़	1,056		

तालिका 4

प्रतियोगिता और नामांकन द्वारा आई.सी.एस.

	समुदाय	*प्रतियोगिता द्वारा*	*नामांकन द्वारा*	*जोड़*
1.	यूरोपीय	336	152	488
2.	हिन्दू	332	31	363
3.	मुसलमान	35	74	109
4.	भारतीय ईसाई	19	4	23
5.	एंग्लो–इंडियन	8	1	9
6.	पारसी	8	1	9
7.	सिख	5	6	11
8.	अनुसूचित जातियां	---	1	1
9.	अन्य	28	15	43
	जोड़	771	228	1,056

तालिका 5
आई.सी.एस. के अनुपात की तुलना में जनसंख्या का अनुपात

	समुदाय	*यूरोपीय लोगों को छोड़कर आई.सी.एस. का वास्तविक अनुपात*	*जनसंख्या का अनुपात*	*अधिक्य (+) कमी (–) सेवा अनुपात जिसकी तुलना जनसंख्या के अनुपात से की गई*
1.	हिन्दू	63.2	50.0	+13.2
2.	मुसलमान	19.2	23.6	–4.4
3.	भारतीय ईसाई	4.0	1.0	+3.0
4.	एंग्लो–इंडियन	1.5	.03	+1.47
5.	पारसी	1.5	0.3	+1.47
6.	सिख	2.0	1.3	+0.7
7.	अनुसूचित जातियां	--	13.5	–13.5
8.	अन्य	8.0	--	--

22. इन तालिकाओं से निम्नलिखित अकाट्य निष्कर्ष निकलते हैं–

(1) सभी समुदायों ने आई.सी.एस. में प्रतिनिधित्व का सानुपातिक भाग प्राप्त करने की दिशा में समुचित प्रगति की है। केवल यही अपवाद है कि भाग्यहीन अनुसूचित जातियों के समुदाय ने कोई प्रगति नहीं की है।

(2) कुछ समुदायों ने आई.सी.एस. में अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। यह बात हिन्दुओं के मामले में अधिक दर्शनीय है। यूरोपीय लोगों का प्रतिशत भाग 50 है। इसे छोड़कर यदि इसकी तुलना भारतीयों की स्थिति से की जाय तो हिंदुओं को आई.सी.एस. नियुक्तियों में 63% पद प्राप्त हुए हैं जबकि उनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50% है। हिन्दू 13% अधिक पदों का लाभ उठा रहे हैं।

(3) प्रतियोगिता की असमानता को ठीक करने के लिए ही नामांकन पद्धति अपनाई गई है। फिर भी कुछ समुदायों को नामांकन का लाभ दिया गया है यद्यपि प्रतियोगिता द्वारा दी गई आई.सी.एस. की नियुक्तियों में अधिकांश पद इन्हीं समुदायों को गए हैं। निस्संदेह यह स्थिति हिंदुओं के मामले में सही है। 1920–1942 के मध्य हिंदुओं ने 435 पदों में से 332 पद भारतीयों की प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त किए। फिर भी उन्हें 31

पद नामांकन द्वारा दिए गए। मुसलमानों ने 1920–42 के दौरान प्रतियोगिता द्वारा आई.सी.एस की नियुक्तियां में केवल 35 पद प्राप्त किए, परंतु उन्हें नामांकन द्वारा 74 पद दिए गए। सिक्खों को प्रतियोगिता द्वारा केवल 5 पद मिले, परंतु उन्हें नामांकन द्वारा 6 पद दिए गए। अनुसूचित जातियों को प्रतियोगिता से कोई पद नहीं मिला, परंतु उन्हें नामांकन द्वारा केवल एक पद दिया गया। इस स्थिति में यह विदित होता है कि अनुसूचित जातियों की दशा शोचनीय रही है और सरकार इस परिणाम के लिए उत्तरदायी है, जो अन्य समुदायों के लिए सद्भावपूर्ण स्थिति बनाए रखने के निमित प्रयत्नशील है जबकि अनुसूचित जातियों को सही स्थिति दिलाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है।

23. अनुसूचित जातियों की दशा शोचनीय ही नहीं, अपतु असहनीय भी है। यह स्थिति भारत सरकार की वर्तमान नीति के फलस्वरूप पैदा हुई है जिसके अंतर्गत लोक–सेवाओं में अनुसूचित जातियों की भर्ती की संख्या नियम द्वारा निर्धारित न की जाकर नियुक्त करने वाले अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी जाती है, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों की नियुक्ति का अनुपात नियमों में निर्धारित है। नियुक्त करने वाले अधिकारी अधिकांशतया हिंदू होते हैं और उनसे यह आशा करना संभव नहीं है कि वे अपने इस विवेक का लाभ अनुसूचित जातियों को देंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुसूचित जाति के हितों की अवहेलना होती रहेगी और जब तक वर्तमान कार्य–पद्धति जारी है तब तक अन्य समुदायों के हितों की पूर्ति हेतु अनुसूचित जातियों के हितों का बलिदान किया जाता रहेगा। भारत सरकार को चाहिए कि देर किए बिना अनुसूचित जातियों की स्थिति को समान बनाए और–

(1) यह घोषित करे कि अनुसूचित जातियां अन्य समुदायों के समान सेवाओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अल्पसंख्यक हैं।

(2) आई.सी.एस. के वार्षिक रिक्त स्थानों के लिए तथा उन अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिए जहां अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती अथवा स्थानीय तौर पर भर्ती की जाती है अनुसूचित जातियों का अनुपात 13.5% निर्धारित किया जाना चाहिए। वे इस समता तथा न्याय की दृष्टि से इस आरक्षण के अधिकारी हैं।

जब तक यह नहीं किया जाता, तब तक अनुसूचित जातियों को लोक सेवाओं में उनका स्थान कभी नहीं मिलेगा।

24. अनुसूचित जातियों की कठिनाई यह है कि उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग घोषित नहीं किया गया है। यह आवश्यक है कि उनके मार्ग से इस अनुरोध को हटा दिया जाए।

इसका कारण यह है कि 4 जुलाई, 1934 के प्रस्ताव के अधीन यह निर्णय किया गया है कि यदि किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है तो वह समुदाय लोक सेवाओं में आरक्षण का लाभ उठाने का अधिकारी हो जाता है, परंतु इस समुदाय को इस प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाता। यह जानना कठिन है कि इस घोषणा में क्या आपत्ति हो सकती है कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाए। अल्पसंख्यक शब्द राजनीतिक शब्द है और चाहे कानूनी परिभाषा कुछ भी क्यों न हो, इसकी वास्तविक परिभाषा के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। यह मामला महामहिम की सरकार के सामुदायिक एवार्ड के अंतर्गत जाता है। अतः महामहिम की सरकार के सामुदायिक एवार्ड द्वारा कोई भी समुदाय उसकी परिधि में आता हो तो उसे अल्पसंख्यक माना जाता है। वास्तव में यही एक आधार है जिसके अनुसार भारत सरकार ने यह घोषित किया है कि मुसलमान, सिख भारतीय ईसाई और एंग्लो-इंडियन अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। यदि ये समुदाय अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक इसलिए हैं कि वे सामुदायिक एवार्ड की परिधि में आते हैं, तो यह समझना कठिन है कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक घोषित करने में किस प्रकार इनकार किया जा सकता है क्योंकि वे भी इसी एवार्ड की परिधि में आते हैं। दूसरे, यदि सरकार उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए बाध्य है तो यह स्वाभाविक फलस्वरूप स्थिति बनती है कि सरकार की सेवाओं में उनका भाग सुनिश्चित करने के लिए भी वह बाध्य है और उन्हीं साधनों तथा तरीकों से उनके भाग को उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए जैसा कि अन्य समुदायों के भाग को उन्हें दिलाया गया है। कोई भी उस अनुपात का विरोध नहीं कर सकता जो अनुसूचित जातियों के वैध भाग के अनुसार उनका अधिकार है। यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश इंडिया में उनकी जनसंख्या 13.6% है और वे अपने लिए सेवाओं में 13.6% भाग से अधिक की मांग नहीं कर रहे। यह स्थिति हिंदुओं के लिए अनिष्टकर नहीं है क्योंकि उनकी जनसंख्या 50% है और उन्हें 63% भाग प्राप्त है जो उनके भाग से 13% अधिक है।

25. अनुसूचित जातियों के इस दावे का विरोध बड़े विचित्र और अप्रत्याशित स्रोतों से किया जाता है। यह विरोध हिन्दुओं द्वारा किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं हो सकता। अनुसूचित जातियों और हिन्दुओं के पारस्परिक अधिकारों की परिभाषा उस पूना पेक्ट में की गई है जिसे 1932 में बनाया गया था। वह एक ऐस समझौता है जिसके द्वारा हिन्दुओं ने स्वीकार किया है कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक हैं और उनका अधिकार है कि उन्हें देश की लोक सेवाओं में पर्याप्त भाग मिले। यह सत्य है कि शब्द 'पर्याप्त' को मात्रात्मक अभिव्यक्ति में नहीं दिया गया था। इसका कारण यह था कि इस पेक्ट को बहुत शीघ्रता में अपनाया गया था ताकि श्री गांधी को

मृत्यु से बचाया जा सके। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि शब्द 'पर्याप्त' जनसंख्या के अनुपात से कम कुछ भी नहीं था। अतः हिन्दू अनुसूचित जातियों के दाव का विरोध नहीं कर सकते और वास्तव में वे ऐसा नहीं करते। अनुसूचित जातियों के दावे का विरोध करने वाली पार्टी भारत सरकार है और कोई नहीं। राय बहादुर एन. शिवराज, विधान सभा सदस्य, द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर मार्च, 1942 में केन्द्रीय विधान सभा में यह प्रश्न उठाया गया और इस प्रश्न पर बहस की गई। इस बहस में अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक घोषित करने और उन्हें सेवाओं में उनका स्थान दिलाने के मुद्दे उभर कर आए। इस प्रस्ताव को मुसलमानों ने स्वीकार किया और इस प्रस्ताव के समर्थक यूरोपीय, एंग्लो-इंडियन तथा सिख भी रहे। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, हिन्दुओं ने भी इसी प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। फिर भी, सरकार के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। यह इस कहानी का सबसे दुःखद भाग है। भारत सरकार ने कहा है कि वह अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए न्यासधारी है। न्यासधारी होने के नाते सरकार को अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की अपेक्षा अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। भारत सरकार के लिए यह बहाना हो सकता था कि लोक सेवाओं में भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों के भाग के आवंटन के प्रति हिन्दू आपत्ति उठा सकते हैं। परंतु ऐसे बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या यह मानना गलत होगा यदि यह कहा जाए कि अनुसूचित जातियों के शत्रु हिन्दू नहीं हैं, अपितु भारत सरकार उनकी वास्तविक शत्रु है?

26. इसका क्या कारण है कि भारत सरकार अनुसूचित जातियों के दावे का विरोध करती है। माननीय रायबहादुर एन.शिवराज, विधान सभा सदस्य, द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के बारे में माननीय गृह मंत्री का भाषण इस बात का संकेत है। इसका कारण यह है कि अनुसूचित जातियों में काफी शिक्षित लोग नहीं है। यह भी कहना चाहिए कि यह कोई विश्वास दिलाने वाला कारण नहीं है। सर्व प्रथम 1934 के संकल्प के पैरा 3 में दिया गया यह एक पुराना कारण है। इसमें किसी भी ऐसी प्रगति के विवरण नहीं दिए गए हैं जो गत आठ वर्षो में की गई है। दूसरे यह वक्तव्य 1934 के लिए भी सही नहीं था। 1942 के लिए भी यह वक्तव्य नितांत असत्य है। वास्तव में अनुसूचित जातियों के कालेज के विद्यार्थियों की गणना निजी रूप से 1939-40 के आसपास की गई थी और तब अनुसूचित जातियों के स्नातकों की कुल संख्या लगभग 400 से 500 तक पाई गई थी। तीसरे, यदि यह तथ्य सही भी है, तो भी अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक घोषित करने में कोई अवरोध नहीं है और इस हेतु उनके अनुपात को निर्धारित करने में यह स्थिति विरोध पैदा नहीं करती। यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षिति रिक्त स्थानों के वार्षिक अनुपात में किसी वर्ष न्यूनतम

योग्यता वाले अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में कमी हो जाती है, तो इसमें किसी को भी दु:ख नहीं होगा क्योंकि अप्रयुक्त रिक्त स्थान हिंदुओं को दिए जाएंगे। गृह मंत्री द्वारा प्रत्याशित कठिनाई केवल अनुसूचित जातियों के मामले में ही नहीं कही जा सकती। अन्य अल्पसंख्यकों की दशा भी ऐसी ही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति से मुक्त नहीं है। वास्तव में, जब सरकार ने 1934 में संकल्प जारी किया तो सरकार ने यह महसूस किया कि यह कठिनाई उनके मामले में भी उठ सकती है, परंतु इससे सरकार को उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करने और उनके अनुपात को निर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। भारत सरकार ने उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया, उनका अनुपात भी निर्धारित किया, तथा किसी भी वर्ष आरक्षित स्थानों से कम स्थानों के योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की कठिनाई से पार पाने के लिए सरकार ने संकल्प के पैरा 7(i)(ii) में यह व्यवस्था की कि रिक्त स्थानों के अवशेष स्थानों को मुसलमानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

27. वास्तव में ऐसी कठिनाइयां अनुसूचित जातियों के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती जिन्हें अन्य अल्पसंख्यकों के मामले में सफलतापूर्वक दूर किया जा सका है। यदि सरकार ऐसा करती है तो वह अनुसूचित जातियों के न्यायपूर्ण दावों को अन्याय से ध्वस्त करने की दोषी होगी। सरकार को ऐसे आधार प्रयोग करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा जो केवल कारण ही नहीं है अपितु अनुसूचित दावों के विरूद्व उठने वाले बहाने भी है।

28. दो उपचार प्रस्तावित किए गए हैं, अर्थात् (1)उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करना, और (2) वार्षिक रिक्त स्थानों में उनका अनुपात निर्धारित करना। परंतु इसके अलावा यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों को सेवाओं में उपयुक्त भाग आरक्षित कराने के लिए अन्य उपचारों की भी स्वीकृति दी जाए। ये उपचार इस प्रकार हैं–

(i) आयु–सीमा का बढ़ाया जाना;

(ii) परीक्षा–शुल्क में कमी; और

(iii) अनुसूचित जाति के अधिकारी की नियुक्ति जो यह देखे कि इस मामले में अनुसूचित जाति के हितों के लिए बनाए गए उपबंध सभी संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जाएं।

(i) आयु–सीमा का बढ़या जाना;

29. आई.सी.एस. और केन्द्रीय सेवाओं के वर्तमान नियमों के अंतर्गत अधिकतम आयु–सीमा 24 वर्ष की है। सामान्यतया, यह अधिकतम आयु–सीमा अनुसूचित जातियों

पर विपरीत प्रभाव डालती है। उनकी अत्यधिक दरिद्रता के कारण अनुसूचित जाति के लड़के के लिए यह संभव नहीं है कि वह शिक्षा के उस स्तर तक पहुंच जाए कि वह उच्च और सम्पन्न वर्गों के विद्यार्थियों के साथ इसी आयु-सीमा में प्रतियोगिता कर सके। अनुसूचित जाति के बच्चों के विद्यार्थी जीवन में कई बार व्यवधान आ जाते हैं और उन्हें घर पर ट्यूशन अथवा अध्ययन के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अन्य वर्ग के विद्यार्थियों की तीव्रता और अनवरत रूप से प्रगति करने के लिए सभी सुविधाएं सुलभ हैं। इसके फलस्वरूप, अनुसूचित जातियों के बच्चे अपनी शिक्षा के अंतिम चरण तक पहुंचते समय प्रतियोगिता की स्थिति में नहीं रह पाते क्योंकि वे लोक सेवा की भर्ती के लिए आयु के कारण पात्र नहीं बन पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि उनकी आयु-सीमा कम से कम तीन वर्ष बढ़ा दी जाय। यह मांग बिल्कुल अनुचित नहीं है और न ही यह कोई असाधारण बात होगी, यदि भारत सरकार इसे स्वीकार कर ले। लगभग सभी प्रांतीय सरकारों ने इस सेवा के अनुपात को आरक्षित किया है और उन्होंने अनुसूचित जातियों का कुछ रियायतें दी हैं तथा उनकी आयु-सीमा को भी अन्य वर्गों की अपेक्षा बढ़ाया गया है। कुछ प्रांतों में यह अंतर दो वर्ष का है और अन्य प्रांतों में यह तीन वर्ष का। यदि भारत सरकार यह रियायत दे दे तो यह एक सुस्थापित सिद्धांत के अनुरूप ही होगा।

(ii) परीक्षा-शुल्क में कमी

30. आई.सी.एस. परीक्षा-शुल्क 100 रु. है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-सेवा का शुल्क 82 रु. 50 पैसे है तथा अन्य लिपिक वर्गीय सेवाओं (सहायक ग्रेड) का परीक्षा-शुल्क 30 रूपए है। यह शुल्क अनुसूचित जातियों के लिए ज्यादा है। वे वास्तव में और सही अर्थों में बड़ी अभावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। अनेक अनुसूचित जाति विद्यार्थी अपना समय और शक्ति लगाकर किसी परीक्षा के लिए उम्मीदवार बन पाते हैं तो उनके लिए इन परीक्षाओं में बैठना-कठिन हो जाता है क्योंकि परीक्षा के शुल्क उनके माता-पिता की आय से परे होते हैं। इस कठिन परिस्थिति को दूर करने की आवश्यकता है। यह आग्रह है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से इन परीक्षाओं के देय-शुल्क के चौथाई भाग से अधिक शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

(iii) अनुसूचित जाति का अधिकारी

31. यदि इन दो रियायतों की अनुमति दी जाए तो इससे अनुसूचित जातियों को अधिक आसन शर्तों पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। परंतु इन उपायों से दी जाने वाली सहायता पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। भारत सरकार में अनुसूचित जाति के अधिकारी की नियुक्ति गृह विभाग अथवा श्रम विभाग में की जानी चाहिए और उस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह लोक सेवाओं

में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के प्रवेश के मामले में उनकी इन सेवाओं में भर्ती के दावे को प्रभावी बनाए। यह कहा जाता है कि कभी भारत सरकार ने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की थी ताकि सेवाओं में समुदायवार प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया जा सके। परंतु यदि यह बात सही नहीं भी है तो भी अनुसूचित जातियों के सेवा के दावों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति के अधिकारी की नियुक्ति का मामला आवश्यक और तात्कालिक तथा विवादहीन है। इस बात की काफी आशंका है कि यदि इन नियमों को लागू करने के लिए अनुसूचित जाति के अधिकारी को न लगाया गया तो, अनुसूचित जातियों के प्रति चल रही भेदभाव वाली मनोवृत्ति के कारण, उन्हें इस प्रकार लागू किया जाएगा कि वे बेमानी बन जाएंगे। इसका केवल यही उपचार है कि एक स्वतंत्र अधिकारी की नियुक्ति की जाए और उसे वह कर्त्तव्य को निभाने के लिए कहा जाए जो उन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए उसे सौंपा गया है।

4. संघ लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधित्व का अभाव

32. इस समय संघ लोक आयोग में चार सदस्य हैं। इनमें से दो सदस्य यूरोपीय हैं, एक सदस्य हिन्दू है तथा एक सदस्य मुसलमान है। अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि को संघ लोक सेवा आयोग के गठन में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसा कोई आधार दिखाई नहीं देता जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को संघ लोक सेवा आयोग में न रख जाए। भारत में प्रमुखत: तीन वर्ग के लोग हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के लोग तीसरे वर्ग में आते हैं। इस वर्ग की जनसंख्या लाखों में है। इनकी सेवा के प्रश्न का उतना ही महत्व है जितना अन्य दो जनसंख्या के वर्गों का। उनके हितों को अन्य दो वर्गों के हितों से वास्तव में कम खतरा नहीं है। उनको इस खतरे से बचाने की आवश्यकता अन्य दो वर्गों से कहीं अधिक है। यदि किसी भी कसौटी से देखा जाए तो अन्य दो वर्गों के समान अनुसूचित जातियों को भी संघ लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधित्व देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग का गठन निश्चय ही सांप्रदायिक प्रवृत्ति का है। ऐसा करने के केवल दो कारण हो सकते हैं। प्रथम यह कि आयोग में अधिक जनसंख्या वाले वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व वांछनीय है। दूसरा यह कि आयोग के सामुदायिक गठन से एक समुदाय की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को दूसरे समुदाय की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से प्रतिसाद किया जा सकता है। कोई भी इसे किसी भी प्रकार से देखें, यह मानना होगा कि संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को छोड़

देना केवल अन्याय है। अनुसूचित जातियों को लोक सेवा आयोग में कोई विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि लोक सेवा आयोग हिंदुओं और मुसलमानों की विचाराधारा से प्रभावित होता है। चाहे ये दोनों जातियां आपस में कितना ही झगड़ा कर लें, फिर भी मिल–बांटकर लाभ उठाने के लिए सरलता से एक हो जाती हैं और अनुसूचित जाति को उसके भाग से अलग करने में नहीं हिचकती। यह सिद्ध करना कठिन है कि आयोग अनुसूचित जातियों के लिए न्याय नहीं कर पाया है, यद्यपि यह सत्य है कि अभी तक अनुसूचित जाति का एक भी उम्मीदवार आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित नहीं किया गया है। किसी भी आयोग को इस पक्षपात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक आयोग के लिए यह खुला मार्ग है कि वह ''अनुपयुक्त'' जैसे शब्द का प्रयोग करके अपने को बचा ले। यह शब्द व्याख्या देने से कहीं अलग अनेक दोषों को अपने में समेट लेता है। न्याय की यह मांग है कि अनुसूचित जातियों को संघ लोक सेवा आयोग में वह प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जिस पर उनका अधिकार है।

अध्याय 2
शैक्षिक शिकायतें

1 उच्च शिक्षा के लिए सहायता का अभाव

1. अनुसूचित जातियों के लड़कों में उच्च शिक्षा की प्रगति को देखा जाए तो ये निष्कर्ष निकलते हैं:

(1) कला और विधि के विषयों में शिक्षा संतोषजनक रूप से प्रगति कर रही है।

(2) विज्ञान और इंजीनियरी में शिक्षा ने कोई प्रगति नहीं की है।

(3) विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा पहुंच से बाहर है।

2. इस शोचनीय स्थिति के बारे में उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रवेश के प्रश्न पर विचार-विमर्श करते समय यह तथ्य उभरा कि यह बात पूर्ण रूप से लोक सेवा अधिकारियों की सहानुभूति पर आश्रित है। यदि इसे सहानुभूतिपूर्ण बनाना है, तो देश के राष्ट्रीय जीवन के अलग-अलग तत्वों का इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए और विशेषकर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए इस कथन के साथ यह भी कहना होगा कि यदि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व लिपिक वर्गीय पदों तक सीमित किया गया तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा चाहे कितने ही पद क्यों न हो और उन पदों को अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को दिया जाए। यह बात इस दृष्टि से ठीक हो सकती है कि शिक्षित युवाओं को इससे जीविका उपलब्ध होती है। परंतु इसका प्रभाव अनुसूचित जातियों की दशा पर नहीं पड़ सकता। अनुसूचित जातियों की प्रतिष्ठा और दशा केवल उसी समय सुधरेगी जब अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को लिपिक वर्ग की सेवाओं से हटकर कार्यकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा। कार्यकारी पद रानजीतिक पद होते हैं, ये ऐसे पद होते हैं जहां से राज्य के मामलों को नवीन दिशा दी जा सकती है। कार्यकारी पद की प्राप्ति के लिए स्पष्टतया उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है।

ऐसे पद केवल उन्ही उम्मीदवारों के लिए जाएंगे जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है।

3. कला और विधि के विषयों में शिक्षा अनुसूचित जातियों के लिए अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती चाहे यह शिक्षा स्नातकों को दी जाए अथवा लोगों को। इस शिक्षा का मूल्य हिंदुओं के लिए भी अधिक नहीं है। अनुसूचित जातियों को विज्ञान तथा टैक्नॉलोजी में उन्नत प्रकार की शिक्षा अधिक सहायक होगी, परंतु यह स्पष्ट है कि विज्ञान और टैक्नॉलोजी में शिक्षा अनुसूचित जातियों के साधनों से परे है और यही कारण है कि अनेक लोग अपने बच्चों को कला और विधि के विषयों में अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। सरकारी सहायता के बिना विज्ञान और टैक्नॉलोजी की उन्नत शिक्षा का क्षेत्र कभी भी अनुसूचित जातियों के लिए सुलभ नहीं होगा और यह केवल न्यायसंगत तथा उचित है कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में उनकी सहायता के लिए आगे आए।

4. इस समस्या का समाधान हो जाएगा यदि आगे दिए गए प्रस्ताव भारत सरकार द्व ारा स्वीकार कर लिए जाएं:-

(1) अनुसूचित जातियों के उन विद्यार्थियों को 2 लाख रूपये की छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष दी जाएं जो विश्वविद्यालयों में विज्ञान और टैक्नॉलोजी के पाठ्यक्रम में अथवा भारत के अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लें।

(2) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को विज्ञान और टैक्नॉलोजी की शिक्षा के लिए इंग्लैंड, यूरोप, अमरीका और डॉमीनियन के विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियों पर एक लाख रूपये वार्षिक अनुदान व्यय किया जाए।

5. ऐसी कोई भी बात नहीं है जो भारत सरकार को इस उत्तरदायित्व के निभाने से रोक सके। यह सत्य है कि शिक्षा, जहां तक कानून बनाने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय विषय नहीं है। फिर भी, भारत सरकार अधिनियम की धारा 150(2) में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुदान दे सकती है चाहे वह उद्देश्य ऐसा उद्देश्य क्यों न हो जिसके संबंध में केन्द्रीय विधान सभा कानून बना सके। इस शक्ति का प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया गया है ताकि शैक्षिक संस्थाओं की सहायता की जा सके। नीचे ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की सूची दी गई है जो केन्द्र सरकार के प्रशासन क्षेत्र से बाहर हैं और जिन्हें केन्द्रीय राजस्व से सहायक अनुदान प्राप्त होते हैं।

		प्रतिवर्ष राशि
I.	**शैक्षिक संस्थाएं**	
	1. भारतीय महिला विश्वविद्यालय, बम्बई	वर्ष 1937–38 और 1941–42 में इस संस्था को 50,000 रूपए के अनावर्ती अनुदान दिए गए।
		रुपए
	2. विश्वभारती, शांति निकेतन	25,000
	3. इंटर–यूनिवर्सिटी बोर्ड, इंडिया	1,000
	4. एंग्लो–इंडियन और यूरोपीय शिक्षा के लिए अंत:–प्रांतीय बोर्ड	3,600
II.	**वैज्ञानिक संस्थाएं**	
	1. विज्ञान की प्रोन्नति के लिए भारतीय संघ, कलकत्ता	18,000
	2. रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता	2,500
	3. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता	37,000
	4. विज्ञान का भारतीय राष्ट्रीय संस्थान, कलकत्ता	6,000
	5. विश्वेशरानंद वैदिक अनुसंधान संस्थान, शिमला	2,500
	6. विज्ञान का भारतीय संस्थान, बंगलौर	1,50,000
	7. भंडारकर प्राच्य विद्या अनुसंधान संस्थान, पूना	4,000
	8. बोस रिसर्च संस्थान, कलकत्ता	45,000
III.	**विविध**	
	1. इंडियन ओलम्पिक एसोशियेशन	2,000
	2. गर्ल गाइड्स एसोशियेशन, इंडिया	2,500
	वार्षिक आवर्ती अनुदानों का योग	2,99,100

6. इसमें वह वार्षिक राज सहायता सम्मिलित नहीं की गई है जो भारत सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ को 3 लाख रूपए तथा हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस को 3 लाख रूपए देती है। देश और विदेश में उच्च शिक्षा के मामले में अनुसूचित जातियों

को सहायता दिए जाने के दावे को, केन्द्र सरकार द्वारा इन दोनों विश्वविद्यालयों को भारी वित्तीय सहायता दिए जाने से बल मिलता है। इन विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला वास्तविक अनुदान हिंदू और मुसलमान समुदायों को उच्च शिक्षा की सहायता के लिए प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं कि केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष इसी प्रकार का तीन लाख रूपए का अनुदान प्रदान न करे जिससे अनुसूचित जातियों में उच्च शिक्षा को प्रोन्नत किया जा सके। यदि सरकार अनुसूचित जातियों की प्रतिष्ठा उन्नत करने में रूचि लेती है, जैसा कि उसने प्रायः इस कार्य को अपना कर्तव्य घोषित किया है, तो अब समय आ गया है जब इसी प्रकार की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-बजट में अनुसूचित जातियों के लिए की जाये।

7. यदि इस योजना को प्रभावी बनाया जाता है तो अनुसूचित जातियों की दशा और प्रतिष्ठा में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जायेगा। अनुसूचित जातियों को इससे बड़ी-बड़ी आशाएं हैं। वे इस बात के लिए भी तैयार हैं कि इस योजना को अनुदानों की पद्धति न बनाकर ऋण-पद्धति बना लिया जाए। अनुसूचित जातियों के जिन लड़कों को ये छात्रवृत्तियां मिलेंगी वे इसका लाभ उठाने से प्रसन्न होंगे चाहे यह राशि उनको उस समय वापिस ही क्यों न करनी पड़े जब वे रोजगार में लग जाएं अथवा उन्हें कम वेतन के वेतनमान में सेवा करने का अवसर मिले। सरकार को इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती।

8. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने में सहायता के उद्देश्य से मैं दो अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। एक प्रस्ताव यह है:

(3)अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए स्कूल ऑफ माइन्स में व्यवस्था ।

इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स भारत सरकार के नियंत्रण में है जो धनबाद में स्थित है। यह स्कूल खनन इंजीनियरी और भूविज्ञान में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उद्देश्य उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है जो भारत में कोयला खनन-उद्योग और अन्य खनिज-उद्योगों में सेवा कर सकते है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में इस प्रकार का प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या 97 है। पूछताछ करने से विदित हुआ है कि 97 विद्यार्थियों में से कोई एक विद्यार्थी भी अनुसूचित जाति का नहीं है। यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष उपाय किए जाएं ताकि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स से लाभ उठा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक होगा:

(क) अनुसूचित जातियों के ऐसे लड़कों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण जिन्हें प्रवेश पाने के लिए आवश्यक शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्राप्त है;

(ख) नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था:

(ग) छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।

यह दावा करना अतिरेक कथन नहीं होगा कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रवेश हेतु कुल 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएं। यह एक ऐसा मामला है जो श्रम विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है, परंतु यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका संबंध वित्त विभाग से है क्योंकि नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था और छात्रवृत्तियों से सरकार के राजस्व में हानि होती है। परंतु इन साधनों के कारण हानि बहुत अधिक नहीं होगी। औसतन, वार्षिक शुल्क लगभग साठ रुपए प्रति मास होगा जो स्कूल ऑफ माइन्स में प्रति विद्यार्थी के लिए व्यय करना होगा और जिसका अर्थ यह है कि प्रति मास, प्रति विद्यार्थी 60 रु. का व्यय होगा।

9. एक अन्य प्रस्ताव जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, इस प्रकार है:-

(4) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व।

10. बोर्ड का गठन इस प्रकार है:-

(1) शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के प्रभारी माननीय सदस्य (अध्यक्ष);

(2) भारत सरकार के शिक्षा-आयुक्त;

(3) भारत सरकार के दस प्रतिनिधि जिनमें से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी;

(4) कौंसिल ऑफ स्टेट द्वारा चयन किया गया कौंसिल ऑफ स्टेट का एक सदस्य;

(5) विधान सभा द्वारा चुने गए विधान सभा के दो सदस्य;

(6) इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के तीन सदस्य;

(7) प्रत्येक स्थानीय सरकार का एक प्रतिनिधि जो शिक्षा का प्रभारी मंत्री (अथवा उसका उपमंत्री) या डायरेक्टर ऑफ पब्लिक

इंस्ट्रक्शन (या उसका डिप्टी डायरेक्टर) अथवा ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे प्रांतीय सरकार इस हेतु नामांकित करे।

11. बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं:-

(क) किसी भी ऐसे शैक्षिक प्रश्न पर परामर्श देना जो भारत सरकार अथवा स्थानीय सरकार द्वारा उसको भेजा जाए।

(ख) भारत के लिए विशेष रूप से हितकारी और लाभदायक शैक्षिक विकास के संबंध में सूचना व सलाह देना; भारत सरकार और स्थानीय सरकारों को अपनी सिफारिशों के साथ उस सूचना को परिचालित करना तथा इससे पूर्व उस सूचना की जांच करना।

12. बोर्ड के कार्यकलापों से यह स्पष्ट रूप से विदित है कि बोर्ड अनुसूचित जाति की शैक्षिक समस्या का अध्ययन कर सकता है क्योंकि यह स्थिति विशेष हित की है और वह इस संबंध में सिफारिशें कर सकता है तथा इस बारे में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों को सलाह दे सकता है। अनुसूचित जातियों में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए सरकारों और विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित करने का विशेष महत्व है।

13. फिर भी, सर्वप्रथम यह आवश्यकता है कि बोर्ड को अनुसूचित जातियों जैसे विशेष वर्गों की शैक्षिक समस्या के बारे में रूचि लेनी चाहिए, यह तभी संभव होगा जब बोर्ड में अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि अनुसूचित जाति के दो प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामांकित किया जाए।

2. तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का अभाव

14. आर्थिक दशा सुधारने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों को साहित्यिक शिक्षा की तुलना में तकनीकी शिक्षा देना अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु तकनीकी शिक्षा बहुत महंगी है और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए यह संभव नहीं है कि वे तकनीकी शिक्षा ले सकें। किन्तु तकनीकी शिक्षा के बिना उनकी आर्थिक दशा में सुधार नहीं होगा। हिन्दुओं की सामाजिक पद्धति के कारण, अनुसूचित जातियों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत नीचा स्थान है। स्मृद्धि के समय उसे बाद में रोजगार दिया जाता है और मंदी के समय उसे सबसे पहले रोजगार से अलग कर दिया जाता है। अलबता यह उन हिन्दुओं की सामाजिक मानसिकता के कारण है जो अनुसूचित जातियों के विरूद्ध भेदभाव बरतती है। परंतु एक अन्य कठिनाई भी है जो उनके मार्ग को अवरूद्ध करती है और वह यह है कि ये लोग सामान्य तथा अकुशल श्रमिक हैं और उनके पास कोई भी तकनीकी ज्ञान नहीं है।

15. मुझे ऐस लगता है कि भारत सरकार उनके भाग्य को सुधारने के लिए बहुत कुछ कर सकती है, यदि उन्हें तकनीकी कौशल उपलब्ध कराया जाए जो उनके पास इस समय नहीं है। भारत सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा चलाए जाने वाले उन व्यवसायों में अनुसूचित जाति के लड़कों को प्रशिक्षार्थी के रूप में रखा जा सकता है जहां तकनीकी प्रशिक्षण देने की संभावनाएं विद्यमान हैं।

मैं केवल दो व्यवसायों का संदर्भ देना चाहता हूं:-

(1) सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में प्रशिक्षार्थी:

ऐसे कई प्रिंटिंग प्रेस हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। यह कार्य एक दक्षता का कार्य हैं जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें प्रेस कार्य में प्रशिक्षित किया गया हो- जैसे कम्पोजीटर, प्रिंटर, बांइडर आदि। कोई कारण नहीं कि भारत सरकार ऐसी कोई योजना न बनाए जहां अनुसूचित जातियों के योग्य बच्चे उपरोक्त व्यवसायों में जिनका संबंध प्रिंटिंग ट्रेड से हैं प्रशिक्षार्थी के रूप में काम करें।

(2) रेलवे वर्कशापों में प्रशिक्षार्थी

भारत की रेलें अधिकांशतया भारत सरकार के हाथ में है और भारत सरकार ऐसी वर्कशापें चलाती हैं जहां फिटर, बढ़ई और अन्य तकनीशियन काम पर लगाए जाते हैं, और मुझे मालूम नहीं है कि क्या रेलवे विभाग के पास ऐसे प्रशिक्षार्थियों के लिए जाने की योजनाएं हैं जिन्हें रेलवे में बाद में काम पर लगाने के लिए तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जा सके। परंतु ऐसी कोई योजना अस्तित्व में न हो फिर भी यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए ऐसी योजना बनाई जाए।

16. इसलिए मेरा सुझाव है कि एक प्रशिक्षार्थी योजना हाथ में ली जाए, जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों के अनेक लड़कों को प्रतिवर्ष प्रिंटिंग प्रेस और रेलवे वर्कशाप में प्रशिक्षण के लिए रखा जाए। इस पर ज्यादा व्यय भी नहीं होगा।

अध्याय-3
अन्य शिकायतें

1. प्रचार के मामले में लापरवाही

1. यह सर्वविदित है कि भारत सरकार अधिकांशतया इस बात में व्यस्त रहती है कि उन विभिन्न व्यक्तियों और दलों के कथनों और कार्यों का प्रचाार करे जो भारत में क्रियारत मुख्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात के उदाहरण के लिए मैं ''इंडिया एंड द एग्रेसर'' (1935-40 के बीच भारतीय विचारधारा की प्रवृत्ति) नामक ग्रंथ का उल्लेख करना चाहूंगा जो भारत सरकार के लोग सूचना ब्यूरों द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस ग्रंथ का नाम कुछ भ्रामक है। इसका आक्रामक (एग्रेसर) से कोई संबंध नहीं है। यह देश में राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों के कथन और कार्यो का संकलन है तथा भारत के बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के विचारों का पूर्ण सारांश प्रस्तुत करता है।

2. इस ग्रंथ का सबसे अधिक दोषपूर्ण भाग यह है कि इसमें अनुसूचित जातियों के कथनों और कार्यों के प्रति पूर्ण लापरवाही दिखाई गई है। 940 पृष्ठों में 158 पृष्ठ कांग्रेस और 85 पृष्ठ मुसलमानों के लिए दिए गए हैं। हिन्दू महासभा और हिन्दू लीग के लिए लगभग 10 पृष्ठ दिए गए हैं। लिबरल फेडरेशन को 16 पृष्ठ दिए गए हैं। सिखों को 6 से अधिक पृष्ठ दिए गए हैं। भारतीय ईसाइयों को 2 से अधिक पृष्ठ दिए गए हैं, जबकि अनुसूचित जातियों को 3 पृष्ठों में निपटाया गया है। सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि अनुसूचित जातियों के लिए 3 पृष्ठ में जो सामग्री दी गई है वह भी महत्वहीन प्रकृति की है। इसमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है जो इस अवधि में घटी हैं तथा अनुसूचित जातियों के प्रमुख व्यक्तियों ने जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं उनकी उपेक्षा कर दी गई है। मैं केवल एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा अर्थात धर्म-परिवर्तन का आंदोलन। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने हिन्दू समाज की जड़ों को हिला दिया तथा समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस ग्रंथ में अनुसूचित जातियों के दिखाऊ प्रचार के बारे में सेंट मेरी कॉलेज,

कुरस्योंग क जिक्र करना पर्यात्त होगा। एक बार इस कॉलेज ने अनुसूचित जातियों की समस्याओं से संबंधित 507 पृष्ठ की सामग्री प्रकाशित की। 1935-40 की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाली और उनसे उद्भूत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग एवं घटनाएं सामने आयी। स्वयं मैंने भी अनुसूचित जातियों के बारे में अनेक घोषणाएं की। परंतु इनमें से किसी का भी उल्लेख इस ग्रंथ में नहीं है।

3. यह सच है कि यह ग्रंथ केवल सरकारी प्रयोग के लिए है। परंतु मेरे विचार से इस तथ्य से इस ग्रंथ का महत्व कम नहीं हो जाता है। यह निर्विवाद सत्य है कि अधिकारियों की सोच ही अधिकांशतया वह दिशा निर्धारित करती है जिससे राज्य के आधार पर राज्य की नीति का निर्धारण किया जाता है। इससे वह महत्व भी सुनिश्चित होता है जो उसे सम्प्रदायों के हितों के मुद्दों को देना चाहिए। यह भी निर्विवाद सत्य है कि कर्मचारी की प्रवृत्ति और सोच इस प्रकार की सामग्री द्वारा निर्धारित होती है जो उसे प्रस्तुत की जाती है और ये तथ्य इसी प्रकार के ग्रंथ में दिए जाते हैं। सरकार द्वारा किसी उद्देश्य के लिए सरकारी प्रकाशन में किया जाने वाला प्रचार उसके द्वारा उतने महत्व का समझा जाएगा जो सरकार उसके साथ सम्बद्ध करती है तथा अलग-अलग समुदायों की आवश्यकताओं और दावों का मूल्यांकन करने के लिए उसका मार्गदर्शन करेगा। इस विचार की दृष्टि से यह ग्रंथ निश्चय ही केन्द्रीय सचिवालय और प्रांतीय सरकारों में काम करने वाले अधिकारियों और यहां तक कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में यह छाप छोड़ता है कि भारत सरकार अनुसूचित जातियों को नगण्य समझती है जिनके बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही वह प्रभाव है जो इस ग्रंथ से उभरा है और यह बात संसद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा दिए गए भाषण से स्पष्ट है जिसमें मुसलमानों का जोरदार तथा ठोस उल्लेख किया गया है जबकि अनुसूचित जातियों के संदर्भ निक्षिप्त वाक्यांशों में दिए गए हैं। यह भारी भूल हैं जो उन अनुसूचित जातियों के लिए की गई है जिन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति में ऐसे सबसे जटिल समय में धक्का लगा है जब वे लोग संघर्षरत थे क्योंकि सरकार की ओर से उनके मुद्दे को असंतुलित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं बात पर जोर देना चाहूंगा कि लोक सूचना ब्यूरों को इस ग्रंथ का पूरक ग्रंथ निकालना चाहिए जिसमें अनुसूचित जातियों के आंदोलन तथा उनके नेताओं की घोषणाओं का समावेश हो।

4. निश्चय ही सरकार कह सकती है कि वह पार्टियों और समुदायों के प्रचार कार्य के लिए बाध्य नहीं है तथा पार्टियों और समुदायों को स्वयं अपना प्रचार-कार्य करना चाहिए। परंतु यहाँ बात दूसरी है। जैसा कि मैंने बताया, भारत सरकार स्वयं-प्रचार-कार्य करती है इसलिए वह सभी पार्टियों को प्रचार-कार्य में समान समझने के लिए बाध्य

है और उसे देश में चलने वाले आंदोलनों और ताकतों के बारे में ठीक और सही तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए।

2. सरकारी ठेकों में बंद-द्वार

5. सार्वजनिक निर्माण कार्यों का अधिकतर काम सरकारी विभाग द्वारा न किया जाकर ठेकों के माध्यम से कराया जाता है। सामान्य काल की यही प्रणाली है। युद्ध के समय सरकार के लिए ठेके की पद्धति द्वारा किया जाने वाला कार्य कई सौ गुना बढ़ गया है। मैं केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बारे में बता सकता हूं। केन्द्रीय लोक निर्माण द्वारा स्वीकृत ठेकेदारों की संख्या 1,171 है। मुझे बताया गया है कि इन ठेकेदारों में से केवल एक ठेकेदार अनुसूचित जाति का है। शेष सभी ठेकेदार हिन्दू, सिख और मुसलमान है। सरकार के लिए यह संभव है कि इन सभी बातों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि ठेके की पद्धति सभी समुदायों को लाभ उठाने के लिए खुली रहे। अनुसूचित जातियों के ऐसे अनेक लोग हैं जिन पर सरकारी ठेका संपन्न करने के लिए विश्वास किया जा सकता है। अनुसूचित जाति के अनेक सदस्य पहले ही से हिन्दू, मुसलमान और सिख ठेकेदारों के नौकरों के रूप में काम कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि हिन्दू, मुसलमान अथवा सिख ठेकेदार लाभ उठा रहे हैं जबकि अनुसूचित जाति के लोग केवल मजदूरी पर ही काम कर रहे है।

6. इसमें अधिक कठिनाई नहीं होगी कि स्वीकृत ठेकेदारों की सूची में अनुसूचित जातियों के कुछ लोगों को शामिल कर लिया जाए। परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें ठेका दिया जाए। सरकारी ठेकों के बारे में दो नियम है:-

(1) सामान्यतया उसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है जिसका टेंडैंर सबसे कम हो;

(2) सरकार इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि सबसे कम लागत वाला टेंडर ही स्वीकार किया जाए।

7. इसलिए यह प्रभारी अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि कोई ठेका किसी विशेष ठेकेदार को दिया जाए अथवा नहीं। इस स्वविवेक के अनुसूचित जाति के ठेकेदार के पक्ष में प्रयोग किए जाने की संभावना नहीं है। उसका टेंडर सबसे कम लागत का हो सकता है परंतु अधिकारी जातिगत पक्षपात के कारण दूसरे नियम का पालन करते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्ति का टेंडर अस्वीकार कर सकता है क्योंकि वह अधिकारी बाध्य नहीं है कि सबसे कम लागत वाला टेंडर ही स्वीकार

करे। यदि उसका टेंडर सबसे कम लागत वाले टेंडर से ऊंचा है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा, यद्यपि वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। वह उन दो नियमों में से पहले नियम का पालन करेगा। स्थिति कुछ भी क्यों न हो, उसके पास अनुसूचित जातियों के ठेकेदारों के टेंडर को रद्द करने का औचित्य मौजूद होगा।

8. परंतु साम्प्रदायिक पक्षपात के विरूद्ध कोई उपचार नहीं है। मुझे जो बात इस मुद्दे पर समझ आती है वह यह है कि अनुसूचित जाति के ठेकेदार का टेंडर सबसे कम लागत के टेंडर से 5 प्रतिशत तक अधिक हो तो उसे सबसे कम कीमत का माना जाए। अलबत्ता इसमें वित्तीय हानि निहित है और वित्त विभाग को इस पर सहमत होना पड़ेगा। मैं इस प्रकार की रियायत की कोई अनुमानित लागत नहीं बता सकता। मुझे विश्वास है कि यह बहुत अधिक नहीं होगी।

अध्याय 4
पीड़ित लोगों के प्रति सरकार का कर्त्तव्य

1. अनुसूचित जातियों की ओर से इस ज्ञापन में कुछ प्रस्ताव किए गए हैं। इनमें विशेष रूप से ऐसे प्रस्ताव हैं जिनका संबंध राजनीतिक शिकायतों को दूर करना है तथा इनसे सरकारी खजाने पर वित्तीय भार नहीं पड़ता। वे वास्तव में प्रस्ताव कम हैं राजनीतिक मांगे अधिक, जैसा कि उनके संबंध में दिए गए तर्कों और न्याय की दृष्टि से प्रतीत होता है तथा सरकार को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। कठिनाई उसी समय उठती है जब ऐसे प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं जिनमें केन्द्रीय सरकार के राजस्व का वित्तीय भार निहित होता है। इसमें वित्तीय भार निहित तो है, परंतु इन्हें इस आधार पर ही रद्द नहीं किया जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अनुसूचित जातियों की ओर सरकार का कर्त्तव्य है, और यदि सरकार इस बारे में अपना कर्त्तव्य स्वीकार करती है तो उसे इस कर्त्तव्य को निभाना पड़ेगा, चाहे इसमें सरकारी खजाने पर वित्तीय भार ही क्यों न पड़े।

2. अनुसूचित जातियों को लेकर ब्रिटिश सरकार की नीति पूर्णतया और लगातार लापरवाही की रही है। ऐसा प्रारंभ से ही हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि उसका कर्त्तव्य केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने का ही नहीं हैं अपितु लोगों को शिक्षित करने तथा उनके कल्याण को भी देखने का है। यह बात वर्ष 1850–51 की बम्बई प्रेसीडेंसी के शिक्षा बोर्ड की रिपोर्ट से प्रस्तुत निम्न उद्धरण से स्पष्ट होगी:–

भारत के उच्च वर्गों की जांच

''पैरा 16–यह तथ्य प्रदर्शित होने पर कि जनसंख्या के एक छोटे भाग को ही भारत में सरकारी शिक्षा के प्रभाव में लाया जा सकता है, और माननीय कोर्ट के इस निर्णय पर कि इस श्रेणी में उच्च वर्गों को शामिल किया जाए, यह पता लगाना आवश्यक है कि ये वर्ग कौन–कौन से हैं।

भारत में उच्च वर्ग

''पैरा 17–ऐसे वर्ग जिन्हें प्रभावशील माना जा सकता है, और जहां तक भारत में उच्च वर्गों का संबंध है, वे इस प्रकार वर्गीकृत किए जा सकते हैं:–

प्रथम–जीमदार और जागीरदार, पूर्व सामन्तवादियों के प्रतिनिधि और देशी शक्तियों के अधीन कार्यरत प्रभावशली अधिकारी तथा वे लोग जिन्हें सैनिक वर्ग का कहा जाता है।

द्वितीय– ऐसे व्यक्ति जिन्होंने व्यापार या वाणिज्य में धन अर्जित कर लिया है अथवा वाणिज्यिक वर्ग के हैं।

तृतीय– सरकार के उच्चस्तरीय पदाधिकारी।

चतुर्थ–ब्राह्मण और उनके बाद उच्च जातियों के लेखक जो कलम के सहारे जीवनयापन करते हैं और बम्बई में 'प्रभु' और 'सीनवी' और बंगाल में 'कायस्थ' हैं, बशर्ते कि उन्होंने शिक्षा अथवा पद में कोई स्थान प्राप्त कर लिया हो।

ब्राह्मण–सबसे अधिक प्रभावशाली

''पैरा 18–इन चार वर्गों में से तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे अधिक जनसंख्या वाले और कुल मिलाकर सरकार जिनसे अपना काम अधिक सरलता से निकलवा सकती है, वे चौथे वर्ग के लोग हैं। भारत भर में यह तथ्य भलीभांति विदित है कि प्राचीन जागीरदार अथवा सैनिक वर्ग हमारे शासन के अंतर्गत प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं।

कुछ अपवाद को छोड़कर वाणिज्यिक वर्गों में भी उच्च शिक्षा के प्रभाव के लिए अधिक गुंजाइश नहीं है।

* * * *

अंत में, राज्य के कर्मचारी, यद्यपि वे ऐसे काफी लोगों पर अपना प्रभाव रखते हैं जो सरकार के सम्पर्क में आते हैं तथापि उनका प्रभाव उससे भी बड़ी संख्या वाले उन लोगों पर नहीं है जो सरकार से स्वतंत्र हैं।

ब्राह्मणों की गरीबी

''पैरा 19–ऊपर किया गया विश्लेषण चाहे लम्बा प्रतीत होता हो फिर भी यह अपरिहार्य है और इससे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहले इससे यह प्रदर्शित होता है कि ऐसे प्रभावशाली वर्ग के अंतर्गत ब्राह्मण तथा उनके समीप की उच्च जातियां आती हैं जिनके बारे में सरकार समझती है कि वह उनमें शिक्षा के बीज बो सकती है।

निम्न जातियों को शिक्षित करने का प्रश्न

''पैरा 21-इन तथ्यों से यह व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है, जो वर्षों के हमारे अनुभवों पर आधारित हैं, कि उन गरीब उच्च वर्गो के बच्चों के लिए शिक्षा के चौड़े द्वार खोल दिए जाने चाहिए जो हमसे शिक्षा पाने के लिए लालायित है। परंतु यहां उलझन में डालने वाला एक प्रश्न उठता है जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। यदि गरीब लोगों के बच्चे निःशुल्क सरकारी संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं तो सभी दलित जातियों यथा ढेड, महार आदि को उनके परिसर में अधिक संख्या में एकत्र होने से कौन रोक सकता हैं?''

हिन्दुओं का सामाजिक भेदभाव

''पैरा 22- इस बात में बहुत कम संदेह है कि यदि बम्बई में इस चौथे वर्ग की श्रेणी तैयार करनी है तो उन्हें ऐसे प्रोफेसरों और अध्यापकों के प्रभाव के अधीन प्रशिक्षित किया जाए जो बोर्ड की सेवा में कार्यरत हैं और वे समाज के उच्च बौद्धिक लोग बन जायेंगे, और इस प्रकार योग्यताएं प्राप्त कर लेने पर उन्हें यह आकांक्षा करने से नहीं रोका जा सकता कि वे ऐसे उच्चतम पदों पर आसीन हों जो देशी लोगों के लिए खुले हैं- जज, ग्रेड जूरी और शांति के लिए महामहिम के आयोग के सदस्य। अनेक उदार व्यक्तियों का विचार है कि ब्रिटिश सरकार की इस अति संकुचित और कमजोर नीति से इस प्रकार की नियुक्तियों के परिणामस्वरूप हिन्दू समुदाय में भारी क्षोभ उत्पन्न होगा, और जाति के बंधनों पर खुलकर आक्रमण किय जाना चाहिए।''

माननीय माउंट स्टुअर्ट एलफिन्सटोन का बुद्धिमत्तापूर्ण अवलोकन

''पैरा 23-परंतु इसके साथ श्री एलफिन्सटोन के विवेकशील विचार है, जो भारत के सबसे उदार और खुले दिमाग के प्रशासक थे। उनका कहना है कि मिशन कार्यकर्ता निम्नतम जातियों में अपने सबसे श्रेष्ठ शिष्य पाते हैं, परंतु हमें इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि हम उस प्रकार के लोगों को कैसे विशेष प्रकार का प्रोत्साहन प्रस्तुत करें। वे केवल सबसे अधिक तिरस्कृत ही नही माने जाते, परंतु समाज के बड़ी जनसंख्या वाले समुदायों में सबसे कम जनसंख्या वाले हैं तथा यह आशंका है कि यदि हमारी शिक्षा पद्धति की जड़ पहले उन्हीं लोगों में जमती है तो यह फिर कभी भी विस्तृत नहीं हो पाएगी और हम एक ऐसा नवीन वर्ग अपने सम्मुख पायेंगे जो ज्ञान में अन्यों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होगा परंतु ऐसी जातियों द्वारा तिरस्कृत होगा और जो चाहेंगी कि हम उन्हें वरीयता प्रदान करें। इस प्रकार की स्थिति तब तो वांछनीय होगी जब हम अपनी सेना के बल पर अपनी शक्ति बनाए रखने को वरीयता

देते अथवा जनसंख्या के एक भाग से सम्बद्ध हो जाते, परंतु और अधिक विस्तृत आधार पर इसकी नींव डालने के प्रत्येक प्रयास से ग्रह असंगत है।''

* * * *

3. ऐसा है अनुसूचित जातियों की ओर सरकारी विरोध जिसके आधार पर सरकार ने भारतीयों को शिक्षा देने की नीति बनाई है। यह नीति कड़ाई के साथ लागू की गई। महार (अछूत) बच्चे का एक मामला रिकार्ड किया गया है। उस बालक ने 1856 में भारत सरकार को यह प्रतिवेदन दिया था कि उसे धारवाड़ जिले के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किया जाए। सरकार ने जो संकल्प जारी किया, वह इस प्रकार है:-

''पत्रव्यवहार में जो प्रश्न उठाया गया है, उसमें बहुत व्यावहारिक कठिनाई है।

''1. इसमें कोई संदेह नहीं कि न्याय महार आवेदक के पक्ष में हैं; और सरकार यह विश्वास करती है कि ऐसे भेदभाव हैं जो उसे धारवाड़ में शिक्षा के वर्तमान साधनों को उपलब्ध कराने से वंचित करते हैं, और आशा करती है कि ये शीघ्र दूर हो जायेंगे।

''परंतु सरकार यह बात ध्यान में रखने के लिए बाध्य है कि वर्षों पुराने भेदभावों में हस्तक्षेप करना सरसरी तौर पर ठीक नहीं है। किसी एक अथवा कुछ व्यक्तियों के लिए ऐसा करना शायद शिक्षा को अधिक हानि पहुंचाना होगा। आवेदक को जो हानि है, वह ऐसी हानि नहीं है जिसकी उत्पत्ति इस सरकार के साथ हुई है और यह ऐसी हानि नहीं है जिसे सरकार आवेदक के पक्ष में सरसरी तौर पर दूर करने के लिए हस्तक्षेप कर सके जैसा कि आवेदक ने प्रार्थना की है।''

4. वर्ष 1882 में, भारत सरकार ने शिक्षा-नीति की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया था। इस कमीशन ने मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए। परंतु इसने अछूतों के लिए कुछ नहीं किया। उस कमीशन ने जो कुछ भी किया, वह महज उनके इस मत की अभिव्यक्ति थी कि ''सरकार को एक सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए कि किसी विद्यार्थी को गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में जाति के आधार पर प्रवेश पाने से इनकार नहीं किया जाएगा, परंतु यह भी कहा कि इस सिद्धांत को ''सावधानीपूर्वक लागू करना चाहिए।''

5. जब विरोध की भावना समाप्त हुई, तो इसका स्थान लापरवाही और उपेक्षा ने ले लिया। इस लापरवाही और उपेक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु अन्य

क्षेत्रों में भी, विशेषतया सेना के क्षेत्र में, घुसपैठ की। ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी सेना में दलित वर्गों के लोग थे। वास्तव में दलित वर्गों की सेना की ब्रिटिश शासन को सहायता मिली, अन्यथा ब्रिटिश शासन को भारत पर विजय पाना कठिन था। सन् 1892 तक सेना में अछूत भर्ती होते रहे। यकायक 1892 में सेना में अछूतों की भर्ती बंद कर दी गई तथा वे शोचनीय स्थिति में छोड़ दिये गए, जब उनकी कोई शिक्षा नहीं थी और सम्मानीय जीवन बिताने के लिए कोई मार्ग भी नहीं थे।

6. इन अनुसूचित जातियों को उस संकट से कौन उभार सकता है जिनसे वे अब घिरी हुई है? यह निश्चित है कि वे लोग अपने प्रयत्न से अपनी दशा नहीं सुधार सकते। उनके साधन बहुत कम है, अतः वे स्वयं प्रगति नहीं कर सकते। वे हिन्दुओं की दानशीलता पर भी निर्भर नहीं कर सकते। हिन्दुओं की दानशीलता का प्रश्न भी नहीं उठता, हिन्दू अपने कार्यक्षेत्र में सम्प्रदाय-पोषक हैं और उनकी दानशीलता का लाभ वे ही लोग उठा सकते हैं जो दानदाता के समुदाय के है। हिन्दू दानदाता या तो व्यापारी हैं या उच्च जाति के लोग हैं। दुःख इस बात का है कि हिन्दू आम जनता से धन एकत्र करते हैं, परंतु जब दान करने का प्रश्न उठता है तब वे जनता को भूल जाते हैं और केवल अपनी जाति और समुदाय को ही याद रख पाते हैं। अनुसूचित जातियों को ये साधन उपलब्ध नहीं है तथा वे उस दान की राशि से भी वंचित कर दिए जाते हैं जिसे दोनों ने एकत्र किया है। इसलिए उनके लिए केवल एक ही स्रोत शेष रह जाता है जिसका संबंध उस वित्तीय सहायता से है जो उन्हें सरकार द्वारा मिल सकती है। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों की रक्षा करें जिनका संकट अपनी किसी भूल के कारण पैदा नहीं हुआ। सरकार अनुसूचित जातियों की सहायता करने के लिए कदम उठा सकती है ताकि अनुसूचित जातियां अपने न्यायसंगत दावों को स्वीकार करा सकें और अपने प्रतियोगिता के साथ समान शर्तो पर प्रतियोगिता कर सकें। यह कोई असाधारण बात नहीं है कि केन्द्रीय सरकार से यह कहा जाए कि अनुसूचित जातियों की दशा सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। उन व्यक्तियों को यह सोचना चाहिए कि भारत सरकार ने एंग्लो-इंडियन समुदाय के कल्याण की सुरक्षा के लिए जो कुछ किया है वह अनुसूचित जातियों के लिए भी किया जाए। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करूंगा।

(1) अधिक वेतन

एक समय था जब एंग्लो-इंडियन को भारतीय से अधिक वेतन मिला करता था। एंग्लो-इंडियन और भारतीय वेतन का अंतर नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट हो

जाएगा जिसमें तीन रेलवे क्षेत्रों के कुछ पदों के लिए वेतन के आंकड़े दिए गए हैं और उदाहरण के तौर पर इन आंकड़ों का नमूने के रूप में चयन किया गया है–

पद	एंग्लो–इंडियन	भारतीय
नार्थ–वेस्टर्न रेलवे		
स्थायी पथ–निरीक्षक	625–25–675 550–25–600	475–25–500 400–25–450
ड्राइवर	260–10–280	1 रूपए से 1 रु. 14 आने प्रति दिन। विशेष दर दो रूपए प्रति दिन
ईस्ट इंडिया रेलवे		
गाड़ी–परीक्षक	300–25–400 200–20–280	120–15–180
जी.पी.आई. रेलवे		
मुख्य ट्रेन परीक्षक	275 315 365	125–275
वाशिंग चार्जमेन	145	115

वेतन का यह अंतर 1920 तक जारी रहा। इसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया। अब भी केवल एक अंतर शेष है कि एंग्लो–इंडियन को 55 रू. प्रति माह मूल वेतन दिया जाता है। उसे यह वेतन उस स्थिति में भी मिलता है जब वह स्टेट रेलवे में चपरासी के पद पर नियुक्त किया जाता है, जबकि भारतीय चपरासी को केवल 13–15 रु. मिलते हैं। एंग्लो–इंडियन के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार से इसकी सरकारी खजाने से लागत प्रतिवर्ष डाक–तार विभाग के लिए दस हजार रुपये, सरकार द्वारा प्रबंधित रेलवे के लिए 75 हजार रुपये और कंपनी द्वारा प्रबंधित रेलवे के लिए 75 हजार रुपये अर्थात, कुल मिलाकर एक लाख पचास हजार रुपये होती है।

(2) एंग्लो–इंडियन को सफलतापूर्वक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तार विभाग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंकों में कमी प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत और कुल अंकों में 66 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत की जाती है।

7. स्टीवार्ट समिति द्वारा अनेक सिफारिशें की गई हैं जिनके अनुसार भारतीयों से अधिक एंग्लो–इंडियन लोगों को विशेष लाभ दिए गए हैं। परंतु मैं इस ज्ञापन को

उनसे संबंधित तथ्यों से बोझिल नहीं बनाना चाहता। मेरी इस बात में रूचि है कि एंग्लो–इंडियन और अनुसूचित जातियों के लिए दिए गए व्यवहार में तुलनात्मक अंतर स्पष्ट किया जाए। एंग्लो–इंडियन के लिए चिंता तथा भारतीयों के लिए लापरवाही स्पष्ट रूप से उजागर है। वह क्या बात है जो इस विरोध को संगत ठहरा सकती है? मेरी समझ से ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि सरकार शीघ्र ही अनुसूचित जातियों की सहायता करे तो सरकार को न्यायप्रिय समझा जाएगा। सरकार इच्छा से एंग्लो–इंडियन के उत्थान के लिए प्रतिवर्ष 1,50,000 रुपए व्यय करती है और यदि सरकार चाहे तो कुछ लाख रुपये अनुसूचित जातियों के लिए भी व्यय कर सकती है।

भाग 2
सत्ता हस्तान्तरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार

1

*सर एस. क्रिप्स की टिप्पणी

(एल/पी एंड जे/10/4: एफ एफ 51-2)

दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे डाक्टर अम्बेडकर और श्री राजा के साथ साक्षात्कार

30 मार्च, 1942

दलित वर्गों, विशेषकर मद्रास और बम्बई के दलित वर्गों, की दशा के बारे में बताते हुए उन्होंने मुझसे यह कहा कि वर्तमान चुनाव पद्धति के अनुसार दलित वर्गों को संविधान सभा में बहुत ही कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा क्योंकि संविधान सभा में उनके अधिकतर तथाकथित प्रतिनिधि कांग्रेस के हैं और इसलिए दलित वर्गों की स्थिति बहुत कमजोर होगी। उन्होंने उन मांगों का सारांश रूप प्रस्तुत किया जिन्हें वे संविधान सभा के समक्ष रखना चाहते हैं और इसके बाद मुझसे पूछा कि क्या हमने कभी सोचा है कि वे जातीय और धार्मिक दृष्टि से अल्प-संख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं जिसके बारे में मैंने उत्तर में 'हां' कहा तथा बताया कि उनके संरक्षण के लिए संधि में किस प्रकार व्यवस्थाएं की जायेंगी। मैंने बताया कि ये संरक्षण लीग ऑफ नेशन्स की अल्पसंख्यक संधियों के आधार के अनुरूप होंगे और यदि पहले ही संविधान में विशेष उपबंध हुए तो इन्हें शायद संधि में दोहराया जाएगा और विवाद के मामलों में यह दायित्व होगा कि इन्हें किसी बाह्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। भारत सरकार इस प्रकार के निर्णय से बाध्य होगी और यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो इसे संधि-विच्छेद माना जाएगा। इसके फलस्वरूप, ब्रिटिश सरकार ऐसे कदम उठाएगी जो विशेष परिस्थितियों में बुद्धिसम्मत समझे जाएं। मैंने बताया कि यद्यपि संरक्षण का यह रूप निस्संदेह उनके लिए अपर्याप्त समझा जाएगा तथापि

---

* द ट्रांसफर ऑफ पवर, निकॉलस मैनसर्घ, प्रधान संपादक, महामहिम स्टेशनरी, ऑफिस, लंदन द्वारा प्रकाशित 1970; खंड 1, संख्या 442, पृष्ठ 552-53

स्वायत शासन तथा भारत में आत्मनिर्णय के विचार की स्वीकृति दे दिए जाने के बाद ऐसा कोई मार्ग संभव नहीं होगा जिससे हम भारत में किसी अल्पसंख्यक के बचाव के लिए हस्तक्षेप कर सकें।

जहां तक अंतरिम अवधि का संबंध है, मैंने यह बताया कि ऐसी संभावनाएं दलित वर्गों के कुछ प्रतिनिधियों के लिए हो सकती है कि उन्हें केन्द्र में कार्यकारी परिषद् में लिया जाए और इस परिषद् के प्रथम कार्यों में से एक कार्य निस्संदेह यह होगा कि प्रांतीय सरकारों के चलाने के संबंध में कुछ अस्थायी प्रबंध किए जाएं।

अम्बेडकर ने यह विचार व्यक्त किया कि वे लोग इस बात की मांग करेंगे कि उन्हें वायसराय द्वारा नवीन कार्यकारी परिषद् के गठन में परामर्श देने के लिए कहा जाए और उन्हें प्रमुख तत्वों में से एक तत्व माना जाए। मैंने यह बताया कि यह मामला मुझसे संबंधित नहीं है। वायसराय को स्वयं अपने निर्णय को कार्यान्वित करना था कि वह इस मामले में परामर्श के लिए किसे बुलाएं ।

स्वाभाविक रूप से वे इस पूरी स्थिति के प्रति बहुत प्रसन्न नहीं थे, परंतु मुझे यह सूचना नहीं मिली कि वे इस योजना का विरोध करेंगे क्योंकि ऐसा अन्य कोई विकल्प नहीं था जिसके अधीन वे अपने संरक्षण के लिए इससे अधिक अच्छा साधन प्राप्त कर सके।

2

*डॉ. अम्बेडकर और श्री राजा का सर एस. क्रिप्स को पत्र@

सीएमडी. 6350

1 अप्रैल, 1942

जब हम आपसे 30 मार्च† को मिले थे तो आपको हमने बताया था कि भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महामहिम सरकार के प्रस्ताव दलित वर्गों को स्वीकार नहीं होंगे और उन कारणों को भी हमने साक्षात्कार के समय आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। तब से हमने विभिन्न प्रांतीय और केन्द्रीय विधान सभाओं में दलित वर्गो के अनेक प्रतिनिधियों से परामर्श किया है और उन सभी ने सर्वसम्मति से उस विचार की पुष्टि की है जो हमने इन प्रस्तावों के संबंध में आपके समक्ष रखे थे।

हम सभी का दृढ़ विश्वास है कि ये प्रस्ताव दलित वर्गो को अधिकतम हानि पहुंचाने वाले हैं और निश्चित रूप से उन्हें हिंदू-राज्य पद्धति के अधीन कर देंगे। इस प्रकार का कोई भी परिणाम जो हमें अतीत के अंधकार युग में ले जाता हो, हमारे द्वारा कभी भी सहन नहीं होगा और हम सभी इस बात के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं कि यदि हमारे लोगों पर ऐसा संकट आएगा जो हम अपने समस्त साधनों से उसका डटकर सामना करेंगे।

हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि आप दलित वर्गों के भविष्य के संबंध में हमारी घोर चिंता महामहिम को बता दें और उनके मन में यह धारणा पैदा कर दें कि हम इसे विश्वासघात समझेंगे यदि महामहिम की सरकार दलित वर्गों के लिए ऐसे संविधान को लागू कराने का निर्णय करे जिसके लिए उन्होंने अपनी उन्मुक्त और स्वैच्छिक अनुमति नहीं दी है तथा जिनमें वे सभी उपबंध नहीं है जो दलित वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने के लिए होने चाहिए।

---

* द ट्रांसफर ऑफ पावर, खंड 1, संख्या 487, पृष्ठ 603

@ इस पत्र का पाठ लार्ड लिनलिथयों द्वारा श्री ऐमरी को तार 207-एस.सी., 18 अप्रैल एम एस.एस. ई. यू.आर.एफ. 125/22 द्वारा प्रेषित किया गया।

† संख्या 442

अंत में हम आपको यह मानने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें प्रतिनिधि की हैसियत से बुलाया है और महामहिम की सरकार ने दलित वर्गों को अल्पसंख्यक पार्टी नहीं समझा हैं- जिससे कुछ संदेह हमारे मन में उभरा है जिसके बारे में हमने आपसे निवेदन किया है कि इस स्थिति की सही परिभाषा की जाए।

3

*सर आर. लुमले (बंबई) का मार्केस ऑफ लिनलिथगो को पत्र (उद्धरण)

एमएसएस, ईयूआर/एफ 125/56

(गवर्नमेंट हाउस, बंबई, 24 अप्रैल, 1942)

गोपनीय

रिपोर्ट संख्या 104

1. सर स्टफोर्ड क्रिप्स मिशन के परिणाम पर प्रतिक्रियाएं: जैसा कि यहां सदैव होता है, सर स्टफोर्ड क्रिप्स की समझौता-वार्ता भंग हो जाने के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया का सही ढंग से मूल्यांकन करना कठिन है। फिर भी, मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि मुझे कोई क्षति अथवा द्वेषपूर्ण भावना नजर नहीं आती, केवल एक अपवाद को छोड़कर जो मैं बाद में बताऊंगा। वास्तव में मैं कुछ ऐसा समझता हूं कि जैसी मैंने आशा की थी, यद्यपि वे प्रस्ताव असफल हो गए हैं, परंतु उनसे एक निश्चित लाभ भी हुआ है, विशेषकर उन क्षेत्रों के संबंध में जहां इससे पूर्व हमारे सबसे घोर विरोधी थे। एक मुखविर से जिसे मैंने प्रायः विश्वसनीय पाया है, मुझे यह ज्ञात हुआ है कि उन लोगों के मध्य अच्छी भावना है जिन्होंने हमारे अंतिम इरादों के बारे में संदेहों के भविष्यवाणी की थी। इस घोषणा के मसौदे ने उनमें से अधिकांश को संतुष्ट किया है। मैंने यह भी सुना है कि स्थानीय कांग्रेस मत गैर-संविलय के उपबंध को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार था और इसे अब तक किए गये प्रस्तावों में केवल मात्र समझा गया जिसमें ऐसी संभावनाएं थी कि भावी संविधान के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए इसे मुलसमानों की स्वीकृति मिल जाएगी। यह कहा जाता है कि इस विचार को स्थानीय कांग्रेसी लोगों के मध्य काफी समर्थन प्राप्त हुआ, यद्यपि इसकी खुलकर घोषणा नहीं की गई और सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने

---

* द ट्रांसफर ऑफ पावर, खंड 1, संख्या 684, पृष्ठ 846-47,

इन प्रस्तावों की भर्त्सना की जिसका मुख्य आधार यह था कि इन प्रस्तावों के कारण भारत का विभाजन हो जाएगा।

मुसलमानों द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणएं नहीं की गई है। परंतु अधिकांश मुस्लिम समाचार-पत्रों से यह लगता है कि वे इन विचार-विमर्श के परिणाम से संतुष्ट थे जिसका आधार था, सर्वप्रथम, कि उनको नीचा नही दिखाया गया था जैसे कि उन्हें आशंका थी, और दूसरे, यह विचार-विमर्श इस बात के लिए असफल नहीं हो सकता था कि इसने ब्रिटिश सरकार की आंखें इस तथ्य के प्रति खोल दी थी कि यह कांगेस का दुराग्रह है जो वास्तविक बाधा है। मुझे बताया गया कि पारसी लोगों को सामान्य रूप से राहत मिली कि कुछ समय के लिए किसी भी हालत में कांग्रेस को शासन सत्ता नहीं मिलेगी।

जिस अपवाद की ओर मैने संकेत किया है, वह अम्बेडकर हैं। वह मुझसे राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे की स्थापना के बारे में विचार-विमर्श के लिए आए और उन्होंने बिना किसी उत्साह के कुछ समर्थन देने की सहमति प्रदान की। परंतु उन्होंने घोषणा के मसौदे के बारे में कटुभाव व्यक्त करने के अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें जतला दिया गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ही ऐसे दल थे जो माने जाते थे और यदि वे दोनों इन प्रस्तावों पर सहमत हो जाएं तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि दलित वर्ग क्या सोचते हैं। उन्होंने अपमानित महसूस किए जाने की बात कही कि इन प्रस्तावों में अगस्त-घोषणा को नहीं माना गया है। आयरिश संधि का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव अल्संख्यकों की सुरक्षा की दृष्टि से उपहास मात्र है। उन्होंने पूछा कि यह कैसे हो सकता है और वह और उनके मित्र सरकार को अपना समर्थन कैसे दे सकते हैं यदि उनका इस प्रकार अपमान किया जाता है? उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा परिषद् से त्याग-पत्र देने का विचार व्यक्त किया, परंतु कुछ समय के लिए बने रहने का निर्णय किया। उनसे यह आशा नहीं की जा सकी कि सरकार का समर्थन देने का उत्साह दिखा सकें। मैने उनसे तर्क किया, जैसा तर्क करने की क्षमता मैं रखता था, परंतु मुझे आशंका है कि इससे उन पर कोई विशेष प्रस्ताव नहीं पड़ा। अम्बेडकर में असंतोष की भावना काफी समय तक बनी रही और वास्तव में यह भावना उनके मन में तभी से बनी हुई है जब से उन्हें कार्यकारी परिषद् में नहीं लिया गया। मुझे आशा है कि वह इस प्रान्त में अपने अनुयायियों से अपने विचारों का समर्थन पा सकेंगे क्योंकि वह उनमें केवल एक व्यक्ति हैं जो उनके मुद्दों के बारे में सोचने में समर्थ हैं।

मैं पूर्णतया आश्वस्त हूं कि उनकी असंतोष-भावना मुख्यतः व्यक्तित्व का मामला है। जैसा कि आप जानते हैं, उनकी निजी आर्थिक स्थिति उनके लिए कुछ समय से

चिंता का विषय बनी रही है। मेरा विश्वास है कि उन पर ऐसे कुछ लोगों का ऋण है जिन्होंने उनकी मत वर्षो में सहायता की है और वह उसमें से कुछ भी लौटाने में समर्थ नहीं है। वह इस बारे में कठोर भी बन जाते हैं जब कोई उनसे ऋण चुकाने के लिए कहता है। जैसा कि आप जानते हैं, वह कुछ समय से इस बात के लिए आतुर थे कि उन्हें हाई कोर्ट में अथवा अन्यत्र कोई स्थान मिल जाए जहां वह अपनी जीविका कमाने के लिए समर्थ बन सकें। उन्होंने मुझे कुछ समय तक ऐसे व्यक्ति का आभास दिया कि वह अपने ही अनुयायियों के लिए कर रहे कार्य में रूचि नहीं रखते तथा किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए आतुर है। दुर्भाग्यवश, वह अपने ही स्थान की कठिनाइयों को उन प्रभावों का कारण मानते हैं जो उनके विरूद्ध है क्योंकि वे दलित वर्ग के सदस्य हैं। इससे यह विश्वास करना सरल है कि हमे अनुचित रूप से उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम यह नहीं सोचते कि दलित वर्गो के समर्थन की चिंता करनी आवश्यक है। मैं इस बात को अधिक पसंद करता कि उनके लिए कुछ किया जाए और मुझे आशा है, कि यदि आपकी परिषद् में अधिक विस्तार करना संभव है तो उन्हें सम्मिलित कर लिया जाए। केवल वैयक्तिक आधार पर ही नहीं, अपितु दलित वर्गो के हित को बनाए रखने के लिए भी वह महारों की भर्ती में असहायक रहे हैं और इस दिशा में उन्होंने अधिक बल नहीं दिया, इस बात के बावजूद भी कि वह महारों को युद्ध करने वाली यूनिटों में लिए जाने के लिए काफी प्रयत्न करते रहे हैं। फिर भी महारों की भर्ती जारी हैं, परंतु इतनी नहीं जैसी कि तब होती जब वह वास्तव में महारों की सहायता करना चाहते।

अम्बेडकर ने जो कटुता दिखाई है उसे छोड़कर, मैं नहीं समझता कि क्रिप्स की समझौता–वार्ता से हमारी स्थिति खराब हुई है, और कुल मिलाकर देखा जाये तो शायद परिणम कुछ लाभदायक ही रहा है।

4
*क्रिप्स प्रस्ताव
द राइट ऑनरेबल (माननीय) सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत

संवैधानिक प्रस्तावों का मूलपाठ

महामहिम की सरकार ने इस देश और भारत में अभिव्यक्त चिंताओं पर विचार किया है जिनका संबंध उन वचनों के पालन करने से है जो भारत के भविष्य के बारे में किए गए है। महामहिम की सरकार ने यह निर्णय किया है कि उन कदमों को सूक्ष्म और स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया जाए जिनके माध्यम से भारत में स्वशासन की यथासंभव शीघ्रता से परिणति की जाए। इसका उद्देश्य यह है कि एक ऐसी नवीन भारतीय संघ का सृजन किया जाए जिसका गठन एक डोमिनियन के रूप में होगा और यह डोमिनियन इंग्लैंड तथा अन्य डोमिनियनों से सम्राट के प्रति आम निष्ठा के साथ सम्बद्ध होगा। परंतु यह प्रत्येक क्षेत्र में उनके बराबर होगा तथा किसी भी प्रकार से घरेलू और विदेशी मामलों में उसके अधीन नहीं होगा।

अत: महामहिम की सरकार निम्नलिखित घोषणा करती है:-

(क) युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद भारत के लिए नवीन संविधान की संरचना का कार्यभार संभालने के लिए एक निर्वाचित निकाय का इसमें वर्णित विधि के अनुसार भारत में गठित किया जाएगा।

(ख) संविधान बनाने वाली निकाय में भारतीय रियासतों की सहभागिता के निमित्त व्यवस्था की जाएगी जैसा कि आगे दिया गया है।

(ग) महामहिम की सरकार इस प्रकार से निर्मित संविधान की शीघ्र ही स्वीकार करने और कार्यान्वित करने का वचन देती है, केवल इन शर्तों के साथ कि:-

---

* रिपोर्ट ऑफ डिप्रैस्ड क्लासेज कॉन्फ्रेंसेज, नागपुर सत्र जो 18, 19 और 20 जुलाई, 1942 को आयोजित किया गया पृ. 98-99

(1) ब्रिटिश भारत का कोई ऐसा प्रांत जो उक्त संविधान को स्वीकार न कर अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखना चाहता है तो यह उसका अधिकार होगा, परंतु यह भी प्रावधान किया जायेगा कि बाद में कभी वह अन्य ऐसे प्रांतों के साथ जो विलय नहीं हुए है, विलय होने का निर्णय लें तो उसे इसकी छूट होगी। वे प्रांत यदि चाहे तो महामहिम की सरकार ऐसे नए संविधान पर सहमति के लिए तैयार होगी जो उन्हें भारतीय संघ के समान ही पूर्ण औहदा प्राप्त कराए और जो यहां उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही बनाया गया हो।

(2) महामहिम की सरकार तथा संविधान-निर्माण सभा के बीच वार्ता द्वारा की गयी संधि पर हस्ताक्षर। इस संधि में वे सभी आवश्यक मुद्दे सम्मिलित किए जाएंगे जो ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को उत्तरदायित्व हस्तांतरित किए जाने से संबंधित हैं, इसमें ऐसे प्रावधान रखे जायेंगे जो महामहिम की सरकार द्वारा जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए दिए गये वचनों के अनुसार होंगे, परंतु इसमें भारत संघ के अधिकारों पर कोई ऐसे प्रतिबंध आरोपित नहीं किए जायेंगे जिनसे ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्य सदस्य देशों के साथ भारत संघ के संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ता हो। भले कोई भारतीय रियासत संविधान को अंगीकार करे या न करे, नई परिस्थिति की मांग के अनुसार उसके लिए अपनी संधि की व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए बातचीत करना आवश्यक होगा।

(घ) संविधान-निर्माण सभा का गठन निम्न प्रकार से होगा, जब तक कि भारत के मुख्य सम्प्रदायों के नेता, युद्ध समाप्त होने से पूर्व, किसी अन्य प्रकार पर सहमत न हों। युद्ध समाप्ति के बाद होने वाले प्रांतीय चुनावों के परिणाम आने के तुरंत बाद, प्रांतीय विधान सभाएं एकल निर्वाचन पद्धति द्वारा संविधान-निर्माण सभा का निर्वाचन आनुपातिक पद्धति से करेगी। संख्या में यह नयी सभा निर्वाचन कॉलेजों की संख्या का दसवां भाग होगी। भारतीय रियासतों को उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार उसी अनुपात में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जैसा कि कुल मिलाकर ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधियों के मामले में है और उसकी वे ही शक्तियां होंगी जो कि ब्रिटिश भारतीय सदस्यों की होंगी।

(ड.) भारत के सम्मुख इस समय जो नाजुक घड़ी है उसके दौरान और जब तक नया संविधान बनाया नहीं जाता तब तक, महामहिम की सरकार को

अपने विश्व युद्ध के प्रयत्न के रूप में भारत की रक्षा के लिए नियंत्रण और दिशा–निर्देशन का दायित्व आवश्यक रूप से वह करना होगा, परंतु भारत के पूरे सैनिक, नैतिक और भौतिक संसाधनों को संगठित करने का कार्य भारत की जनता के सहयोग से भारत सरकार का उत्तरदायित्व होगा। महामहिम की सरकार की इच्छा है कि भारतीय लोगों के प्रमुख वर्गों के नेताओं की अपने देश, कॉमनवेल्थ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में तात्कालिक और प्रभावकारी सहभागिता हो। इस प्रकार वे उस कार्य को सम्पन्न करने में अपनी सक्रिय और रचनात्मक सहायता प्रदान कर सकेंगे जो भारत की भावी स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

5

*क्रिप्स प्रस्तावों पर डॉ. अम्बेडकर का वक्तव्य

डॉ. बी.आर.अम्बेडकर, विधान सभा सदस्य, दलित वर्गो के नेता, ने अपने एक प्रेस वक्तव्य में कहा:–

''युद्ध मंत्रिमंडल के प्रस्ताव महामहिम की सरकार के दृष्टिकोण में एकाएक परिवर्तन प्रदर्शित करते है। ये प्रस्ताव, जिनकी उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला कह कर भर्त्सना की थी, ताकत के आगे उनका आत्मसमर्पण दर्शातें हैं। यह म्युनिख मानसिकता है जिसका सार यह है कि अन्य व्यक्तियों की बलि चढ़ा कर अपने को बचा लिया जाए और यह ऐसी मानसिकता है जो इन प्रस्तावों में पूरी तरह झलकती है। यह कहा गया है कि अमरीकी और अंग्रेज इस कारण भारतीयों से नाराज हैं कि उन्होंने इन प्रस्तावों का स्वागत नहीं किया जिनका संबंध भारत की संवैधानिक उन्नति से है और इस प्रकार सर स्टफोर्ड क्रिप्स के मिशन को असफल कर दिया। अमरीकनों की प्रवृत्ति को तो क्षमा किया जा सकता है, परन्तु निश्चय ही अंग्रेजों और सर स्टफोर्ड क्रिप्स की जानकारी कुछ अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि पर्याप्त रूप से यह बात महसूस की गयी है कि महामहिम सरकार के ये प्रस्ताव जो सर्वोत्तम बताए जाकर अब प्रस्तुत किए गए हैं वे ही प्रस्ताव हैं जिन्हें महामहिम की सरकार में कुछ महीने पूर्व सबसे निष्कृष्ट बताकर रद्द किया था और उनकी भर्त्सना की थी। जो लोग यह महसूस करते हैं, वे ये अवश्य कहेंगे कि संवैधानिक प्रगति के कार्य का यह सबसे भद्दा भाग है जिसे महामहिम की सरकार अब प्रारंभ करने की जल्दी में है।

इन प्रस्तावों को तीन भागों में बांटा गया है:–

(1) एक संविधान सभा गठित की जायेगी जिसको भारत के संविधान की रचना का अधिकार होगा। इस सभा को, बहुसंख्यक निर्णय के अनुसार संविधान की रचना का पूर्ण अधिकार होगा।

---

* दलित वर्ग के सम्मेलनों की रिपोर्ट, जो नागपुर सत्र में 18, 19 और 20 जुलाई, 1942 को आयोजित किए गए थे। पृ. 100–06

(2) इस नए संविधान में भारत के सभी वर्तमान प्रांत शामिल नहीं होंगे अपितु केवल वे प्रांत ही शामिल होंगे जो इस संविधान को अपने ऊपर लागू करना चाहें। इस हेतु प्रांतों को यह अधिकार दिया गया है कि वे यह निर्णय करें कि क्या उन्हें नए संविधान में सम्मिलित होना है अथवा उससे बाहर रहना है। यह निर्णय मतदान द्वारा किया जाएगा जिसमें केवल बहुमत ही यह घोषणा करने के लिए पर्याप्त है कि इस मामले पर क्या निर्णय लिया जाए।

(3) संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार के साथ संधि करने की आवश्यकता होगी। इस संधि में जातीय और धार्मिक संरक्षण और सुरक्षा के लिए उपबंध शामिल किए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद अपनी प्रभुसत्ता को हटा लेगी और संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान लागू किया जाएगा।

सारांश में, महामहिम सरकार की योजना की यह रूपरेखा है। संविधान सभा का प्रस्ताव नया प्रस्ताव नहीं है। इसे कांग्रेस द्वारा उस समय प्रस्तुत किया गया था जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव को महामहिम की सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। श्री एमेरी ने 14 अगस्त, 1940 को हाऊस ऑफ कामन्स में संविधान सभा के बारे में यही बात कही थी:-

''कांग्रेस के नेताओं ने.......... एक उल्लेखनीय संगठन गठित कर लिया है जो भारत में सबसे दक्ष राजनीतिक संस्था है और, जैसा कि इसका भारत के राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधित्व करने का दावा है, यदि यह भारत के अन्य तत्वों की ओर से बोलने में सफल हो सकी, तो इनकी मांगे चाहे कितनी भी बढ़-चढ़ कर क्यों न हो, हमारी समस्या कई अर्थों में आज की अपेक्षा कहीं अधिक सरल हो जाती। यह सत्य है कि कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया में सबसे बड़ी अकेली पार्टी है, परंतु भारत की ओर से बोलने का उसका दावा, भारत के जटिल राष्ट्रीय जीवन के अन्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों द्वारा नकारा गया है। यह अन्य तत्व अपने अधिकार पर बल देते हैं, न केवल सांख्यिक अल्पसंख्यक वर्गों के रूप में अपितु भावी भारतीय नीति में अलग-अलग घटकों के रूप में भी। इन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण समुदाय है बड़ा मुस्लिम समुदाय। उसे भौगोलिक निर्वाचन-क्षेत्रों के बहुमत द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान से कुछ लेना-देना नहीं है। किसी भी संवैधानिक विचार-विमर्श में ये लोग इस अधिकार का दावा करते हैं कि उनका एक अलग अस्तित्व माना जाए और वे कृतसंकल्प है कि केवल ऐसे संविधान को स्वीकार

करेंगे जो उन्हें एक पृथक अस्तित्व मानेगा और जिसमें वे एक सांख्यिक बहुमत सेनहीं हांके जायेंगे। यही बात उस विशाल समूह पर लागू होती है जिसे अनुसूचित जातियों के नाम से जाना जाता है। ये अनुसूचित जातियां यह महसूस करती हैं कि यद्यपि श्री गांधी ने उनकी ओर से बहुत निष्ठापूर्वक प्रयास किए है, तथापि इसके बाबजूद समुदाय के रूप में वे उस हिंदू समुदाय की मुख्य धारा से बाहर हैं जिनका कांग्रेस द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह वक्तव्य श्री एमेरी द्वारा किया गया जब वे 8 अगस्त, 1940 को वायसराय की घोषणा की व्याख्या कर रहे थे। इस घोषणा में अल्पसंख्यकों के लिए महामहिम की ओर से वाइसराय द्वारा यह वादा किया गया था: ''दो मुख्य बातें हैं जो उभरी हैं। इन दो बातों के बारे में महामहिम की सरकार ने मुझसे यह कहा है कि सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया जाए। सर्वप्रथम बात किसी भी भावी संवैधानिक योजना के संबंध में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में है........ यह बताने की आवश्यकता नहीं कि महामहिम की सरकार भारत की शांति और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, किसी भी ऐसी सरकारी पद्धति को अपने वर्तमान दायित्वों को हस्तांतरण नहीं कर सकती जिसकी सत्ता को भारत के राष्ट्रीय जीवन के वृहद और सशक्त तत्वों को अस्वीकार कर दिया है और न ही महामहिम की सरकार उन तत्वों पर यह दबाव डालेगी कि ऐसी सरकार की सत्ता वे स्वीकार कर लें। 23 अप्रैल, 1941 को फिर श्री एमेरी ने संविधान सभा की मांग की बात उठाई और अपनी अभिव्यक्ति आगे दिए गए शब्दों में की:

''भारत का भावी संविधान भारतीयों द्वारा अपने लिए बनाया जाना चाहिए और इस संविधान को ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत का भावी संविधान आवश्यक रूप से भारतीय संविधान होना चाहिए और इस संविधान की रचना भारतीय परिस्थितियों और भारतीय आवश्यकताओं की भारतीय संकल्पना के अनुसार की जानी चाहिए। केवल आवश्यक शर्त यह है कि संविधान स्वयं और वह निकाय जो इस संविधान की रचना करें, भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख तत्वों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप होने चाहिए।''

महामहिम की सरकार द्वारा संविधान सभा के बारे में किए गये वादे और व्यक्त विचार ये थे– ऐसी संविधान सभा के बारे में जिसे अब मान लिया गया है। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने की थी। यह मांग भी महामहिम सरकार द्वारा रद्द कर दी गई। इस बारे में जो श्री एमेरी ने 1 अगस्त, 1940 को हाउस ऑफ कामन्स में कहा वह इस प्रकार है:

''कांग्रेस राज या तथाकथित हिंदू राज के खतरों के विरूद्ध प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि मुसलमानों ने यह बलवती मांग की कि भारत को अलग-अलग हिंदू और

मुसलमान डोमीनियों में पूर्णतया बांट दिया जाए। मुझे आज इस योजना की अनेक तथा दुस्तर आपत्तियों के बारे में, कम से कम इसके वर्तमान उग्र स्वरूप में, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इस बात पर जोर दूंगा कि इससे स्थायी अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान किए बिना उस समस्या को कुछ लघुतर क्षेत्रों में खिसका दिया गया है।''

23 अप्रैल, 1941 को फिर उन्होंने हाउस ऑफ कामन्स में अपने भाषण में इस समस्या का उल्लेख किया और निम्न शब्दों में अपनी बात कही–

''मुझे इस सदन में तथाकथित पाकिस्तान की योजना के मार्ग की वृहद व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में बहस नहीं करनी है और न ही मैं अठारहवीं शताब्दी में भारत के इतिहास की दुःखद स्थिति के बारे में अथवा आज अपने समक्ष बलकान देशों के दुःखद अनुभवों के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता है जो बताते हैं कि भारत की आवश्यक एकता का खंडन किए जाने में भयंकर खतरे निहित हैं। आखिर, भारत में ब्रिटेन की सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसका हमें गर्व भी है, यह है कि हमने इस देश को एकता प्रदान की है।''

संविधान सभा और पाकिस्तान के बारे में एक वर्ष पूर्व महामहिम सरकार के ये विचार थे। यह नितांत स्पष्ट है कि संविधान सभा का प्रस्ताव कांग्रेस की तुष्टि के लिए था और पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग को अपने साथ में करना था। दलित वर्गों के लिए प्रस्ताव क्या है? यदि संक्षेप में कहा जाए, तो उनके हाथ-पांव बंधे थे, और उन्हें हिन्दू जाति को सौंप दिया गया था। हिन्दुओं ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, उन्हें रोटी के स्थान पर पत्थर दिया। जहां तक संविधान सभा का प्रश्न है, दलित वर्गों को धोखा देने के अलावा यह कुछ नहीं है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि संविधान सभा में उनकी क्या स्थिति होगी और संविधान सभा के राजनीतिक कार्यक्रम के बारे में भी कोई संदेह नहीं है। संविधान सभा में दलित वर्गों के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकते, क्योंकि इन प्रस्तावों में कोई भी सांप्रदायिक कोटा निर्धारित नहीं किए गए है। यदि वे संविधान सभा में शामिल किए जाते हैं तो उन्हें मुक्त, स्वतंत्र और निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। सर्वप्रथम, दलित वर्गों के प्रतिनिधि बहुत अल्पसंख्या में होगे। दूसरे, संविधान सभा के सभी निर्णय सर्वसम्मति द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुमत द्वारा किसी भी प्रश्न पर निर्णय लिया जा सकता है, चाहे उसका संवैधानिक महत्व कुछ भी हो। यह स्पष्ट है कि ऐसी पद्धति के अनुसार संविधान सभा में दलित वर्गो की आवाज नहीं सुनी जा सकती। तीसरे, सानुपातिक प्रतिनिधित्व की वर्तमान पद्धति के अनुसार संविधान सभा में ऐसी

शर्तों के अंतर्गत सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा जो महामहिम के प्रस्तावों में दी गई हैं। इससे हिन्दू जाति लाभ उठा सकती है जिसे वास्तव में संविधान सभा में दलित वर्गों के प्रतिनिधियों को नामांकित करने का अधिकार है। ऐसे दलित वर्गों के प्रतिनिधि उन हिन्दुओं के हाथ की कठपुतली होंगे। चौथे, संविधान सभा में अधिकांश स्थानों को कांगेस के प्रतिनिधि भरेंगे जो संविधान सभा की बहुसंख्यक पार्टी होंगे तथा अपने ही कार्यक्रम चलाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री गांधी के दलित वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए किए गए प्रयत्नों के बारे में कुछ भी क्यों न कहा जाए परंतु वे संविधान में भारत के राष्ट्रीय जीवन में अलग या विशिष्ट तत्व के रूप में दलित वर्गों को राजनीतिक मान्यता देने के नितांत विरूद्ध हैं। यदि ऐसी स्थिति है, तो संविधान सभा की बहुसंख्यक पार्टी का कार्यक्रम वर्तमान संविधान में दलित वर्गों को पहले ही दी गयी सुरक्षाओं को भी समाप्त कर देगा।

यदि कोई व्यक्ति यह समझ ले कि संविधान सभा में क्या निहित है, तो वह यह स्वीकार करेगा कि महामहिम की सरकार ने अपने प्रस्तावों में दलित वर्गों को अक्षरशः भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। यह कहा जा सकता है कि जब कि ऐसी संविधान सभा है जो दलित वर्गों को संवैधानिक सुरक्षाओं से निषिद्ध कर सकती तो महामहिम की सरकार इस बात में सतर्क रही है कि संविधान सभा के साथ उसकी संधि के उपबंधों में उनके वे प्रस्ताव सम्मिलित कर लिए जाएं जिनका उद्देश्य दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा करना है। संधि का यह प्रस्ताव स्पष्टतया आयरिंश विवाद के समाधान के लिए महामहिम की सरकार द्वारा अपनाई गई योजना से लिया गया है। इस संधि के बारे में यह नहीं बताया गया है कि महामहिम की सरकार द्वारा इसमें क्या सुरक्षा साधन सम्मिलित किए जायेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसमें ऐसे राजनीतिक सुरक्षा साधनों की प्रकृति संख्या और तरीके के संबंध में महामहिम की सरकार और दलित वर्गों के बीच मतभेद हो सकता है जो नए संविधान के अंतर्गत दलित वर्गो के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस संधि के बारे में यह है कि इस संधि की कानूनी स्थिति क्या होगी? क्या इस संधि को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान का एक भाग माना जाएगा जिससे कि यदि संविधान में कोई भी ऐसी व्यवस्था हो जो संधि से मेल न खाए जो क्या वह व्यवस्था अवैध होगी और रद्द कर दी जाएगी? अथवा क्या यह संधि दोनों सरकारों– भारतीय राष्ट्रीय सरकार और महामहिम की सरकार–के बीच एक संधि मात्र ही होगी जैसी कि कोई व्यापारिक संधि होती है? यदि यह संधि पहली प्रकार की है, तो यह देश का कानून होगी और उसके पीछे भारत सरकार की वैध अनुमति होगी। दूसरी ओर यदि यह संधि दूसरे प्रकार की

संधि है, तो उसके पीछे कोई भी वैध अनुमति नहीं होगी। इसकी अनुमति राजनीतिक अनुमति होगी। कोई भी संधि उस संविधान को दबा नहीं सकती जिसे राष्ट्रीय सरकार ने बनाया है और जिसका स्पष्टतया डोमिनियन स्टेटस से विरोध है, जैसा कि आयरिश फ्री स्टेट के बारे में पाया गया था। इस संधि के पीछे केवल राजनीतिक अनुमति होगी। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की अनुमति का प्रयोग सरकार की प्रकृति और लोक मत की अवस्था पर निर्भर करता है।

यदि इस तथ्य को मान लिया जाए तो इससे दो प्रश्न उभरते हैं:- (1) महामहिम की सरकार के पास संधि के दायित्वों को लागू करने के लिए क्या उपाय हैं? (2) क्या महामहिम की सरकार भारतीय राष्ट्रीय सरकार से इस संधि की शर्तों को मनवाने के लिए इन उपायों द्वारा दबाव डालने को तैयार होगी? पहले प्रश्न के संबंध में यह स्पष्ट है कि इस संधि को प्रभावी बनाने के दो उपाय हैं- बल का प्रयोग तथा व्यापार युद्ध। जहां तक सैनिक शक्ति का प्रश्न है, भारतीय सेना उपलब्ध नहीं होगी। यह पूर्णतया नवीन भारतीय राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में स्थानांतरित कर दी जाएगी। अतः महामहिम की सरकार इस संधि के लागू किये जाने के उपायों से वंचित होगी। यह विश्वास करना असंभव है कि महामहिम की सरकार संधि के अनुपालन के लिए राष्ट्रीय सरकार को दबाने हेतु अपनी सेना भेजेगी। व्यापार युद्ध भी संभव नहीं है। यह घातक नीति है। भू-वृत्तियों की वसूली के लिए आयरिश स्वतंत्र देश के साथ आयरिश युद्ध का अनुभव प्रकट करता है कि दूकानदारों का राष्ट्र इसकी अनुमति नहीं देगा चाहे यह उनके हित तथा प्रतिष्ठा के लिए ही क्यों न हो।

इसलिए दलितों के लिए यह संधि खोखली है और उनके प्रति एक क्रूर मजाक है। महामहिम की सरकार ने इन प्रस्तवों को भेजा है ताकि भारतीय इनका स्वागत कर सकें। परंतु न तो महामहिम की सरकार और न सर स्टफोर्ड क्रिप्स ने इस बात की कोई व्याख्या दी है कि ऐसे प्रस्तावों को भारतीयों के लिए क्यों भेजा गया जिनकी वे कुछ महीने पूर्व भर्त्सना कर रहे थे। एक वर्ष पूर्व महामहिम की सरकार ने कहा था कि वह संविधान सभा की स्वीकृति नहीं देगी क्योंकि यह अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय होगा। अब महामहिम की सरकार संविधान सभा की स्वीकृति के प्रति अन्याय के लिए तैयार है। एक वर्ष पूर्व महामहिम की सरकार ने कहा था कि वह पाकिस्तान की अनुमति नही देगी क्योंकि इससे भारत परस्पर विरोधी प्रदेशों में विभक्त हो जाएगा। आज वह भारत के विभाजन की अनुमति देने के लिए तैयार है। एक महान साम्राज्य की सरकार कैसे सारी सोच-समझ खो बैठी है? इसके बारे में यही स्पष्टीकरण है कि युद्ध के परिणामस्वरूप महामहिम की सरकार डर गई है। ये प्रस्ताव साहस खो देने का परिणाम हैं। यह डर कितना बड़ा है जिसने महामहिम की सरकार को घेर लिया

है, इसे सरलता से देखा जा सकता है यदि कोई उन मांगों की तुलना करे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने की हैं और इन प्रस्तावों द्वारा उन्हें रियायतें दी गयी हैं। कांग्रेस ने यह मांग की थी कि संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जाना चाहिए। परंतु कांग्रेस ने यह नहीं मांगा था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न संविधान सभा द्वारा केवल बहुसंख्यक मत के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, जब वायसराय ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की मांग में निहित अल्पसंख्यकों को दबाने में भागी नहीं बनेगी, तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने 22 अगस्त, 1940 को आयोजित वर्धा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:

''समिति को इस बात का खेद है कि यद्यपि कांग्रेस ने कभी भी नहीं सोचा था कि अल्पसंख्यकों को दबाया जाए और ब्रिटिश सरकार से ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा, फिर भी ऐसे संविधान के समझौते की मांग का जो उचित रूप से निर्वाचित संविधान सभा के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया जाता, गलत अर्थ लगाकर कि इससे अल्पसंख्यकों को दबाया जा सकता है, प्रगति के लिए भारी अवरोध पैदा कर दिया गया है।'' कार्यकारिणी समिति ने कहा:- ''कांग्रेस ने यह प्रस्ताव किया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संबंधित अल्पसंख्यकों के चुने गए प्रतिनिधियों के साथ समझौता करके पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाना चाहिए।''

इससे यह प्रकट होता है कि कांग्रेस तक ने भी यह मांग नहीं की कि अल्संख्यकों के अधिकारों का निर्णय संविधान सभा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। महामहिम की सरकार ने कांग्रेस को न केवल वह दिया जो उसने नहीं मांगा था, परंतु उसे वह अतिरिक्त अधिकार भी दिया जिससे वह केवल बहुमत द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात का निर्णय कर सके। पाकिस्तान के प्रश्न के संबंध में इसी प्रकार की प्रवृत्ति दृष्टव्य है। मुस्लिम लीग ने इस बात की मांग नहीं की थी कि तत्काल पाकिस्तान की स्वीकृति दी जाए। मुस्लिम लीग ने यही मांगा था कि संविधान के आगामी संशोधन में मुसलमानों को पाकिस्तान के प्रश्न को उठाने से न रोका जाए। वर्तमान प्रस्तावों में यह बात बढ़-चढ़कर कही गयी है और मुस्लिम लीग को स्पष्ट रूप से पाकिस्तान बनाने का अधिकार दिया गया है। ये संवैधानिक प्रस्ताव हैं। ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके द्वारा भारत को एक बड़े गृह युद्ध में ढकेल दिया जायेगा जिसमें हिन्दुओं, मुसलमानों, दलित वर्गो और सिखों में जमकर घमासान होगा। फिर भी सर स्टफोर्ड क्रिप्स महामहिम की सरकार से अनुमति लेकर अथवा अनुमति लिए बिना बड़े दलों और लघु दलों के बीच भेदभाव करते रहे। बड़े दल वे हैं जिनकी अनुमति आवश्यक है। लघु दल वे हैं जिनसे परामर्श करना ही पर्याप्त समझा जाता है। यह नया भेद है। वास्तव में यह पहले महामहिम की सरकार या वायसराय द्वारा की गई घोषणाओं में नहीं था। इस घोषणा में ''भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख तत्वों की

सहमति'' की बात कहीं गई है।

जहां तक दलित वर्गो का संबध है, मैं ऐसी किसी घोषणा से अवगत नहीं हूं जिसके फलस्रूप दलित वर्गों को उससे निचले स्तर पर रखा गया हो जो मुसलमानों को दिया गया था। मैं 10 जनवरी, 1941 को बम्बई में वायसराय के भाषण से एक उद्धरण देता हूं जिससे यह विदित हो जाएगा कि दलित वर्गो को मुसलमानों के साथ रखा गया था।

''अल्पसंख्यकों के बारे में लगातार दावे किए जाते हैं। मैं उनमें से दो का ही संदर्भ देना चाहता हूं। ये बड़े अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम और अनुसूचित जातियां हैं। गारंटियां अतीत में अल्पसंख्यकों को दी गई थीं- कि उनकी स्थिति की सुरक्षा की जाए और उन गारंटियों को निभाया जाए।''

इस पक्षपातपूर्ण भेद से जो अब किया गया है उससे अल्पसंख्यकों की स्थिति गिरती है और संवैधानिक दृष्टिरोध से यह उनके विरूद्ध हानिकारक भेदभाव है। पारस्परिक युद्ध से देश के प्रति अनादर और गद्दारी की भावना फैलेगी। यह बात ब्रिटिश सरकार के लिए विचारणीय है कि क्या उन लोगों की मित्रता प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिन्होंने शायद पहले ही अन्य मित्रों के चयन करने का निर्णय कर लिया है क्योंकि इससे वह उन लोगों को खो बैठेगी जो उसके वास्तविक मित्र हैं। इन प्रस्तावों में महामहिम सरकार की ओर से आकस्मिक परिवर्तन दिखाई देता है। उसके द्वारा उन प्रस्तावों का रखा जाना जिनको उसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर आक्रमण कहा था, इस बात का संकेत है कि उसने ताकत के आगे पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया है। यह म्यूनिख-मानसिकता है, इसका सार यह है कि अन्य व्यक्तियों का बलिदान करके स्वयं को बचाया जाए। यही वह मानसिकता है जो उन प्रस्तावों में स्पष्ट झलकती है। मेरी ब्रिटिश सरकार को यह सलाह है कि वह उन प्रस्तावों को वापस ले ले। यदि वह अधिकारों तथा न्याय और अपने वादों के लिए लड़ नहीं सकती तो उसे चाहिए कि वह शांति ही बनाए रखे। इस प्रकार वह कम से कम अपना सम्मान तो बचा सकती है।

4

*मार्केस ऑफ लिनलिथगो का श्री एमरी को तार

तार, एमएसएस, इयूआर, एफ. 125/23

1 जुलाई, 1942

अति तत्काल

निजी और व्यक्तिगत

संख्या 1968–एस–0 आपका निजी और व्यक्तिगत तार संख्या 799@ दिनांक 1 जुलाई। मैं चाहूंगा कि (क) पैरा 4 में अलग घोषणा के रूप में यह घोषणा की जाये, और इसके साथ (ख) निम्नलिखित शब्दों में एक विज्ञप्ति जारी की जाये:–

> महामहिम सम्राट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कार्यकारी परिषद् में सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर, डॉक्टर बी.आर.अम्बेडकर, सर ई.सी. बेंथाल, सर जोगेन्द्र सिंह, सर जे.पी. श्रीवास्तव और सर मोहम्मद उस्मान को नियुक्त करने का अनुमोदन दिया है।

गवर्नर जनरल ने विभागों के लिए निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं:–

> स्वर्गीय राइट ऑनरेबल सर अकबर हैदरी के स्थान पर सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर ''सूचना'' के प्रभारी सदस्य। स्वर्गीय डॉ. राघवेन्द्र राव के स्थान पर सर जे.पी. श्रीवास्तव ''नागरिक सुरक्षा'' के प्रभारी सदस्य।
>
> ''संचार'' के पूर्व प्रभारी सदस्य सर एंड्रयूक्लो के असम का गवर्नर बना दिए जाने पर, क्रमशः सर ई.सी. बेन्थाल और सर मोहम्मद उस्मान को ''युद्ध परिवहन'' तथा ''डाक और वायु'' का प्रभारी सदस्य।
>
> सर फीरोज खां नून को रक्षा का प्रभारी सदस्य।

---

*द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर, खंड 2, संख्या 211, पृ. 300–01

@ संख्या 206

सर रामास्वामी मुदालियर की युद्ध मंत्रिमंडल में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त पर उनके स्थान पर श्री एन.आर. सरकार को वाणिज्य का प्रभारी सदस्य।

श्री सरकार के स्थान पर सर जोगेन्द्र सिंह को शिक्षा, स्वास्थ्य और भूखंडों के विभाग का प्रभारी सदस्य।

श्री फीरोज खां नून के स्थान पर श्रम विभाग के प्रभारी के रूप में डॉ.बी. आर. अम्बेडकर।

महामहिम कमांडर-इन चीफ के विभाग को भविष्य में ''युद्ध'' विभाग कहा जाएगा।

नए रक्षा सदस्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस समय रक्षा समन्वय विभाग द्वारा जो कार्य सम्पन्न किया जाता है उसका निर्वहन करें और इसके साथ-साथ भारत की सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य मामलों को भी देखें जो ''युद्ध'' और ''नागरिक रक्षा'' में सम्मिलित नहीं हैं।

7

युद्ध मंत्रिमंडल आलेख डब्ल्यू.पी (42) 283

एल/पी और जे/8/510: एफएफ 407–16

6 जुलाई, 1942

भारत मिशन पर रिपोर्ट

*लार्ड प्रीवी सील द्वारा ज्ञापन

मेरे विचार में यह वांछनीय है कि सरकारी रिकार्ड के लिए तथा भविष्य में भारत के इसी प्रकार के मिशन की सहायता के लिए मैं उस विचार–विमर्श का ब्यौरेवार लेखा–जोखा प्रस्तुत करूं जो हाल ही में मेरी भारत यात्रा के दौरान भारतीय नेताओं के साथ हुआ था।

* * *

**(च) दलित वर्ग

मैंने 30 मार्च को दलित वर्गों के नेता डॉक्टर अम्बेडकर और श्री राजा से भेंट की। उन्होंने यह बताया कि पूना पेक्ट@ द्वारा आरोपित प्रान्तीय विधान सभाओं में दलित वर्गों

---

*द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर, खंड 2, संख्या 227, पृष्ठ 336–37

** द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर, खंड 2, संख्या 227, पृष्ठ 336–37 डॉक्टर अम्बेडकर से ही संबंधित अंश को यहां दिया गया है–संपादक

@ हिन्दू और दलित वर्ग के नेताओं के बीच पूना पेक्ट में 4 अगस्त, 1932 (देखिए नोट II) के कम्यूनल एवार्ड को संशोधित किया। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे: 71 सीटों के स्थान पर 148 सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की जानी थी परंतु उन्हें प्रतिनिधियों का चुनाव संयुक्त रूप से सवर्ण हिन्दू और दलित वर्ग के मतदाताओं द्वारा किया जाना था; फिर भी संयुक्त निर्वाचन मंडल का चुनाव उन चार उम्मीदवारों के पैनल तक ही सीमित रखा गया था जिनका कि प्राथमिक चुनाव में चयन कर लिया गया था और जिसमें केवल दलित वर्ग के मतदाता ही भाग ले सकते थे। यह पेक्ट गांधी जी के दबाव से किया गया था (उस समय गांधी जी पूना की जेल में थे)। गांधी जी ने दलित वर्गों को हिन्दू समुदाय का सदस्य माना था तथा उनके लिए अलग निर्वाचन–क्षेत्र का विरोध किया था। उन्होंने आमरण अनशन (20 सितम्बर से प्रारंभ) की धमकी दी यदि उनकी आपत्तियों के अनुकूल कम्यूनल एवार्ड में परिवर्तन नहीं किया गया। इस ऐक्ट पर 24 सितम्बर को निर्णय किया गया तथा महामहिम सरकार की सहमति 26 सितम्बर, 1932 को घोषित की गई।

के प्रतिनिधियों के चुनाव की वर्तमान पद्धति के अधीन दलित वर्गों को संविधान सभा में बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा क्योंकि संविधान सभा के अधिकांश तथाकथित सदस्य कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हमने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों से दलित वर्गों को एक अल्पसंख्यक वर्ग माना है। मैंने उत्तर दिया कि हमने यह माना है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनकी सुरक्षा के लिए संधि में किस प्रकार के प्रावधान रखने की संभावना है। मैंने बताया कि ये प्रावधान लीग ऑफ नेशन्स की अल्पसंख्यकों की संधियों के आधार पर होंगे और यदि इन्हें संविधान में विशेष उपबंध बनाया जाता है तो संभवतः इन्हें संधि में दोहराया जाएगा और विवाद के मामले में शायद किसी बाह्य प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और भारत सरकार इस प्रकार दिए गए निर्णयों का पालन करेगी। यदि भारत सरकार ऐसा करने में असफल रही तो इसे संधि का उल्लंघन माना जाएगा और ब्रिटिश सरकार ऐसे कदम उठा सकेगी जैसा वह विशेष परिस्थितियों में युक्ति -संगत समझे। मैंने कहा कि यद्यपि यह सुरक्षा का स्वरूप उन्हें अपर्याप्त प्रतीत हो सकता है, तथापि भारत में आत्म-निर्णय के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए, तो यही एक संभव उपाय है।

अगले दिन डॉक्टर अम्बेडकर और श्री राजा ने मुझे लिखा और बताया कि दलित वर्गों के लिए ये प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि वे इन्हें हिन्दू राज की न मिटने वाली पद्धति का भाग समझते हैं तथा वे यथाशक्ति इन प्रस्तावों का विरोध करेंगे। उन्होंने हमसे निवेदन किया कि उनकी चिंता को महामहिम सरकार तक पहुंचा दिया जाए तथा उन्हें इस बात से अवगत करा दिया जाए कि दलित वर्ग इसे विश्वास-भंग समझेंगे यदि महामहिम की सरकार उन पर ऐसा संविधान आरोपित करेगी जिसके लिए उनकी मुक्त और स्वैच्छिक अनुमति नहीं दी गई है तथा इसमें वे उपबंध निहित नहीं हैं जो उनके हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

8

*मार्केस ऑफ लिनलिथगो का श्री एमेरी को तार

तार, एमएसएस, ईयूआर, एफ. 125/23

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1942, 5–35 बजे अपराह्न

प्रात: 23 जुलाई, 5–30 अपराह्न

तत्काल

संख्या 2169–एस ल्यूमले द्वारा प्रेषित, दिनांक 22 जुलाई:–

प्रारंभ–अम्बेडकर ने गत रात एक सशक्त भाषण दिया जिसमें उन्होंने ऐसे समय में नागरिक अवज्ञा आंदोलन को ''भारत के प्रति विश्वासघात'' और ''शत्रु जैसा व्यवहार'' बताया तथा सभी भारतीयों को देशभक्त का कर्त्तव्य निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि ''वे अपनी समस्त शक्ति और साधनों से कांग्रेस द्वारा नागरिक अवज्ञा आंदोलन के चलाने के प्रयत्न का विरोध करें।''

उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह दिल्ली जाने से पूर्व एक वक्तव्य जारी करेंगे जिसमें ऐसी नीति प्रख्यापित की जाएगी जिसका अनुसरण स्वतंत्र श्रम दल और अन्य सहयोगी संगठनों को अवश्य करना चाहिए। उन्होंने श्रोताओं (अपने अनुयायियों) से कहा कि वे इस वक्तव्य का अध्ययन करें और उसमें निहित निदेशों का पालन करें। *समाप्त*

---

*द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर, खंड 2, संख्या 310, पृष्ठ 436

9

*मार्केस ऑफ लिनलिथगो का श्री एमेरी को तार

तार, एमएसएस, ईयूआर, एफ. 125/23

23 अक्तूबर, 1942

तत्काल

संख्या 47-क्यू.सी मेरा तार संख्या 46-क्यू.सी.

(क) परिषद के सदस्यों से प्राप्त तार इस प्रकार है:

प्रारंभ- हमने बहुत आश्चर्य से वह वक्तव्य@ पढ़ा है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाऊस ऑफ कामन्स, द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ''वर्तमान यूरोपीय सदस्यों को इसीलिए ही बने रहने दिया गया है कि भारत सरकार को इन स्थानों के लिए योग्य भारतीय खोजना कठिन कार्य है। यदि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वक्तव्य के बारे में दी गयी रिपोर्ट सही है तो हम पूरी तरह से उससे असहमत हैं। हमरी सुसम्मत राय है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है कि भारत सरकार के किसी भी पद के लिए उपयुक्त भारतीयों का मिलना कठिन हो और हमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यह याद दिलाना है कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए होते तो आज केन्द्र में पूर्णतया भारत सरकार होती जिसे बहुत अधिकार होते। हमें यह भी कहना है कि यह वक्तव्य तथ्यों से बिल्कुल परे है और भारतीयों के प्रति अपमानजनक है और महामहिम से हमारी प्रार्थना है कि विचार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बता दिए जाएं। हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इस घोषणा की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वह इन परिस्थितियों में कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए तथा यह पूछने के लिए तैयार नहीं हैं कि क्या भारत सरकार के सदस्य भी इस नीति में

---

* द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर, खंड 3, संख्या 116, पृ 153

@ इस तार में उल्लिखित श्री एमेरी तथा लार्ड साइमन के वक्तव्यों के पाठ के लिए देखिए संख्या 119

आते हैं और क्या उनकी इस मामले में कुछ राय है। इस संबंध में लर्ड साइमन का वह वक्तव्य महत्वपूर्ण है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के सदस्यों का स्थान सलाहकारों जैसा है। महामहिम को इस ज्ञापन द्वारा हम ऐसे समय कष्ट नहीं देते जब आप यात्रा पर निकले हुए हैं, परंतु हमारी यह दृढ़ धारणा है कि इस प्रकार के वक्तव्य से हमारी स्थिति बहुत कठिन हो गई है। समाप्त

ऊपर दिया गया तार मोद, सुल्तान अहमद, एनी, सरकार, अम्बेडकर, श्रीवास्तव और जोगेन्द्र सिंह ने भेजा है।

10
*डॉक्टर अम्बेडकर का मार्केस आफ लिनलिथगो को पत्र

एमएसएस. ईयूआर. एफ. 125/24

नई दिल्ली 29 अक्तूबर, 1942

प्रिय लार्ड लिनलिथगो,

आपके साथ दूसरे साप्ताहिक साक्षात्कार के दौरान, मैंने आपको बताया था कि अनुसूचित जातियों की दशा अत्यंत असंतोषजनक है और केन्द्रीय सरकार ने वह सब कुछ नहीं किया जिसके बारे में मैंने सोचा था कि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार को करना जरूरी है। इस बारे में आपने कृपया मुझसे कहा कि आपके विचारार्थ एक ज्ञापन तैयार किया जाए जिसमें अनुसूचित जातियों की शिकायतें और उन्हें दूर करने के उपाय प्रस्तुत किए जाएं। वे सभी बातें आपको याद होंगी। वास्तव में आपने ही मुझे बार-बार स्मरण दिलाया कि क्या ज्ञापन तैयार है। जब से मैंने कार्यभार संभाला है तब से मुझे कार्य में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, और इसलिए मैं ज्ञापन तैयार करने के कार्य की वरीयता न दे सका यद्यपि मैं चाहता था कि यह कार्य जल्द सम्पन्न किया जाए। फिर भी मैं प्रसन्न हूं कि आखिर आपके विचारार्थ ज्ञापन प्रस्तुत कर सका हूं।

2. दुर्भाग्यवश, यह ज्ञापन@ अधिक लम्बा आलेख हो गया है। मेरे सामने यह विकल्प था कि इस ज्ञापन में केवल शिकायतों को संक्षेप में दोहराया जाए तथा उनके दूर करने के उपाय बता दिए जाएं अथवा इसे इतना विस्तृत बनाया जाए कि इसमें न केवल शिकायतें हों अपितु उनके दूर करने के उपाय सुझाए जाएं और उन्हें तर्कसम्मत बना कर अभिव्यक्त किया जाए। ऐसा करते समय मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि ज्ञापन में दी गई शिकायतें और उनके दूर करने के उपाय विभिन्न विभागों को उनका मत जानने के लिए भेजे जाएंगे, और जब तक ज्ञापन में तर्क न हो तब तक

---

* द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर, खंड 3, संख्या 125, पृ. 165.-68

@ इस खंड के भाग 2 के सेक्शन 1 में ज्ञापन को सम्मिलित किया गया है-संपादक

शिकायतों को दूर करने के उपायों को कठिनाई से स्वीकार किया जा सकेगा।

3. सुविधा की दृष्टि से मैं आगे उन शिकायतों और उनके दूर करने के उपायों की रूपरेखा दे रहा हूं जो इस ज्ञापन के साथ संलग्न हैं:-

4. मैं यह सारांश इसलिए दे रहा हूं कि मैं अनुभव करता हूं कि आपके लिए यह संभव नहीं होगा कि आप पूरे ज्ञापन का अध्ययन करने का समय निकाल सकें। परंतु यदि आप पूरा ज्ञापन पढ़ नहीं पाते, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कम से कम ज्ञापन के भाग IV(पृष्ठ 32-36) का अध्ययन अवश्य करें। ज्ञापन के उस भाग में मैंने अनुसूचित जातियों और एंग्लो-इंडियनों की दशा का तुलनात्मक विवरण दिया है तथा उसे बेहतर बनाने के प्रयत्नों का उल्लेख किया है। मैं आपसे उसके अध्ययन के लिए निवेदन करता हूं क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि आप उसके अवलोकन से यह पाएंगे कि वे मांगे कितनी न्यायपूर्ण और सामान्य हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है तथा भारत सरकार ने उस वर्ग को ऊंचा उठाने में क्या किया है। इस मामले में अनुसूचित जातियों से बढ़कर किसी अन्य जाति का दुर्भाग्य नहीं है।

5. मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आशा करता हूं कि आपके जाने से पूर्व अनुसूचित जातियों की शिकायतों का समाधान हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करिए कि मैंने बड़े दुःख के साथ यह पढ़ा है कि आप आगामी अप्रैल में अपने कार्यालय को छोड़ देंगे। मुझे इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है कि आपका उत्तरदाधिकारी कौन होगा और वह अनुसूचित जातियों के प्रति कैसा रूख अपनाएगा। आपमें मेरा बहुत विश्वास है कि आप अनुसूचित जातियों के हितकारी हैं। आपने उनके लिए यह महान कार्य किया है कि उनके प्रतिनिधि को कार्यकारी परिषद् में एक स्थान दिला दिया है। यह अत्यन्त क्रांतिकारी कार्य है जिसका कोई अन्य उदाहरण भारत के इतिहास में नहीं मिल सकता। मुझे कोई संदेह नहीं है, और अनुसूचित जातियों के

किसी सदस्य को भी संदेह नहीं है, कि यदि आप अनुसूचित जातियों की शिकायतों को जान जाएं तो आप उन्हें ठीक करने में कभी भी नहीं झिझकेंगे। इसी विचार के दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं ऐसी व्यक्ति से अनुसूचित जातियों के लिए न्याय चाहता हूं जो उनके लिए न्याय की आवश्यकता को समझाते है। मैं जानता हूं कि आप में ऐसा करने की इच्छा शक्ति है और आप इस काम को पूरा करने के लिए अपने उत्तराधिकारी पर नहीं छोड़ेंगे जिसे आप स्वयं करना चाहते हैं और जिसे आप कर सकते हैं। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपके इस न्यायपूर्ण कार्य करने के लिए मैं स्वयं और अनुसूचित जातियों के 5 करोड़ लोग आपके सदैव आभारी रहेंगे।*

भवदीय

बी.आर. अम्बेडकर

* डॉक्टर अम्बेडकर ने लार्ड लिनलिथगो को 8 जनवरी, 1943 के पत्र के साथ एक और भी ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि दलित वर्गो की दृष्टि से संविधान सभा के विरूद्ध तर्क इस ज्ञापन में दिया गया है और ऐसे प्रश्न उठाए हैं जिनके बारे में दलित वर्गो ने उनसे यह चाहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से आश्वासन प्राप्त किया जाए। एमएसएस ईयूआरएफ 125/125 देखिए संख्या 336 पैरा 9

11
*वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में हुई बहस का सारांश

संख्या 298 का अनुलग्नक

दिसम्बर, 1942

वायसराय ने प्रारंभ में स्पष्ट किया कि यह विचार-विमर्श आवश्यक रूप से अनौपचारिक आधार पर था तथा इसका विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रभाव नहीं पड़ता, और तत्पश्चात संक्षेप में तथा वस्तुपरक रूप से उन तीन पक्षों पर प्रकाश डाला जो उन्होंने अग्रिम रूप से वांछनीय समझेः-

(क) परिषद् के पूर्ण भारतीयकरण की व्यवस्था,

(ख) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नियंत्रण और हस्तक्षेप की शक्तियों का दूर किया जाना अथवा कम किया जाना, और

(ग) धारा 93 के प्रावधानों में प्रशासन की विशुद्ध सरकारी प्रकृति का दूर किया जाना। इसके बाद आम खर्चा प्रारंभ हुई।

डॉक्टर अम्बेडकर (श्रम सदस्य) कोई भी परिवर्तन उस समय तक किए जाने के विरोधी थे जब तक कि वे अगस्त 1940* की घोषणा के अनुसार न हों (जिसमें महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों से विचार-विमर्श करने की व्यवस्था थी) इसके अधीन ही वे परिवर्तन के पक्ष में थे क्योंकि जिस किसी चीज की आवश्यकता थी, वह थी एक सशक्त सरकार, अर्थात् ऐसी सरकार जिसके पीछे लोकमत हो। प्रांतों में मंत्रिमंडलीय सरकार सर्वोत्तम थी चाहे वह केवल अल्पसंख्यक सरकार ही क्यों न हो। सलाहकारों की अपेक्षा कार्यकारी परिषद् अधिक अच्छी होगी। जहां तक केन्द्र की बात है, स्वयं भारतीयकरण अपने आप में कांग्रेस को संतुष्ट नहीं करेगा और उन्हें रूष्ट कर देगा, और क्या गैर-कांग्रेस तत्व संतुष्ट किए जाने योग्य थे? भारतीयकरण होने से पूर्व

---

* ट्रान्सफर ऑफ पॉवर, खंड 3 (संख्या 298 का अनुलग्नक) पृष्ठ 246 (डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित उद्धरण यहां दिए गए हैं)। शेष विचार-विमर्श छोड़ दिया गया है- संपादक

परिषद् का समुदायवार गठन तय किया जाना चाहिए और भारतीय स्वयं इस बात को सुनिश्चित करें। कांग्रेस ने इस समस्या की अनदेखी कर दी है; उसमें समाधान करने की इच्छा शक्ति नहीं है। उनका सुझाव यह था कि क्रिप्स के प्रस्तावों को एक आधार के रूप में स्वीकार किया जाए तथा उन्हें ऐसी राष्ट्रीय सरकार के आधार पर देखा जाए जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, दलित वर्ग, सिख और ईसाइयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। परिषद् के भारतीय सदस्य एक साथ बैठें और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की योजना तैयार करें। यद्यपि उन्होंने सुदूर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अपेक्षा तानाशाह वायसराय को ज्यादा पसंद किया, तथापि वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियों में हस्तक्षेप करने के लिए दबाव नहीं डालेंगे।

12
*फील्ड मार्शल वाइकाउंट वेवल का श्री एमरी को तार

तार, एल/पी और जे/8/522: एफ 198

नई दिल्ली, 7 जून, 1945, 7.55 बजे अपराह्न

प्राप्त 7 जून, 10 बजे अपराह्न

तत्काल

970-एस सुपरिटेंडेंट सिरीज।

अम्बेडकर, श्रीवास्तव और खरे ने आज सुबह संयुक्त टिप्पणी@ प्रस्तुत की जिसमें सवर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों की प्रस्तावित समानता के विरूद्ध आपत्ति प्रकट की तथा इस बात पर बल दिया कि महामहिम सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव हिन्दुओं और अनुसूचित जातियों दोनों के लिए अनुचित हैं। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि सवर्ण हिन्दुओं का मुसलमानों और अनुसूचित जातियों से अधिक बहुमत है, अत: उनके लिए एक सदस्य से अधिक सदस्य होने चाहिए। वे यह कहते हैं कि उनके विचार महामहिम सरकार तक प्रेषित किया जाएं।

2. इसका छोटा सा उत्तर यह है कि महामहिम की सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव केवल अंतरिम व्यवस्था है और इस समय मुख्य उद्देश्य यह है कि पार्टियों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। मैं अपने सरकारी तारों में पहले अभिव्यक्त किए गए विचारों में संशोधन करने का कोई कारण नहीं समझता।

---

* द ट्रान्सफर ऑफ पॉवर, खंड 5, संख्या 482, पृष्ठ 1094

@ यह टिप्पणी 'वेवल के पत्र, राजनीतिक श्रृंखला' में छपी अप्रैल, 1944 से जुलाई, 1945, भाग 1, पृष्ठ 209-10

13
*डॉक्टर अम्बेडकर का फील्ड मार्शल वाइकाउंट वेवल को पत्र

वेवल के पत्र, राजनीतिक श्रृंखला, अप्रैल 1944–जुलाई 1945, भाग 1, पृष्ठ 207–9

नई दिल्ली 7 जून, 1945

प्रिय लार्ड वेवल,

मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझसे अनुसूचित जातियों के नेता होने के नाते इस सम्मेलन का सदस्य बनने के लिए कहा है ताकि आप कार्यकारी परिषद् के भारतीयकरण के अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकें। मैंने इस बारे में कारण बताए हैं, जिन्हें मैं यहां दुहराना नहीं चाहता, कि मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। तत्पश्चात, आपने मुझसे चाहा कि मैं कोई स्थानापन्न व्यक्ति का सुझाव प्रस्तुत करूं। यद्यपि मैंने आपके प्रस्तावों के बारे में अपनी असहमति प्रकट कर दी है, मैं आपकी ऐसी सहायता करने से इनकार नहीं करता जो आपको अपने सम्मेलन में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि की उपस्थिति से मिल सकती है। अतः मैं एक स्थानापन्न व्यक्ति का सुझाव देने के लिए तैयार हूं। मेरी समझ में जो विभिन्न व्यक्ति आते हैं, उनकी उपयोगिता को देखते हुए मैं राय बहादुर एन. शिवराज, बी.ए., बी. एल. के सिवाय और किसी का नाम नहीं सोच सकता। वे अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों के संघ के अध्यक्ष हैं तथा केन्द्रीय विधान सभा और राष्ट्रीय रक्षा परिषद् के सदस्य हैं। यदि आप चाहें तो आप उन्हें अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं।

2. एक अन्य मामला भी है जिसके बारे में मैं यह महसूस करता हूं कि तत्काल आपका ध्यान आकर्षित करूं। इसका संबंध इस मुद्दे से है कि कार्यकारी परिषद् के पुनर्निर्माण के लिए महामहिम सरकार के प्रस्तावों में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व

* ट्रान्सफर ऑफ पॉवर, भाग 5, संख्या 483, पृष्ठ 1094–97

नहीं दिया गया है। नौ करोड़ मुसलमानों को पांच सीटें, पांच करोड़ अछूतों को एक सीट तथा 60 लाख सिखों को एक सीट देना राजनीतिक गणित में ऐसा विचित्र और दोषपूर्ण कृत्य है जो न्याय तथा सामान्य बुद्धि के मेरे विचारों के बिल्कुल विपरीत है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। यदि आवश्यकताओं की दृष्टि से विचार किया जाए तो अछूतों को उतना ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जितना मुसलमानों को दिया जाता है, चाहे इससे अधिक न हो। आवश्यकताओं को एक ओर छोड़ दिया जाए और अछूतों की जनसंख्या पर ही ध्यान दिया जाए तो भी उन्हें कम से कम तीन सदस्यों के स्थान मिलने चाहिए। इसके बजाय उन्हें पन्द्रह सदस्यों की परिषद् में केवल एक स्थान दिया गया है। यह असहनीय स्थिति है।

यह एक ऐसा मामला है जिसकी ओर आपका ध्यान 5 जून को आयोजित कार्यकारी परिषद् की बैठक में आकर्षित किया गया था, जब आपने परिषद् में महामहिम की सरकार के प्रस्तावों की व्याख्या की थी। छः तारीख की प्रातःकालीन बैठक में आपने उन आलोचनाओं का उत्तर दिया था जिन्हें परिषद् के सदस्यों ने प्रस्तावों की गुणवत्ता के बारे में पूर्व संध्या को उठाया था। स्वाभाविक रूप से मुझे आशा थी कि आप उस मुद्दे पर विचार करेंगे जो मैंने उठाया था। परंतु मुझे आश्चर्य है कि आपने पूर्णतया उसकी अवहेलना कर दी और उसके बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। ऐसी बात नहीं है कि मैने पर्याप्त जोर नहीं दिया। मैंने पूरा जोर देकर अपनी बात कही थी। इससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि या तो आपने इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना यह था, अथवा आपने यह सोचा कि अपना विरोध जाहिर करने के अलावा मेरा कोई अन्य इरादा नहीं था। मुझे इस धारणा को हटाना है और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको यह बतलाना है कि यदि महामहिम की सरकार इस गलती को दूर करने में असफल रही तो मैं निश्चित कार्यवाई करूंगा और इसीलिए आपको यह पत्र लिखने की आवश्यकता महसूस करता हूं।

मुझे कभी भी दुःख महसूस नहीं होता यदि इस प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस या हिन्दू महासभा से प्राप्त होता। परंतु यह महामहिम की सरकार का निर्णय है। यहां तक कि सामान्य हिन्दू मत विधान सभा और कार्यपालिका में अनुसूचित जातियों के अधिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में है। सप्रू समिति के प्रस्तावों में सामान्य हिन्दू मत का संकेत मिलता है। महामहिम की सरकार का प्रस्ताव प्रतिगामी ही समझा जा सकता है। सप्रू समिति ने कहा है:-

> ''भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट) में सिखों और अनुसूचित जातियों को दिया गया प्रतिनिधित्व अपर्याप्त और अन्यायपूर्ण है तथा उसमें पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। उनके प्रतिनिधित्व की बढ़ी मात्रा

का निर्णय संविधान-निर्माण सभा पर छोड़ दिया जाना चाहिए।''

''खंड (ख) के उपबंधों के अधीन संघ की कार्यपालिका तभी पूर्ण मंत्रिमंडल होगी जब निम्नलिखित समुदायों का उसमें प्रतिनिधित्व हो, अर्थात्:-

(i) अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त हिन्दू।

(ii) मुसलमान।

(iii) अनुसूचित जातियां।

(iv) सिख।

(v) भारतीय ईसाई।

(vi) एंग्लो-इंडियन।

''(ख) कार्यपालिका में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व यथासंभव विधान सभा में उनकी संख्या का प्रतिबिंब होगा।''

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कार्यकारी परिषद् के मेरे दो हिन्दू साथियों ने एक ज्ञापन आज सुबह आपको प्रस्तुत किया है* जिसमें उन्होंने कहा है कि महामहिम की सरकार के प्रस्तावों में अनुसूचित जातियों के लिए जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, वह अपर्याप्त और अनुचित है। मुझे इस बात से आघात पहुंचा है कि महामहिम की सरकार सभी मामलों में अनुसूचित जातियों की न्यासधारी है परंतु फिर भी अपनी अनवरत दुहराई गई घोषणाओं के बावजूद इन जातियों के प्रति अनुदार, अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीका अपनाया गया है जो उस स्थिति से भी बदतर है जो प्रबुद्ध हिन्दू मत ने पैदा की है। इसलिए मैं अपना अनिवार्य पवित्र कर्त्तव्य समझता हूं कि अपनी शक्ति में प्रत्येक साधन द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध करूं। यह प्रस्ताव अछूतों के लिए मौत का पैगाम है जिसमें उनकी मुक्ति के गत 50 वर्षों के प्रयत्नों पर पानी फेर दिया गया है। चाहे कुछ भी क्यों न हो, यदि महामहिम की सरकार अपनी अनेक घोषणाओं के बावजूद अछूतों के भाग्य को हिन्दू-मुसलमानों को मिलाकर उनकी दया पर छोड़ना चाहती है तो महामहिम की सरकार भले ही ऐसा कर ले परंतु मैं अपने ही लोगों के दमन में भागीदार नहीं बन सकता। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महामहिम की सरकार से यह कहूं कि इस भूल को ठीक करें और अछूतों को कार्यकारी परिषद् में कम से कम तीन स्थान दिलाएं। यदि महामहिम की सरकार इसका अनुमोदन करने को तैयार नहीं है तो महामहिम की सरकार को यह जानता चाहिए कि मैं नव-गठित कार्यकारी परिषद् का सदस्य नहीं बन सकता चाहे मुझे इसमें कोई भी स्थान दिया जाए।

* देखिए संख्या 482 (ट्रांसफर ऑफ पॉवर)

अछूत कुछ समय से अपने राजनीतिक अधिकारों की पूर्ण मान्यता के लिए लालायित हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वे महामहिम के निर्णय से स्तब्ध रह जाएंगे। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि सभी अनुसूचित जातियां इसके विरोध में निर्णय लें कि उन्हें नई सरकार से कुछ लेना–देना नहीं है। मेरा विश्वास है कि उनका भ्रम हटने पर रास्ते अलग–अलग हो जाएंगे। यही ऐसी बात है जिसका मैं अनुमान करता हूं कि महामहिम के प्रस्तावों का परिणाम होगा, यदि उन प्रस्तावों को संशोधित न किया गया। जहां तक मेरी बात है, मैंने अपना निर्णय कर लिया है। मुझसे यह कहा जाएगा कि यह इसका अंतिम रूप नहीं है, कि यह एक अंतरिम समझौता है। मैं राजनीति में काफी समय से रहा हूं और यह जानता हूं कि एक बार दी गई रियायतें निहित अधिकारों में बदल जाती हैं तथा एक बार किए गए गलत समझौते किस प्रकार भावी समझौतों के लिए पूर्व दृष्टांत बन जाते हैं। इसलिए मैं इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यदि मुझे ठीक बात के निर्णय करने की समझ है तो मेरा अनुमान है कि प्रारंभ की गई अस्थायी व्यवस्था के रूप में सीटों का विभाजन अंत में स्थायी हो जाएगा। इसके बजाय कि अंत में पछतावा करूं, मैं महसूस करता हूं कि प्रारंभ में ही इसके विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करा दूं।

हो सकता है कि महामहिम की सरकार भावी भारत की सरकार से मेरा और अनुसूचित जातियों का सफाया हो जाने की बात की पर्वाह न करे और इस देश में ब्रिटिश सरकार तथा अनुसूचित जातियों के बीच मार्गों के अलग होने के परिणामों पर उसे खेद न हो, परंतु मेरा विश्वास है कि यह उचित है कि महामहिम की सरकार को यह जानना चाहिए कि मुझे इस विषय पर क्या कहना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महामहिम की सरकार के समक्ष मेरा यह प्रस्ताव रखा जाए कि कार्यकारी परिषद् में अनुसूचित जातियों की सीटें बढ़ा दी जाएं और यह भी कि मेरा प्रस्ताव रद्द होने पर मैं क्या कार्यवाई करूंगा।

भवदीय

बी.आर. अम्बेडकर

14
*फील्ड मार्शल वाइकाउंट वेवल का लॉर्ड पेथिक-लारेंस को पत्र

एल/पी ओ/10/22

निजी और गोपनीय

संख्या 45

वायसराय हाऊस, नई दिल्ली

5 दिसम्बर, 1945

*   *   *

डॉ. अम्बेडकर ने अभी हाल ही में 1946 के बजट सत्र में श्रम कानून बनाने के प्रस्ताव परिषद् को प्रस्तुत किए हैं। उनके एक विधेयक का संबंध कारखाना अधिनियम में संशोधन करना था, अर्थात् काम के प्रति सप्ताह 56 घंटों को घटाकर 50 घंटे करना। इस पर प्रांतीय सरकारों की टिप्पणियां मिलने के बाद, परिषद् द्वारा पुनः विचार किया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव यह है कि न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने का विधेयक प्रस्तुत किया जाए। सभी प्रांतीय सरकारों से इस बारे में परामर्श किया जा रहा है, परंतु यह विधेयक बहुत महत्वाकांक्षी है जिसमें बहुत से उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी नियत करने का प्रयत्न किया गया है। इस अनुसूची में कृषि को भी शामिल किया गया है, यद्यपि भारत के कुल 6,50,000 गांवों में न्यूनतम मजदूरी लागू करने वाला प्रशासनीय तंत्र संभवतः उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। फिर भी, उन उद्योगों में किसी भी दिशा में कार्यान्वित किए जाने वाले विधेयक के प्रस्ताव के लिए परिषद् में सद्भावना थी जहां कठोर परिश्रम से काम करने वाले मजदूर नियुक्त किए जाते है। प्रांतीय सरकारों से परामर्श किया जा रहा है। परिषद ने एक विवादहीन विधेयक स्वीकार किया जिसका संबंध मजदूर मुआवजा अधिनियम को संशोधित करना

---

* ट्रान्सफर ऑफ पॉवर खंड VI, संख्या 268, पृष्ठ 605 डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित केवल पैरा 14 उद्धृत किया गया है। अन्य पैरा छोड़ दिए गए है।–संपादक

था तथा एक दूसरा विधेयक, रोजगार (स्थायी आदेश) विधेयक भी स्वीकार किया ताकि विशाल औद्योगिक स्थापनाओं के कर्मचारी यह जान सकें कि उनकी सेवा की शर्ते क्या हैं। अन्ततोगत्वा, परिषद ने एक प्रस्ताव का अनुमोदन दिया कि मजदूर संघ अधिनियम को संशोधित करने का विधेयक प्रस्तुत किया जाए और उस विधेयक को प्रवर समिति के विचारार्थ भेज दिया गया। यह विधेयक मजदूर संघों की मान्यता नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य बनाता है।

15. बाद की बैठक में, अम्बेडकर ने औद्योगिक कामगारों के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा की समेकित योजना प्रस्तुत की जो समयपूर्व प्रतीत होती है। मैं अम्बेडकर की इस इच्छा के प्रति सहानुभूति रखता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की योजनाएं प्रस्तुत की, परंतु इस विशिष्ट योजना के बारे में उन्हें आवश्यक अंतः विभागीय सहमति नहीं प्राप्त हुई। यह स्पष्ट नहीं था कि सभी प्रांत इस योजना के चिकित्सीय भाग को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनीय प्रबंध करेंगे। परंतु हमें आशा है कि समय के भीतर ही शेष प्रारंभिक कार्य पूरा करा लिया जाएगा। ताकि बजट सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया जा सके तथा लोकमत प्राप्त करने के लिए इसे परिचालित किया जा सके।

15
*मंत्रिमंडल प्रतिनिधियों, फील्ड मार्शल वाइकांउट वेवल और डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच शुक्रवार 5 अप्रैल, 1945 को दोपहर बारह बजे आयोजित बैठक के लिए टिप्पणी

एल/पीएंडजे/5/337:पृष्ठ 83-5

गोपनीय

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वे ज्ञापन पर कुछ और नहीं कहना चाहते† इसकी प्रतियां प्रतिनिधियों को बांट दी गई हैं जिसमें 2 अप्रैल को अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों के संघ ने बैठक में कार्यकारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का पाठ दिया था। इस ज्ञापन के पैरा 5 में उन सुरक्षाओं की सूची दी गई है जिन्हें विशेष रूप से सरकार और लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए बनाया गया था। संघ ऐसा कोई संविधान स्वीकार नहीं करेगा जिनमें ये प्रावधान शामिल नहीं किए गए हों।

पाकिस्तान के प्रश्न पर डॉक्टर अम्बेडकर ने यह संदेह प्रकट किया कि क्या सभी मुसलमान इस नए देश के बन जाने पर वस्तुतः लाभ उठा सकेंगे। इनमें से बहुत से मुसलमान हिन्दुस्तान में रह जाएंगे तथा भारत से बाहर जाने के लिए अनिच्छुक होंगे अथवा देशांतरण करने के लिए असमर्थ होंगे।

उन्होंने शंका प्रकट की कि मुसलमानों के मन में पाकिस्तान का अस्तित्व स्थायी है अथवा अस्थायी है। शायद यह अस्थायी स्थिति है। परंतु यह प्रतीक्षा करना और देखना असंभव था और मुसलमानों की मांग बढ़कर इतनी सशक्त हो गई थी कि यह

---

* ट्रान्सफर ऑफ पॉवर, भाग 7, संख्या 58, पृष्ठ 144-47 एल/पी और में/10/50

† एल/पी एंड जे/ 10/50

‡ बी.आर.अम्बेडकर, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, शंकर एंड कम्पनी, बम्बई (1946)

आवश्यक हो गया था कि इस मांग को किसी न किसी प्रकार पूरा किया जाए। इस विषय पर उन्होंने अपनी पुस्तक‡ में वह प्रस्ताव किया था कि दुविधा का निबटारा ऐसा समाधान को स्वीकार करके किया जाए जैसा कि 1920 में श्री एसक्विथ ने आयरिश समस्या के समाधान सुझाव दिया था कि अलसर को छः वर्ष के लिए शेष आयरलैंड से अलग कर दिया जाए, परंतु देश के दोनों भागों के प्रतिनिधियों की एक परिषद् स्थापित की जाए जो इस अवधि में दोनों भागों के मामलों को निपटाए। छः वर्ष की अवधि के अंत में अलसर को यह चुनना होगा कि दक्षिणी आयरलैंड से अलग रहे अथवा उसके साथ मिल जाए। इसी प्रकार डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्ताव किया कि पाकिस्तान को 10 वर्ष के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और इस अवधि के अंत में यह विदित होगा कि क्या वह आर्थिक रूप से क्षम है। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि पाकिस्तान के लोग उस समय इस बात को इच्छा प्रकट करें कि वे हिन्दुस्तान में शामिल हो जाएंगे, तब उनकी कमजोर स्थिति होगी और मोल-तोल करने वाले सभी मंच दूसरी ओर के होंगे। दस वर्ष की अवधि में एक संयुक्त परिषद् हो सकती है, परंतु यह विशुद्ध रूप से सलाहकार होगी और इसमें कार्यकारी अधिकार नहीं होंगे। मुसलमान इस समय ऐसी मन:स्थिति में हैं कि यदि उन्हें किसी भी अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार में शामिल होने के लिए तैयार कर भी लिया जाए तो ऐसी स्थिति में वे दुर्बल और व्यर्थ सिद्ध होंगे। मुसलमानों की पाकिस्तान की मांग के अतिरिक्त और भी अलगाववादी प्रवृत्तियां मौजूद हैं और केन्द्रीय सरकार केवल ऐसी होनी चाहिए जो सशक्त सरकार हो और देश की अखंडता को बनाए रख सके।

संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के तरीके पर प्रश्न के उत्तर में डाक्टर अम्बेडकर ने कहा कि वह संविधान सभा को बिल्कुल ही नहीं चाहते। इसमें सवर्ण हिन्दुओं का आधिपत्य होगा और अनुसूचित जातियों के लोग कुछ भी न होकर केवल एक छोटा सा अल्पसंख्यक वर्ग होंगे जिन्हें मत द्वारा कभी भी हराया जा सकता है, चाहे विधान सभा के चुनावों में तीन-चौथाई या दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता हो। सुरक्षा के सभी आश्वासन जो महामहिम की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए दिए थे समाप्त हो जायेंगे। इसके अलावा, विधान सभा में भ्रष्टाचार फैलेगा-सदस्यों को अपने समुदायों के हितों के लिए मत देने के लिए खरीदा जाएगा।

उनका अपना प्रस्ताव यह था कि संविधान सभा के लिए जो कार्य सोचे गए थे, उन्हें दो वर्गो में बांटा जा सकता है, अर्थात्-

(क) संवैधानिक प्रश्न, उद्धारणार्थ-विधान सभा और कार्यपालिका के बीच संबंध तथा क्रमशः उनका गठन और कार्य। इन मामलों के बारे में कोई ऐसा विवाद नहीं था जिसने आवेगों को उत्तेजित न किया हो। इनसे जूझना इस प्रकार के व्यक्ति की

मानसिक क्षमता से परे था जिसे प्रांतीय विधान सभाएं भेजने की आशा करती थीं, और जो विशेषज्ञों का कार्य था।

(ख) साम्प्रदायिक प्रश्न।

इन शीर्षकों के प्रथम शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को उस आयोग को सौंपा जाना चाहिए जिसका अध्यक्ष ग्रेट ब्रिटेन अथवा अमेरिका का प्रमुख संवैधानिक विशेषज्ञ हो। अन्य सदस्यों में दो सदस्य भारतीय विशेषज्ञ होने चाहिए तथा उनमें से एक सदस्य हिन्दू और एक मुसलमान समुदाय का होना चाहिए। इस आयोग का विचारार्थ विषय भारत सरकार अधिनियम, 1935 होना चाहिए और इससे यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि विद्यमान अधिनियम में जरुरी परिवर्तनों की सिफारिश दे।

(ख) के अंतर्गत प्रश्नों को विभिन्न समुदायों के नेताओं के सम्मेलन में भेजा जाना चाहिए। यदि सम्मेलन सहमत समाधान पर पहुंचने में असफल रहा तो महामहिम की सरकार को एक पंचाट (एवार्ड) बनाना होगा। यदि उचित हुआ, तो निस्संदेह इसे स्वीकार किया जाएगा।

इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। अनुमान लगाया गया था कि उनकी संख्या छः करोड़ है जबकि यह आंकड़ा सही नहीं था क्योंकि, सर्वप्रथम, राज्यों के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और दूसरे, जनगणना को राजनीति के साथ जोड़ दिया गया था। ये सभी लोग गंभीर दबावों में थे। गांवों में उनके पास भूमि नहीं थी और वे वास्तव में सवर्ण हिन्दुओं के दास थे। हिन्दुओं की शक्ति का उदाहरण लिया जाए तो इस बारे में उन्होंने बताया कि यदि कुछ अछूत लोग गांव छोड़कर सेना में अच्छे वेतन पर काम करने लगते थे तो सवर्ण हिन्दू अपनी शक्ति से ऐसा प्रबंध कर लेते थे कि वे अछूत लोग फिर उनके काम पर आने को मजबूत हो जाएं। सरकारी अधीनस्थ पुलिस और राजस्व सेवाओं में सवर्ण हिन्दूओं की प्रचुरता पहले ही से थी, उन सेवाओं में ब्रिटिश की अपेक्षा विशेषकर हिन्दू काम पर लगाए जाते थे। एक उदाहरण है कि जब से गांधी जी पर पत्थर फेंकने के लिए अछूतों के 100 लडंको को हाल ही में बम्बई में गिरफ्तार किया गया तो उस समय पुलिस को भी अवसर मिल गया और शहर में अनुसूचित जातियों को काफी हानि पहुंचाई गई।

राजनीतिक दृष्टि से, यद्यपि अन्य समुदायों के समान अनुसूचित जातियों को 1932 में अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए थे, परंतु उन्हें पूना पेक्ट* द्वारा इन निर्वाचन क्षेत्रों से वंचित कर दिया गया था। इसके बजाय उन्हें दोहरे चुनाव की प्रणाली दी

---

* देखिए संख्या 45, टिप्पणी 3

गई जिसके अनुसार जब सभी हिन्दुओं ने दूसरे निर्वाचन में मतदान किया तो उन प्रथम चुनावों के परिणामों को नकार दिया गया जिसमें केवल अछूत ही मतदाता थे। उन्होंने 2 अप्रैल की कार्यकारी समिति के प्रस्ताव के साथ संलग्न आंकड़ों का संदर्भ दिया जिससे, सर्वप्रथम, यह प्रदर्शित हुआ कि अनेक मामलों में यद्यपि कांग्रेसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव में फेडरेशन के उम्मीदवार से हार गए थे, फिर भी अंतिम चुनाव में उन्होंने उनको हरा दिया। दूसरे, सामान्य मतदाताओं की तुलना में अनुसूचित जातियों के मतदाताओं की संख्या बहुत कम थी। ऐसा होते हुए भी, कांग्रेस लूट-पाट और आगजनी पर उतर आयी ताकि वह अपने उम्मीदवारों की सफलता सुनिश्चित कर सके। उन्होंने बड़ी संख्या में फोटो प्रस्तुत किए जिनसे कांग्रेस के कारनामों का पता लगता था।

केन्द्रीय विधान सभा 1919 से ही अस्तित्व में रही हैं परंतु इस बारे में कमी भी अनुसूचित जातियों की सहायता के उद्देश्य पूर्ति हेतु न प्रश्न किए गये, न प्रस्ताव आए, न अन्य कार्य हुआ।

भारतीय रिसासतों में अनुसूचित जातियों की स्थिति विशेष रूप से खराब थी। यहां तक कि अनुसूचित जातियों के लिए कुछ खाद्य पदार्थों का खाना भी निषेध था। ऐसी प्रतिनिधित्व वाली संस्थाओं में, जो अब कुछ रिसायतों में स्थापित की जा रही हैं, मुसलमानों के सिवाय किसी भी समुदाय को अलग से प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार नहीं था। राजनीतिक विभाग को इन संवैधानिक प्रयोगों में अधिक रूचि दिखानी चाहिए थी और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि अनुसूचित जातियों को अलग निर्वाचन-क्षेत्र दिए जाते। प्रतिनिधि मंडल को अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों के रियासतों के सम्मेलन के अध्यक्ष से भेंट करनी चाहिए थी।

अनुसूचित जातियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की फोज में सबसे पहले भरती होने का अवसर मिला था और इस प्रकार उनकी सहायता से ब्रिटिश को भारत की विजय प्राप्त करने का अवसर मिला। तब से वह अंग्रेजों में मिले हैं किन्तु फिर भी ब्रिटिश ने कभी सचेत होकर और जानबूझ कर उनकी सहायता नहीं की, यद्यपि 1892 से उन्होंने मुसलमानों की बहुत सहायता की है।

उनका विचार था कि यदि भारत स्वतंत्र होता है तो यह एक विकराल आपदा होगी। ब्रिटिश को यहां से जाने से पूर्व यह आश्वस्त करना चाहिए कि नए संविधान में अनुसूचित जातियों को जीवन के सामान्य मानव अधिकार, स्वतंत्रता और खुशी के तत्व दिए जाएं। इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए वह उनके लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र पुनः स्थापित करें तथा उन्हें अलग से सुरक्षा प्रदान की जाए जिसकी वे मांग करते

रहे हैं। इस समय उनकी जागी हुई चेतना उन्हें आतंकवाद और साम्यवाद की ओर ले जा रही है। वह अपने अनुयाइयों के साथ संवैधानिक तरीकों के सामर्थ्य की परीक्षा पर हैं।

लॉर्ड पेथिक-लारेंस ने कहा कि अभी तक भारतीय राजनीति पर दो मुद्‌दे छाए रहे हैं। एक ओर ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रश्न था तो दूसरी ओर, हिन्दू-मुस्लिम समस्या के समाधान का प्रश्न था। यदि इन पर एक बार सफलता मिल जाती तो पार्टी विभाजन शायद आर्थिक मुद्‌दों पर होता। वास्तव में अनुसूचित जातियों को ब्रिटिश पर विश्वास करने की अपेक्षा वाम पक्ष पर विश्वास करना अभीष्ट था क्योंकि ब्रिटिश अपनी शासनसत्ता को सौंपने वाले थे। इसके उत्तर में डाक्टर अम्बेडकर ने फिर दोहराया कि जब तक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र विद्यमान हैं, अनुसूचित जातियों के मतों की संख्या इतनी कम होगी कि हिन्दू उम्मीदवार आसानी से उनकी इच्छाओं की अवहेलना कर सकते हैं। निस्संदेह, वर्तमान पद्धति के अधीन उन्हें अंतिम चुनावों में अछूतों को मत देना था, परंतु ऐसा करने में उनका लक्ष्य अपने उम्मीदवार का समर्थन करना नहीं अपितु फेडरेशन द्वारा भेजे गए उम्मीदवार को अधिक मतों से पराजित करना था। अलग निर्वाचन क्षेत्रों का बनाया जाना आधारभूत था क्योंकि अनुसूचित जातियां उनके बिना अपने प्रतिनिधि कभी नहीं भेज पायेंगी।

16
डाक्टर अम्बेडकर का भारत के गवर्नर जनरल लार्ड वेवल को पत्र

** भीमराव आर. अम्बेडकर*
एम.ए.पी.एच.डी
डी.एस.सी. बैरिस्टर-एट-लॉ
सदस्य, गवर्नर जनरल
कार्यकारी परिषद

22, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली
दिनांक 3 मार्च, 1946

प्रिय लार्ड वेवल,

केबिनेट मिशन की ओर से यह भूल हुई है कि उसने शिमला में आयोजित अपने सम्मेलन में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया है और इसके फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के मन में अनेक गलत धारणाएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल मिशन अनुसूचित जातियों की संवैधानिक सुरक्षा की मांगों को किस प्रकार निपटाएगा। चूंकि यह स्थिति जटिल है, मैं इस संबंध में अनुसूचित जातियों की प्रतिक्रियाओं से आपको अवगत कराना चाहूंगा।

शिमला सम्मेलन में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित न किए जाने की भूल की अनेक व्याख्याएं की जा सकती हैं। एक व्याख्या मुझे युक्तिसंगत लगती है कि अनुसूचित जातियों की मांगें ऐसी हैं जिनके लिए अन्य पार्टियों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वे उनके वैध अधिकारों को प्रभावित न करें। कम से कम उनकी तीन मांगों के बारे में यह बात अवश्य लागू होती है, अर्थात् (i) अलग निर्वाचन-क्षेत्र, (ii) केन्द्रीय कार्यकारी परिषद में उचित प्रतिनिधित्व और (iii) कुछ पार्टियों द्वारा पहले से यह वचन दिया जाना कि अंतरिम सरकार बनाए जाने की यह पूर्व शर्त होगी कि वे भावी संविधान में अनुसूचित जातियों के हित की सुरक्षा करने के लिए कतिपय सामान्य सिद्धांत स्वीकार करेगी।

---

* स्रोत: डाक्टर अम्बेडकर द्वारा निजी तौर पर प्रकाशित पुस्तिका-सम्पादक

अनुसूचित जातियों की मांगों के लिए अन्य पार्टियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि मैंने अपने 5 अप्रैल, 1946 के साक्षात्कार के दौरान जोरदार शब्दों में कहा था।

बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अलग निर्वाचित क्षेत्र की मांग पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, सिंध और बंगाल के मुसलमानों के बारे में की गई थी जो अनुसूचित जातियों जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के आधार से नितांत भिन्न है। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की अनुमति लेना भी आवश्यक है। परंतु अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा पर कभी भी निर्भर नहीं करती। बहुसंख्यक की तुलना में अल्पसंख्यक को बचाने के लिए ही मुख्यत: चुनाव के तंत्र को जन्म दिया गया है। ऐसी स्थिति में, निर्वाचन संयुक्त रूप से किया जाए अथवा अलग रूप से, यह प्रश्न पूर्णतया अल्पसंख्यक वर्ग पर छोड़ देना चाहिए वह यह जानता है कि उसके हित में सर्वोत्तम क्या है। बहुसंख्यक वर्ग को इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहिए तथा अल्पसंख्यक वर्ग के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि इसका अनुसरण किया जाए तो हिन्दुओं के पास यह कहने को बहुत कम होगा कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं अथवा न बनाए जाएं।

अनुसूचित जातियों की अलग निर्वाचन-क्षेत्र की मांग का किसी अन्य समुदाय और हिन्दुओं पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि इस मांग को अन्य सभी समुदाय स्वीकार करते हैं। हिन्दुओं का यह तर्क है कि अनुसूचित जातियां हिन्दू हैं अत: उनके अलग निर्वाचन-क्षेत्र नहीं होने चाहिए। उनकी यह बात अलग निर्वाचन-क्षेत्र की असलियत दूर है, क्योंकि वास्तव में यह अल्पसंख्यकों के संरक्षण की एक व्यवस्था है जिसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। यदि इसके बारे में किसी साक्ष्य की आवश्यकता है तो यूरोपीय लोगों, एंग्लो-इंडियनों और भारतीय ईसाईयों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो धर्म की दृष्टि से एक हैं फिर भी प्रत्येक के लिए अलग-अलग निर्वाचन-क्षेत्र हैं।

यदि केबिनेट मिशन इन तथ्यों और तर्कों पर विचार करता तो यह अस्वाभाविक नहीं होता कि उसने अनुसूचित जातियों के इस तर्क को स्वीकार कर लिया होता कि इसमें हिन्दुओं की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और यह सारा मामला केबिनेट मिशन के लिए निर्णय करने का है-विशेषकर उस समय जब यह सिद्ध हो गया है कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र ने अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को एक मजाक बना दिया गया है।

अनुसूचित जातियों की दूसरी मांग यह है कि अंतरिम सरकार में उनका प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिए गए प्रतिनिधित्व का 50% होना चाहिए। यह ऐसा मौका है जिसके

स्वीकार किए जाने के लिए हिंदुओं के मत की आम सहमति की आवश्यकता नहीं है। यह बात मिशन के निर्णय करने की है कि अनुसूचित जातियों का केन्द्रीय कार्यपालिका में कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इस हेतु मिशन को उनकी संख्या पर विचार करना चाहिए तथा उन अयोग्यताओं को देखना चाहिए जिनसे वे पीड़ित हैं क्योंकि उन्हें वह मार्ग बनाना है जिससे वे अन्य उन्नत समुदायों की पंक्ति में आ सकें। आपको यह याद होगा कि मैंने यह प्रश्न गत शिमला सम्मेलन के अवसर पर उठाया था और आप अनुसूचित जातियों को दो सीटें देने के लिए तैयार थे और यह कोटा मुसलमानों को दी जाने वाली सीटों का 50% से कुछ ही कम था।

तीसरी मांग में कुछ भी नया नहीं है। यह केवल आपके उस विचार को दोहराता है जिसे आपने श्री गांधी को अपने 15 अगस्त, 1944 के पत्र में व्यक्त किया है। इस पत्र के पैरा 5 में आपने कहा है-

> ''इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि आपने जो सुझाव दिया है, उसके आधार पर विचार-विमर्श करने से कुछ लाभ नहीं होगा। फिर भी, यदि हिन्दुओं, मुसलमानों और महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों के नेताओं ने वर्तमान संविधान द्वारा स्थापित तथा कार्यशील अस्थायी सरकार को सहायता देने के लिए इच्छा प्रकट की, तो मेरा विश्वास है कि अच्छी प्रगति हो सकती है। ऐसी अस्थई सरकार के बनाए जाने से पूर्व, उसकी सफलता आश्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सैद्धांतिक रूप से हिन्दुओं, मुसलमानों और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में ऐसे तरीके के लिए सहमति होनी चाहिए जिसके द्वारा नए संविधान की रचना की जाए।''

आपने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसके बारे में यह मान कर चलना होगा कि यह सिद्धांत महामहिम सरकार की ओर से बना है और इस प्रकार यह केबिनेट मिशन पर भी लागू होगा। इस सिद्धांत के प्रभावी बनने के लिए मिशन के लिए पार्टियों की सहमति लेना बिल्कुल अनावश्यक है और वही मांग अनुसूचित जातियों ने की है।

मेरा निवेदन है कि इन तर्कों में यह निष्कर्ष निकालने की काफी शक्ति है कि मिशन यह नहीं समझता कि अनुसूचित जातियों की मांगों के बारे में मिशन की घोषणा से पूर्व हिन्दुओं की अनुमति लेना आवश्यक है और यही कारण है कि अनुसूचित जातियों को अपने प्रतिनिधि शिमला सम्मेलन में भिजवाने के लिए कहा गया है।

परंतु दुर्भाग्यवश मात्र यही व्याख्या किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में नहीं आती। एक

अन्य व्याख्या भी है जो संभव है। दूसरी व्याख्या यह है कि केबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता इस बात के लिए काफी समझता है कि वह अंतरिम सरकार के गठन और अनुसूचित जातियों के मुद्दे पर विचार की प्रतीक्षा के बिना भारत के भावी संविधान की रचना हेतु तंत्र स्थापना के लिए कार्यवाही करें।

अनुसूचित जातियों को चिंता है क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं है कि मिशन की योजना क्या है। यदि मिशन ने दूसरी योजना स्वीकार कर ली है, जो हो सकता है कि सच हो तो मैं यह महसूस करता हूं कि मैं अपने कर्तव्य में असफल रह जाता यदि मैं अनुसूचित जातियों को धोखा दिए जाने के विरूद्ध अपनी आवाज नहीं उठाता तथा मिशन को यह सूचित नहीं करता कि मिशन ही पूर्णतया उन परिणामों का उत्तरदायी होगा जो भविष्य में घटित होंगे।

मैंने यह पत्र अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि की हैसियत से लिखा है। आपको वह पत्र आपके पद के कारण संबोधित किया गया है कि आप केबीनेट मिशन के सदस्य हैं। मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप इस पत्र को अपने साथियों में परिचालित कर दें।

भवदीय

बी.आर. अम्बेडकर

महामहिम फील्ड मार्शल
द राइट ऑनरेबल वाइकाउंट वेवल ऑफ
सिरेनैका एवं विन्चेस्टर शिमला
जी.सी.बी., जी.एम.एस.आई.
जी.एम.आई., सी.एम.जी., एस.सी.,
वायसराय एवं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया

17
*कार्यकारी परिषद के सदस्यों का फील्ड मार्शल वाइकाउंट वेवल को पत्र

(एल/पी एंड जे/5/337 : पृष्ठ 248)

नई दिल्ली 8 मई, 1946

परम गोपनीय

प्रिय लार्ड वेवल,

हम, गर्वनर जनरल की कार्यकारी परिषद् के सदस्य, जो आज नई दिल्ली में उपस्थित हैं, यह आशा करते हुए कि उस व्यवस्था में सुविधा रहेगी जो महामहिम तथा मिशन की निगाह में है, एतत्द्वारा महामहिम तथा आपकी कार्रवाई के लिए अपने विभाग आपको प्रस्तुत करते हैं।

भवदीय

ए. रामास्वामी मुदालियर

ई.सी.बेन्थाल, मोहम्मद उस्मान, बी.आर.अम्बेडकर, जे.पी. श्रीवास्तव, एम. अजीजुल हक, एन.बी.खरे, अशोक के. रॉय, ए. रॉलेण्ड्स, जे.ए.थार्ने, ए. हैदरी

(मूल में परिशिष्ट): [तीन अनुपस्थित सदस्य फील्ड मार्शल सर औचिन लेक, सर आर्थर वॉग और सर जोगेन्दर सिंह ने अपने त्यागपत्र अलग से दिए। युद्ध सदस्य इंग्लैंड में था, उद्योग और आपूर्ति सदस्य शिष्टमंडल लेकर अमरीका गया हुआ था और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि सदस्य दौरे पर था।]

---

* द ट्रांसफर ऑफ पावर, खंड 7, संख्या 218, पृष्ठ 460-61

18

डॉक्टर अम्बेडकर का राइट ऑनरेबल श्री.ए.वी. एलेक्जेंडर, सदस्य, केबीनेट मिशन को पत्र

**भीमराव आर. अम्बेडकर*
एम.ए.पी.एच.डी.
डी.एस.सी. बैरिस्टर-एट-लॉ
सदस्य, गवर्नर जनरल की
कार्यकारी परिषद

22, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली
दिनांक 14 मार्च, 1946

प्रिय श्री एलेक्जेंडर,

यह दु:ख की बात है कि कांग्रेस और लीग के बीच समझौता कराने में आपके प्रयत्न असफल हो गए हैं। मैं समझता हूं कि आप सहानुभूति और कृतज्ञता के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि मिशन के प्रयत्नों को देखकर मुझे एक वृद्ध बनिए की बात याद आ गई है। उस बनिए का कोई बेटा नहीं था जो उसकी सम्पत्ति का वारिस हो सके, अत: उसने एक युवा लड़की से विवाह कर लिया और यह आशा की कि उसकी सन्तान ही उसकी सम्पत्ति की वारिस बन जाएगी। उस वधु ने गर्भधारण कर लिया परंतु वह भयंकर रोग में फंस गया। किन्तु उसने शिशु को देखे बिना मरने से इनकार कर दिया पर वह सन्तान के जन्म तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें अभी देर थी। वह बहुत अमीर था, अत: उसने डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर से कहा कि वह उसकी पत्नी का पेट चीर दे और देखे कि गर्भ में लड़का है अथवा लड़की। इसका परिणाम यह हुआ कि शिशु और उसकी माता दोनों की मृत्यु हो गई। मुझे लगता है कि मिशन बहुत कुछ करना चाहता था, जैसा कि बनिए ने किया था। आप इस तथ्य से अवगत नहीं होंगे कि मेरे समान अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह महसूस करते हैं कि मिशन संतानोत्पति की स्वाभाविक अवधि से पूर्व ही बलात शिशु जन्म कराने में व्यस्त है।

---

* स्रोत: डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निजी तौर पर प्रकाशित पुस्तिका-सम्पादक

2. मेरी समझ से केवल यह कहना ठीक है कि आज हिन्दू और मुसलमान दोनों ही मानसिक रूप से अक्षम हैं कि इस देश के भाग्य का निर्णय क्या किया जाए। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही भीड़ की तरह हैं। यह बात आपके अनुभव की होगी कि भीड़ सामूहिक सहभागिता के आवेग से अधिक और पदार्थगत लाभ से कम प्रभावित होती है। यह अधिक सरल है कि लोगों के बड़े समूह को बलिदान के लिए फुसला लिया जाए अपेक्षा इसके कि हितों का शांतिपूर्ण आकलन करके उस पर कार्यवाई की जाए। भीड़ सरलता से हित और अहित की समझ खो बैठती है। वह संवेगों से आंदोलित होती है जो ऊंचे अथवा नीचे हो सकते हैं, जो दयालु अथवा निर्दयी हो सकते हैं; परंतु वह सदा तर्क से परे या नीचे होती है। प्रत्येक की सामान्य समझ सभी के संवेग में खो जाती है। भीड़ को पैतृक संपत्ति स्वीकार करने की अपेक्षा आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकना सरल है। यह मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं आपको परामर्श दूं। मिशन ने भंगी बस्ती और 19 औरंगजेब रोड से अधिक बुद्धि और उच्च प्रेरणा प्राप्त की है। मैं इस बुद्धिमत्ता तथा प्रेरणा के मूल्य के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहूंगा। परंतु मैं यह अवश्य सोचता हूं कि मिशन को शीघ्रता में वृद्ध व्यक्ति के दुःखद दृश्य जैसा प्रदर्शन नहीं करना था, जैसा कि चैम्बरलेन ने एक बार आयरिश होम रूल के आंदोलक ग्लेडस्टोन के बारे में कहा था। राजनीति में जिसे 'प्रशीतन अवधि' कहते हैं उससे समस्याओं से निपटाना आसान हो जाता है।

3. पर यह बात तो मिशन, बड़ी पार्टियों और उन लोगों के लिए है जिन्होंने बड़ी पार्टियों में अपना विश्वास रखा है। मैं केवल यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप अछूतों की समस्या का किस प्रकार समाधान करना चाहते हैं तथा उनकी संवैधानिक सुरक्षा की मांग को किस प्रकार पूरा करना चाहते हैं। मिशन ने शिमला विचार-विमर्श के अंतिम दिन अधिकारिक वक्तव्य जारी किया और इस वक्तव्य में बताया गया कि मिशन दिल्ली लौट आने के बाद थोड़े ही दिनों में अगले कदम की घोषणा करेगा कि उसके क्या प्रस्ताव हैं। यह स्पष्ट है कि सभी अनुसूचित जातियों के लोगों की आंखें इस घोषणा की ओर लगी हुई है। मिशन क्या करेगा, इससे अंततोगत्वा उनमें भाग्य का निर्णय हो जाएगा। मिशन का निर्णय या तो अछूतों के जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त करेगा अथवा वह उनकी मौत का कारण बन जाएगा। यह प्रश्न जीवन और मृत्यु का है। यह गलत नहीं होगा यदि मैं अछूतों की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं।

4. अछूतों की समस्या का सामना करना अछूतों के लिए बड़ा विकट काम है। परंतु सौभाग्यवश इसे समझना सरल होगा यदि केवल आगे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दिया जाए। अछूत विशाल हिन्दू जन-समूह से घिरे हैं जो उनका विरोधी है और जिसे उनके साथ असमानता अथवा अत्याचार करने में लज्जा नहीं आती। ऐसे अन्यायों

को दूर करने के लिए जो उनके विरूद्ध प्रतिदिन होते हैं अछूतों को प्रशासन की सहायता चाहिए। इस प्रशासन की प्रकृति और गठन क्या होगा? सारांश में यह कहा जा सकता है कि भारत में प्रशासन पूर्णतया हिन्दुओं के हाथ में है। इस पर उनका एकाधिकार है। ऊपर से लेकर नीचे तक शासन नियंत्रण हिन्दुओं के हाथ में है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां हिन्दुओं का आधिपत्य न हो। उनका आधिपत्य पुलिस, न्यायपालिका और राजस्व सेवाओं पर है और वास्तव में प्रशासन की प्रत्येक शाखा पर हिन्दुओं का आधिपत्य है। दूसरी बात याद रखने की यह है कि प्रशासन क्षेत्र में हिन्दू न केवल समाज-विरोधी है, अपितु निश्चित रूप से अछूतों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। उनका उद्देश्य है कि अछूतों से भेदभाव रखा जाए तथा उन्हें कानून के लाभ से वंचित किया जाए और दमन व अत्याचार के विरूद्ध उन्हें कानून का सहारा भी न प्राप्त हो। इसका परिणाम यह है कि अछूत हिन्दू जनसंख्या तथा हिन्दू बाहुल्य प्रशासन के बीच फंसे हैं। एक यदि दूसरे के विरूद्ध गलत काम करता है तो दूसरा उसे अभियोगी बनाने की अपेक्षा गलती करने वाले की रक्षा करता है।

5. इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, कांग्रेस के स्वराज का अछूतों के लिए क्या अर्थ है? इसका एक ही अर्थ है, अर्थात् आज तो केवल प्रशासन हिन्दुओं के हाथ में है पर स्वराज के बाद विधान सभा और कार्यपालिका में भी हिन्दुओं का ही प्रभुत्व हो जाएगा। यह निर्विवाद सत्य है कि स्वराज से अछूतों के दुःख बढ़ेंगे। अछूतों को विरोधी प्रशासन का ही सामना नहीं करना पड़ेगा अपितु उन्हें विरोधी अथवा उदासीन विधान-मंडल, निष्ठुर कार्यपालिका और एक ऐसे अनियंत्रित तथा बेलगाम प्रशासन का सामना करना पड़ेगा जो अछूतों की ओर कठोर, विषावत्त और अन्यायपूर्ण भावना रखेगा। यदि इस बात को अन्य शब्दों में अभिव्यक्त किया जाए तो कांग्रेस के स्वराज में अछूतों को उस पतन की नियति से बचाने का कोई उपाय नहीं है जो हिन्दुओं और हिन्दूवाद ने उनके लिए निर्धारित की है।

6. मेरा विश्वास है कि इससे आपको कुछ अनुमान हो जाएगा कि अछूत क्यों केवल ऐसे मार्ग पर जोर दे रहे हैं जिसके द्वारा वे स्वराज से आने वाले अत्याचार का शिकार न बनें और इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें विधानमंडल में अपना प्रतिनिधित्व मिले ताकि वे हिन्दुओं द्वारा की गई गलतियों और अन्याय का सामना कर सकें। वे कार्यपालिका में अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं ताकि वे अपनी भलाई के लिए योजनाएं बना सकें और वे सेवाओं में भी अपने प्रतिनिधि चाहते हैं ताकि प्रशासन पूर्ण रूप से उनका विरोध न कर सके। यदि आप संवैधानिक सुरक्षाओं के लिए अछूतों की मांग का न्याय स्वीकार करते हैं तो आपको यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि अछूत अपने लिए अलग प्रतिनिधित्व क्यों चाहते हैं। अछूत विधानमंडल में अल्पसंख्यक होंगे। उनकी नियति में अल्पसंख्यक ही रहना है।

वे बहुसंख्यक को जीत नहीं सकते क्योंकि बहुसंख्यक अपनी रचना में साम्प्रदायिक हैं, कहना चाहिए कि वे स्थिर और पूर्व-निर्धारित हैं। अल्पसंख्यक यही कर सकते हैं कि वे अपने को ऐसी स्थिति में डालें कि ऐसी शर्तो के सुनिश्चित करने योग्य हो सकें जिन पर वे बहुसंख्यकों के साथ काम कर सकें। और उन पर इस बात का दबाव नहीं डाला जाए कि वे बहुसंख्यकों द्वारा प्रस्तावित शर्तो को स्वीकार करें। दूसरे, यदि बहुसंख्यक उनके साथ काम करने से इनकार करें तथा अपनी भूलों को समाप्त करने पर राजी नहीं हों तो अल्पसंख्यकों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे विधानमंडल में बहुसंख्यकों के प्रति अपना विरोध प्रकट करें। विरोधी करने की अपनी स्वतंत्रता अछूत किस प्रकार बनाए रख सकते हैं? तभी जब विधान सभा में उनके प्रतिनिधि अपने चुनाव के लिए बहुसंख्यकों के मतों पर आश्रित न हों। अलग चुनाव-क्षेत्र के लिए उनकी मांग का यही आधार है।

7. अनुसूचित जातियों के लिए तब तक किन्हीं भी संरक्षणों का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि उनके लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र न बनाए जाएं। अलग निर्वाचन-क्षेत्र इस मामले का निर्णायक कदम है। मेरे सामने उस प्रतिवेदन की एक प्रति है जिसे उन तीन कांग्रेसी हरिजनों ने केबिनेट मिशन को प्रस्तुत किया था और मिशन द्वारा 9 अप्रैल, 1946 को जिनका साक्षात्कार किया गया था। वे टूली स्ट्रीट के उन तीन दर्जियों से बेहतर नहीं थे जिन्होंने संसद को संबोधित करने का दुस्साहस करके कहा था, ''हम इंग्लैंड के नागरिक हैं।'' इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य बात है कि अनुसूचित जातियों की फेडरेशन की ओर से मेरे द्वारा रखी गई मांगे और इन कांग्रेसी हरिजनों द्वारा रखी गई मांगों में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई अंतर है तो उसका संबंध निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रश्न पर आधारित है। मैं यह नहीं जानता कि आपने कांग्रेस हरिजनों की मांगों की क्या व्यवस्था की है। वे वास्तविक मांगे नहीं है। वे मांगे इस बात की अभिव्यक्ति करती हैं कि राजनीतिक सुरक्षा के रूप में कांग्रेस अछूतों को क्या देने के लिए तैयार है। यह मेरी गलतफहमी नहीं है, यह मेरा ज्ञान है। मुझे ऐसे लोगों से सूचना मिली है जो कांग्रेस के मन की बात समझते हैं कि यदि मैं संयुक्त-निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार कर लूं तो कांग्रेस अपनी ओर से मेरी अन्य मांगों को स्वीकार करने के लिए बिलकुल तैयार है। आप सोचते होंगे कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों की सभी मांगों को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार है, केवल एक मांग को छोड़कर, अर्थात् अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़कर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि आपको यह मालूम हो कि कांग्रेस क्या खेल खेल रही है। यह बहुत गहरी चाल है। यह महसूस करते हुए कि अछूतों को कुछ सुरक्षाएं दिए बिना छुटकारा नहीं हो सकता, सरकार यह पता लगाना चाहती है कि ऐसे क्या उपाय हैं जिनसे उन सुरक्षाओं को निष्प्रभावी बनाया जा सके। यह बात संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्र की पद्धति में निहित है कि कांग्रेस ऐसा कानून लाना चाहती है कि सुरक्षाओं का कोई प्रभाव न हो।

यही कारण है कि कांग्रेस संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों पर जोर दे रही है। संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों का यह अर्थ है कि अछूतों को शक्ति दिए बिना पद दिए जाएं। अछूत चाहते हैं कि उन्हें शक्ति के साथ पद मिलें। यह वे अलग निर्वाचन-क्षेत्रों से ही प्राप्त कर सकते हैं और यही कारण है कि वे इस बात के लिए जोर दे रहे हैं।

8. मुझे विश्वास है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग-निर्वाचन-क्षेत्र के पक्ष का मामला सुदृढ़ है। कांग्रेस के सिवाय प्रत्येक पार्टी इस सुझाव को स्वीकार करती है। अलग निर्वाचन-क्षेत्रों के पक्ष में तर्क मेरे 3 मार्च, 1946 के उस पत्र में दिए गए हैं जो लार्ड वेवल को भेजा गया था और शायद उन्होंने यह पत्र आपको दिखाया हो। अतः उस पत्र को फिर दुहराना अनावश्यक है। प्रश्न यह है कि अनुसूचित जातियों की इस मांग के बारे में मिशन को क्या करना है। क्या मिशन अछूतों को हिन्दुओं के राजनीतिक बंधन से मुक्त करना चाहता है? अथवा वह संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों की पद्धति द्वारा उन्हें भेड़ियों के सामने डालना चाहता है ताकि वे कांगेस और उस हिन्दू बहुसंख्यक वर्ग के साथ भिन्नता कर सकें जिसके वे प्रतिनिधि कहे जाते हैं? अनुसूचित जातियां महामहिम की सरकार से यह पूछने का अधिकार रखती है कि क्या महामहिम की सरकार ब्रिटिश राज छोड़ने से पूर्व यह आश्वस्त करेगी कि स्वराज अछूतों के लिए फांसी का फंदा न बन जाए।

9. मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि ब्रिटिश का अनुसूचित जातियों के प्रति नैतिक दायित्व है। सभी अल्पसंख्यक वर्गो के प्रति उनके नैतिक दायित्व हैं, परंतु ये दायित्व कभी भी उस नैतिक दायित्व से आगे नहीं बढ़ सकते जो उन्हें अछूतों के संबंध में निभाना है। यह दुःख की बात है कि कुछ ब्रिटिश लोक ही इससे अवगत हैं और कितने कम लोग इसे निभाना चाहते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का अस्तित्व अछूतों द्वारा की गई सहायता पर निर्भर करता है। अनेक ब्रिटिश लोग यह सोचते हैं कि भारत पर वियज क्लाइव, हेस्टिंग्स, कूट्स और इसी प्रकार के अन्य सेनापतियों द्वारा हुई है। इससे अधिक गलती और नहीं हो सकती। भारत पर विजय भारतीयों की सेनाओं द्वारा हुई और जो भारतीय इस सेना में थे वे सभी अछूत थे। ब्रिटिश शासन भारत में कभी भी संभव न होता यदि अछूतों ने ब्रिटिश लोगों की भारत पर विजय पाने में सहायता न की होती। प्लासी के युद्ध को ही लीजिए। इस युद्ध से ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ या किर्की की लड़ाई को देखिए जिसने भारत पर विजय को पूरा कराया। इन दोनों भाग्य-निर्णायक लड़ाइयों में जो सैनिक ब्रिटिश के लिए लड़े, वे सभी अछूत थे।

10. ब्रिटिश ने उन अछूतों के लिए जो उनके लिए लड़े क्या किया? यह शर्मनाम कहानी है। सबसे पहले काम उन्होंने यह किया कि सेना में अछूतों की भर्ती रोक दी। इतिहास में इससे अधिक अकृतज्ञ और कठोर कार्य शायद ही मिले। सेना में अछूतों के लिए द्वार बंद कर दिए जाने से ब्रिटिश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अछूतों ने

ही उनके शासन को स्थापित कराने में सहायता की थी तथा उनकी उस समय रक्षा की थी जब 1857 में सैनिक बगावत के समय देशी बलों के सशक्त गठबंधन ब्रिटिश राज को हिला उठे थे। अछूतों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किए बिना ब्रिटिश ने एक बार में ही उनके जीवन-यापन के स्रोत से उन्हें वंचित कर दिया और उन्हें अपने मूल पत्तन गर्त में झोंक दिया। क्या ब्रिटिश ने उनकी सहायता की कि वे किसी प्रकार अपनी स्वाभाविक असमानताओं को दूर कर सकें? इसका उत्तर भी नकारात्मक है। स्कूल, कुएं और सार्वजनिक स्थान अछूतों के लिए बंद कर दिए गए। यह ब्रिटिश का कर्त्तव्य था कि वे अछूतों को नागरिक के रूप में देखें और उन्हें सरकारी खर्च द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए अधिकारी बनाएं। परंतु ब्रिटिश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और सबसे खराब बात यह है कि उन्होंने अपनी अकर्मण्यता को यह कहकर संगत ठहराया कि अस्पृश्यता उनकी देन नहीं है। यह हो सकता है कि अस्पृश्यता उनकी देन न हो, किन्तु सरकार होने के नाते निश्चिय ही अस्पृश्यता मिटा देने का उनका उत्तरदायित्व तो था। कोई भी सरकार जो अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के प्रति सजग है, इस असमानता को दूर करने के लिए बाध्य है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उसने ऐसे किसी प्रश्न को नहीं सुलझाया जिसका संबंध हिन्दू समाज के सुधार से था। जहां तक सामाजिक सुधार का सम्बंध है, अछूतों ने ऐसी सरकार के अधीन स्वयं को पाया जिसके लिए उन्होंने कठोर परिश्रम किया और कष्ट सहे, जिए अैर मरे, परंतु यह सब इतिहास में विलीन हो गया। राजनैतिक दृष्टि से, परिवर्तन साधारण था। हिन्दुओं की निरंकुशता पूर्ववत् बनी रही। ब्रिटिश हाई कमान द्वारा इसे कम किए जाने के बजाय, बढ़ावा दिया गया। सामाजिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश ने उसी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जो उन्हें मिली थी और चीन के उस दर्जी के तरीके के अनुसार उसे निष्ठापूर्वक सुरक्षित रखा जिसे जब एक पुराना कोट नमूने के तौर पर दिया गया तो उसने बड़े गर्व के साथ उस कोट जैसा हुबहू कोट बना दिया जिसमें पेंबंद और सभी कुछ ज्यों के त्यों लगे हुए थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुए 200 वर्ष बीत गए हैं किन्तु अछूत, अछूत ही हैं। उनकी दुर्दशा को ठीक नहीं किया गया हैं और उनकी प्रगति के प्रत्येक चरण में रूकावट आई है। वास्तव में यदि ब्रिटिश शासन ने भारत में कुछ भी प्राप्त किया है तो उसने ब्राह्मणवाद को सशक्त किया है और पुनः अनुप्राणित किया है। ब्राह्मण अछूतों के घोर शत्रु हैं और वे ही सभी बुराईयों के जन्मदाता हैं। उन्हीं के कारण अछूतों को वर्षों से यातना भुगतनी पड़ी है।

11. आप यहां यह घोषणा करने आए हैं कि ब्रिटिश लोग भारत पर सत्ता छोड़ रहे हैं। इसमें कोई भूल नहीं होगी यदि अछूत यह पूछें कि ''आप किसे यह प्राधिकार

और शक्ति सौंप रहे हैं?'' क्या आप ब्राह्मणवाद के पक्षपोषकों को यह भार सौंप रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि अछूतों के अत्याचारियों और दमनकारियों को यह सत्ता सौंप रहे हैं?'' भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने का यह तरीका अन्य पार्टियों के अंत:करण को न छुए, परंतु ब्रिटिश लेबर पार्टी के बारे में क्या कहा जाए? लेबर पार्टी अधिकारहीनों तथा दलितों के लिए खड़े होने का दावा करती है। यदि यह बात अपने मर्म में सही है, तो मुझे कोई संदेह नहीं कि यह भारत के करोड़ों अछूतों के साथ खड़ी होगी तथा अछूतों की स्थिति बचाए रखने के लिए आवश्यक सभी कुछ करेगी और ऐसी हाथों में शक्ति को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति नहीं देगी जो अपने जीवन के दर्शन तथा धर्म के कारण शासन करने के योग्य नहीं हैं और अछूतों के शत्रु हैं। अनुसूचित जातियों के प्रति लापरवाही के लिए ब्रिटिश की ओर से यह प्रायश्चित होगा क्योंकि वे सदैव ही अनुसूचित जातियों के न्यासधारी रहे हैं।

12. मैंने इतने विस्तार से अपने मन को हल्का किया है, परंतु अछूतों ने संवैधानिक सुरक्षा का जो प्रश्न उठाया है, उसके प्रति मिशन के मौन से मेरे मन में चिंता पैदा हो गई है। जो आश्वासन महामहिम की सरकार ने अछूतों तथा अल्पसंख्यकों को दिए हैं उनके प्रति मिशन के रूख से मेरी चिंता और गहरी हो गई है। इन आश्वासनों के संबंध में मिशन की प्रवृत्ति से लार्ड पामर्सटन की याद आती है जिन्होंने कहा था, ''हमारे कोई भी स्थाई शत्रु नहीं हैं, हमारे कोई भी स्थाई मित्र नहीं हैं। हमारे केवल स्थायी हित हैं।'' आप भलीभांति यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह कैसी भयानक संभावना होगी जो आप अछूतों को देंगे यदि यह बात पैदा हो जाए कि मिशन पामर्सटन की उक्ति को अपना मार्गदर्शक तत्व मानता है। आप ग्रेट ब्रिटेन के अल्प-सुविधा-प्राप्त वर्ग से उभरे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वह सब कुछ अवश्य करेंगे जिससे भारत के अल्प-सुविधा-प्राप्त 6 करोड़ लोगों को संभावित विश्वासघात से बचाया जा सके। यही कारण है कि मैंने उनके मामले को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि आप यह कहने की मुझे अनुमति दें, तो मैं कहूंगा कि अछूतों की यह भावना है कि इस मिशन में आपके सिवाय उनका कोई भी बड़ा मित्र नहीं है।

भवदीय

बी.आर. अम्बेडकर

द राइट ऑनरेबल श्री ए.वी. एलेक्जेंडर,
सी.एच.एम.पी., सदस्य, केबिनेट मिशन,
वायसराय हाऊस, नई दिल्ली।

19

डॉक्टर अम्बेडकर का लॉर्ड पेथिक-लारेंस को पत्र

एल/पी एंड जे/10/43: एफ.96-8)

22, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली,

22 मई, 1946

*प्रिय लार्ड पेथिक-लारेंस,

केबिनेट मिशन ने जो वक्तव्य जारी किया है, उसके अध्ययन से मुझे लगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें बहुत संदिग्धता है। इनका उल्लेख इस प्रकार है-

1. क्या वक्तव्य के पैरा 20 में उल्लिखित शब्द "अल्पसंख्यक वर्ग" में अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं?

2. पैरा 20 में कहा गया है कि नागरिकों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय वर्गों तथा बाह्य क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों की सलाहकार समिति में प्रभावित लोगों के हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह कौन देखेगा कि क्या सलाहकार समिति प्रभावित लोगों के हितों का वास्तव में पूर्ण प्रतिनिधित्व रखती है?

3. प्रभावित लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व हेतु क्या महामहिम की सरकार यह अधिकार अपने पास रखेगी कि इस प्रकार के हितों के प्रतिनिधित्व के लिए वह संविधान सभा से बाहर के लोगों को समिति में नामांकित करें? बाह्य क्षेत्र के लोगों का नामांकन आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि संविधान सभा में से बाह्य क्षेत्रों के लोगों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। यदि नामांकन किए जाने की आवश्यकता स्वीकार कर ली जाती है, तो क्या संविधान सभा के बाहर अनुसूचित जातियों के सदस्यों के नामांकन के सिद्धांत का विस्तार किया जाएगा ताकि सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सके?

4. संशोधन के पैरा 22 में संघीय संविधान सभा और ब्रिटेन के बीच ऐसे मामलों के बारे में एक संधि की व्यवस्था है जो शक्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उठ

---

* द ट्रांसफर ऑफ पॉवर, खंड 7, संख्या 359, पृष्ठ 661-62

सकते हैं। क्या इस प्रस्तावित संधि में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई उपबंध शामिल किया जाएगा जैसा कि क्रिप्स के प्रस्तावों में दिया गया था? यदि इस संधि में कोई ऐसा उपबंध नहीं है, तो महामहिम की सरकार सलाहकार समिति के निर्णयों को संविधान सभा पर किस प्रकार लागू करेगी?

5. इस वक्तव्य में ''सामान्य'' वर्ग के अंतर्गत यूरोपीय लोगों को शामिल किया गया है। इससे इस बात का अनुपात किया जा सकता है कि यूरोपीय लोगों को संविधान सभा के प्रतिनिधियों के चुनाव में मत देने का अधिकार होगा। यह बात वक्तव्य में स्पष्ट नहीं की गई है।

कुछ ऐसे प्रश्न है जिनके संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है। मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा यदि आप कृपा करके उन प्रश्नों के उत्तर मुझे दे सकें। मैं आज रात दिल्ली से बम्बई जा रहा हूं। इससे पूर्व जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मेरे बम्बई के पते पर भिजवाने का कष्ट करें। मेरा पता इस प्रकार है–

पता
सेलून नं. 27, सेण्ट्रल स्टेशन,
बी.बी. एंड सी. आई रेलवे, बम्बई।

भवदीय,
बी.आर. अम्बेडकर

20

*लॉर्ड पेथिक-लारेंस का डॉक्टर अम्बेडकर को पत्र

एल/पी एंड जे/5/337:पृष्ठ 371-2

28 मई, 1946

आपके 22 मई[@] के पत्र के लिए धन्यवाद जिसमें आपने मुझसे हाल ही में दिए गए वक्तव्य की कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।

आप यह बात समझते ही हैं कि हमारे प्रतिनिधि-मंडल का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था का गठन करना है जिसके द्वारा भारतीय स्वतंत्र भारत के लिए अपना संविधान बना सकें। हमारे वक्तव्य का उद्देश्य यह है कि ऐसा आधार उपलब्ध कराया जाए जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आवश्यक समझते थे। अन्य मामले जो उठेंगे, उन पर संविधान सभा द्वारा निर्णय लिए जाएंगे।

निश्चित रूप से यह हमारा इरादा है कि वक्तव्य के पैरा 20 में ''अल्पसंख्यक'' शब्द में अनुसूचित जातियां सम्मिलित हैं। दूसरी ओर, संविधान सभा ही सलाहकार समिति गठित करेगी और हमारी मान्यता है कि समिति यह ध्यान रखेगी कि यह पूर्णतया प्रतिनिधि सभा हो।

हमारा विचार संविधान सभा में हस्तक्षेप करने का नहीं है। परंतु हमारे वक्तव्य का यह अर्थ नहीं है कि सलाहकार समिति के सदस्य केवल संविधान सभा के सदस्यों में से ही लिए जाएंगे।

मेरे विचार से आपके अन्य प्रश्न उस अतिरिक्त वक्तव्य[§] में अधिकांशतया आ जाते हैं जो शनिवार को संध्या समय प्रतिनिधिमंडल द्वारा जारी किया गया था। इस वक्तव्य की एक प्रति आपके पास भेजी जाती है।

श्री एलेक्जेंडर ने मुझसे कहा है कि मैं आपके पत्र की प्राप्ति की स्वीकृति भेजूं और आपके पत्र[#] के लिए धन्यवाद दूं जो आपने हाल ही में उन्हें भेजा है। वह दिल्ली से कुछ दिन बाहर सीलोन (श्रीलंका) की यात्रा पर गए हैं और लौटने के बाद वह आपके पत्र का उत्तर देंगे।

---

* द ट्रांसफर ऑफ पॉवर, खंड 7, संख्या 399, पृष्ठ 723

[@] संख्या 359

[§] संख्या 376

[#] इंडिया आफिस के रिकार्ड में पता नहीं लगा।

21
*राय बहादुर शिवराज का फील्ड मार्शल वाइकाउंट वेवल को पत्र

एल/पी एंड जे/5/337: पृष्ठ 14-13

संख्या 592/73/43

5 जून, 1946

अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों के फेडरेशन की कार्यकारी समिति की बैठक 4 जून, 1946 को बम्बई में मेरी अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें उस स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया जो भावी भारतीय संविधान के संबंध में केबिनेट मिशन के प्रस्तावों से उभरी थी। कार्यकारिणी समिति ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिसके लिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उस प्रस्ताव को केबिनेट-मिशन के सदस्यों के विचारार्थ भेजूं। इसके अनुसरण में, मैं उस प्रस्ताव की प्रति संलग्न करता हूं। मैं केबिनेट मिशन से यह जानने के लिए आभारी रहूंगा कि क्या मिशन को उन मांगों के संबंध में कुछ कहना है जो प्रस्ताव के पैरा 6 में दी गई हैं।

संख्या 454 का अनुलग्नक

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन

बम्बई में 4 जून, 1946 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारी समिति ने इन मुद्दों पर विचार किया (i) भारत के संविधान के बारे में केबिनेट मिशन द्वारा जारी किए गए प्रथम वक्तव्य; (ii) मिशन के सदस्यों द्वारा अपने वक्तव्य के स्पष्टीकरण हेतु प्रेस को दिए गए साक्षात्कार; (iii) केबिनेट मिशन द्वारा जारी दूसरा वक्तव्य; और (iv) केबिनेट मिशन द्वारा माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच पत्र-व्यवहार केबिनेट मिशन के वक्तव्य में ऐसी कई बातें हैं जिन पर कार्यकारी समिति अपने विचार वक्तव्य करना चाहेगी।

---

* द ट्रांसफर ऑफ पॉवर, खंड 7, संख्या 454, पृष्ठ 808-12

2. कार्यकारी समिति ने बड़े क्षोभ से यह नोट किया कि केबिनेट मिशन ने अपने 5,000 शब्दों के वक्तव्य में एक बार भी अनुसूचित जातियों के बारे में उल्लेख नहीं किया है। केबिनेट मिशन की सोच के बारे में समझना कठिन है। मिशन अछूतों के अस्तित्व और अनुसूचित जातियों के प्रति स्वर्ण हिन्दुओं के दिन प्रति दिन के अत्याचारों और दमन से अवगत होगा। केबिनेट मिशन महामहिम सरकार द्वारा की गई इन घोषणाओं से भी अवगत होगा कि अछूत सवर्ण हिन्दुओं से अलग थे और भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक अलग तत्व के समान उनका अस्तित्व था। केबिनेट मिशन उन प्रतिज्ञाओं से अपरिचित नहीं होगा जो महामहिम की सरकार ने दी थी कि ऐसा कोई भी संविधान अनुसूचित जातियों पर आरोपित नहीं किया जाएगा जिसके बारे में अनुसूचित जातियां अपनी अनुमति न दें। केबिनेट मिशन को इस तथ्य से अवगत होना होगा कि एक वर्ष पूर्व लॉड वेवल द्वारा शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें सवर्ण हिन्दुओं से अलग अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारी समिति यह कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करती कि जिस तरीके से अनुसूचित जातियों की उपेक्षा की गई है, उसके फलस्वरूप केबिनेट मिशन ने ब्रिटिश राष्ट्र के नाम की बदनामी की है और उसके नाम पर कलंक लगाया है।

3. कार्यकारी समिति ने केबिनेट मिशन के द्वारा प्रेस साक्षात्कार के दौरान दिए गए वक्तव्य देखें हैं जिनमें यह कहा गया है कि मिशन ने संविधान सभा तथा सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए दोहरी व्यवस्था की है। कार्यकारी समिति यह कहने को मजबूर है कि ये प्रावधान नितांत काल्पनिक हैं और गंभीरता से परे हैं। मिशन ने अपनी योजना में संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभा द्वारा चुनाव के लिए अनुसूचित जातियों के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की है। प्रांतीय विधान सभा पर ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि संविधान सभा के लिए अनुसूचित जातियों का विशिष्ट संख्या में चुनाव कराया जाए। यह बिल्कुल संभव है कि संविधान सभा अनुसूचित जातियों का कोई भी प्रतिनिधित्व न रखे। और यदि अनुसूचित जातियों के कुछ प्रतिनिधि संविधान सभा में स्थान प्राप्त कर लें और उन्हें हिन्दू मतों द्वारा चुना जाए तो वे कभी भी अनुसूचित जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जहां तक सलाहकार समिति का संबंध है, यह संविधान सभा से बहुत अलग नहीं हो सकती। यह संविधान सभा का केवल प्रतिबिम्ब होगी।

4. कार्यकारी समिति यह बिल्कुल नहीं समझ पाई है कि केबिनेट मिशन को किस प्रकार विश्वास हुआ कि उसने संविधान सभा तथा सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों की प्रभावकारी आवाज के लिए पर्याप्त और अच्छी व्यवस्था की

है। मिशन को प्रचुर तथा अकाट्य साक्ष्य यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया कि अनुसूचित जातियों के वास्तविक प्रतिनिधि वे हैं जो प्राथमिक चुनावों द्वारा चुने गए थे और जिनके लिए अनुसूचित जातियों के अलग निर्वाचन-क्षेत्र थे; प्रान्तीय विधान सभाओं के अनुसूचित जाति के वर्तमान सदस्य चुनाव में सबसे नीचे थे जिन्होंने प्राथमिक चुनाव लड़े, और संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों की त्रुटिपूर्ण पद्धति के कारण वे लोग अंतिम चुनावों में सबसे उपर आ गए जो प्राथमिक चुनावों में सबसे नीचे थे क्योंकि सवर्ण हिन्दू मतों का बाहुल्य था तथा प्रांतीय विधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्य किसी भी प्रकार से अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपितु वे सवर्ण हिन्दुओं के हाथ में है। संविधान सभा और सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए दोहरी व्यवस्था की जाने के बजाय, मिशन ने बिना सोचे समझे इस पक्के साक्ष्य की अवहेलना कर दी है और बिना किसी औचित्य के हिन्दुओं की दशा पर अनुसूचित जातियों को छोड़ने में गंभीर विश्वासघात किया है। कार्यकारी समिति मिशन को सूचित करना चाहती है कि अनुसूचित जातियां उनके तर्क अथवा उनके नैतिक उत्तरदायित्व से प्रभावित नहीं है।

5. केबिनेट मिशन की संपूर्ण योजना शरारतपूर्ण है। मुस्लिम क्षेत्र में गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या इस प्रकार हल की गई है कि वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निराधार कर सकते हैं। इसी प्रकार हिन्दू क्षेत्र में गैर-हिन्दू अल्पसंख्यकों, जिनमें अनुसूचित जातियां हैं, को हिन्दू बहुसंख्यकों द्वारा निराधार किया जा सकता है। इस प्रकार कार्यकारी समिति देखती है कि केबिनेट मिशन ने अपनी योजना में अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा की अपेक्षा मुस्लिम समुदाय के बयान के लिए अधिक चिंता व्यक्त की है। केबिनेट मिशन ने अपनी योजना के पैरा 15 का प्रयोजन यह है कि मुस्लिम समुदाय पर हिन्दु समुदाय के आधिपत्य को हटाया जाए। अनुसूचित जातियों को हिन्दू समुदाय से जो भय है वह मुस्लिम समुदाय से कहीं अधिक है अथवा अधिक हो सकता है। अनुसूचित जातियां इस बात पर जोर देती रही हैं कि यदि उन्हें कोई प्रभावकारी संरक्षण प्राप्त हो सकता है तो अलग निर्वाचन-क्षेत्रों के उपबंध की व्यवस्था द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। केबिनेट मिशन इन मांगों और इनके समर्थन में सभी साक्ष्यों से अवगत था। उपर बताए गए तरीके के अनुसर, हिन्दू बहुमत के आधिपत्य से मुस्लिम समुदाय को स्वतंत्रता दिए जाने की गारंटी के प्रति केबिनेट मिशन द्वारा अपनाए गए नियम के अनुसरण में मिशन के लिए यह संभव थ कि उसी पैरा 15 में संविधान सभा की शक्तियों में अधिक सीमांकन किया जाता और यह प्रस्तावित किया जाता कि अनुसूचित जातियों को अलग निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए तथा हिन्दू बहुमत के आधिपत्य से

बचने के साधन के रूप में अलग व्यवस्थाओं हेतु संवैधानिक व्यवस्था रखी जाए।

6. कार्यकारी समिति ने देखा कि केबिनेट मिशन ने अपने दूसरे वक्तव्य* में कहा है कि ब्रिटेन और भारतीय संविधान सभा के बीच होने वाली संधि की अभिपुष्टि तभी की जाएगी जब अनुसूचित जातियों सहित सब अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए समुचित उपाय किए गए हों। केबिनेट मिशन ने कांग्रेस पार्टी को संतुष्ट करने के लिए अपनी शीघ्रता में इस बात का साहस नहीं किया है कि वह अपने प्रथम वक्तव्य के खंड 22 में इस उपबंध को सम्मिलित करे, यद्यपि यह 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों का एक भाग था। जबकि कार्यकारी समिति इस बात से प्रसन्न है कि मिशन ने अपनी प्रतिष्ठा फिर प्राप्त कर ली है और उन ब्रिटिश लोगों के सम्मान को बचा लिया है जिनके नाम पर अनुसूचित जातियों को आश्वासन दिए गए थे, कार्यकारी समिति यह मांग करती है कि केबिनेट मिशन की योजना में ये संशोधन किए जाएं–

1. वक्तव्य के पैरा 15 में, निम्नलिखित को खंड (7) और (8) के रूप में जोड़ा जाए–

"(7) अनुसूचित जातियों को अलग निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा।

(8) संविधान में ऐसा उपबंध किया जाएगा जो सरकार पर यह दायित्व डालेगा कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग बसावटों की व्यवस्था की जाए।"

2. प्रथम वक्तव्य के पैरा 20 को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों को सलाहकार समिति का सदस्य बनाया जाए जिन्होंने गत प्राथमिक चुनावों में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किए थे और उन्हें अनुसूचित जातियों के पांच अन्य सदस्यों को सलाहकार समिति में चुनकर भेजने का अधिकार दिया जाए।

7. कार्यकारी समिति महामहिम सरकार और ब्रिटिश लेबर पार्टी को यह सूचित करना चाहती है कि केबिनेट मिशन द्वारा अनुसूचित जातियों के प्रति की गई गलतियों को शीघ्र सुधार कर अनुसूचित जातियों के प्रति वे अपनी सद्‌भावना व्यक्त करें। यदि ऐसा न किया गया तो अनुसूचित जातियों के लिए सीधी कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यदि परिस्थितियों की मांग हुई, तो कार्यकारी समिति अनुसूचित जातियों को इस आने वाले संकट से बचाने के लिए इस बात में हिचक नहीं करेगी कि वह अनुसूचित जातियों को प्रत्यक्ष कार्यवाई की अनुमति दें।

8. कार्यकारी समिति केबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना से अनुसूचित जातियों

* संख्या 376

के मध्य पैदा हुई बेचैनी से अवगत है। कार्यकारी समिति अनुसूचित जातियों से यह कहना चाहती है कि वे साहस और वीरता बनाए रखें जैसी कि उन्होंने अकेले ही, साधन न होते हुए भी, कांग्रेस के विरूद्ध चुनाव लड़ने में दिखाई थी। बावजूद इसके कि कांग्रेस द्वारा हिंसा, अत्याचार और लूट-पाट की गई थी और जब हरेक अन्य पार्टी ने भी अपने द्वारा बंद कर लिए थे, वह उन्हें आश्वासन देती है कि डर की कोई बात नहीं है और यदि हम साहस तथा एकता का सहारा लें तो अनुसूचित जातियों के न्याय तथा मानवता के पक्ष की अवश्य विजय होगी, चाहे उनके शत्रुओं के इरादे कुछ भी क्यों न हों।

9. कार्यकारी समिति एतत्द्वारा अध्यक्ष को प्राधिकार देती है कि वह एक कार्यवाही परिषद् का गठन करें और उसको यह कर्त्तव्य सौंपे कि प्रत्यक्ष कार्रवाई का क्या स्वरूप हो, किस प्रकार इसे प्रभावशील बनाया जा सकता है और यह कब प्रारंभ की जाए।

10. कार्यकारी समिति ने देखा है कि:

(1) सवर्ण हिन्दुओं द्वारा भारत भर के गांवों और नगरों में अनुसूचित जातियों के प्रति किए जा रहे अत्याचार और दमन का सिवाय इसके कोई अन्य कारण नहीं था कि उन्होंने कांग्रेस के विरूद्ध चुनाव लड़े थे तथा इसमें अनेक व्यक्ति घायल हुए और मारे गए;

(2) हिन्दू पुलिस के लिए यह शर्मनाम बात है कि उसने सवर्ण हिन्दुओं का पक्षपात करने के लिए अनुसूचित जातियों के पुरूषों और महिलाओं को कठोर यातनाएं दी और उनको गिरफ्तार किया;

(3) राशनिंग अधिकारी गैर-कानूनी तौर से कांग्रेस के पक्षपाती होने का काम कर रहे हैं और अनुसूचित जातियों को राशन की आपूर्ति करने से इनकार कर रहे हैं;

(4) समाचार पत्रों ने मौन रहने की साजिश की है क्योंकि इनमें निर्दोष पुरूषों और महिलाओं पर किए गए अत्याचारों की भर्त्सना नहीं की गई है;

(5) अनुसूचित जातियों के जीवन और सम्पत्ति को बचाने के लिए प्रान्तीय सरकार द्वारा भेदभाव बरता गया है।

कार्यकारी समिति महसूस करती है कि बहुसंख्यक समुदाय का व्यवहार स्वयं ही यह सिद्ध करता है कि वह शक्ति सौंपे जाने के काबिल नहीं है और यदि बहुसंख्यक समुदाय ने अपनी नैतिकता में सुधार नहीं किया तो अनुसूचित जातियां प्रत्येक साधन से अपना बचाव करेंगी।

22

*श्री एटली का डॉक्टर अम्बेडकर को पत्र

पेरिस, एक अगस्त, 1946

(एल/पी एंड जे/10/50: एफ.एफ. 81–3 और एटली पेपर्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड

प्रिय अम्बेडकर,

मैंने आपके एक जुलाई के पत्र तथा उसके साथ संलग्न कागजात पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।@

---

* ट्रांसफर ऑफ पॉवर, खंड 7, संख्या 105, पृष्ठ 170–72

@ पहली जुलाई को डॉक्टर अम्बेडकर ने श्री एटली को एक लम्बा पत्र भेजा जिसके साथ उन्होंने हाल ही में किए गए पत्रव्यवहार, ज्ञापन, भाषण और अन्य कागजात संलग्न किए। डॉक्टर अम्बेडकर का पत्र उस तार के अनुक्रम में था जो उन्होंने 17 जून को श्री एटली को भेजा था और इस तार में भी इन मुद्दों को उठाया गया था। तार में यह लिखा गया था–

> ''गत वर्ष आयोजित शिमला सम्मेलन में वायसराय ने मेरे विरोध पर तथा होम गवर्नमेंट की सहमति से यह आश्वासन दिया था कि 14 सदस्यों की परिषद में दो स्थान अंतरिम सरकार में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के लिए रखे जाएंगे। मैंने तीन सदस्यों की मांग की थी, पर समझौते में मैंने दो सदस्यों को स्वीकार कर लिया। अंतरिम सरकार ने कल नए प्रस्ताव घोषित किए हैं और अब अनुसूचित जातियों को एक स्थान दिया गया है। काफी विचार–विमर्श के बाद वचन भंग किया जाना एक गंभीर विश्वासघात है। एक सीट देना नितांत अनुचित है। मिशन छः करोड़ अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व की दृष्टि से चालीस लाख सिखों और तीस लाख ईसाइयों के बराबर समझ रहा है। अनुसूचित जाति के नामांकित व्यक्ति अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते और उन्हें समस्त हिन्दू मतों द्वारा चयन किया जाता है तथा ये सदस्य कांग्रेस की देन हैं। अनुसूचित जातियों के कांग्रेसियों को अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। वे कांग्रेस के प्रतिनिधि है। केबिनेट मिशन अनुसूचित जातियों पर एक के बाद दूसरी गलती आरोपित किए जा रहा है तथा कांग्रेस को तुष्ट करने के लिए उनका बलिदान कर रहा है और देश के सार्वजनिक जीवन में उनकी स्वतंत्र स्थिति को नष्ट किए जा रहा है। कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा फेडरेशन के नामांकित व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली दो सीटों को अनुसूचित जातियों को देकर इस गलती के सुधार के लिए निर्देश दें जिसके बारे में मिशन को ज्ञात है कि यह फैडरेशन अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसूचित जातियां दो सीटों के लिए जोर देती है अथवा एक भी सीट नहीं चाहती। मेरे इरादे को गलत न समझा जाए इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आंतरिम सरकार में सम्मिलित हो जाऊं और मैं बाहर रहूंगा। मैं अनुसूचित जातियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। आशा है कि ब्रिटिश सरकार में कुछ न्याय शेष बचा है– अम्बेडकर'

मुझे कहना है कि मैं यह विचार स्वीकार नहीं कर सकता कि केबिनेट मिशन और वायसराय अनुसूचित जातियों के प्रति अन्यायपूर्ण थे। 1945 में शिमला सम्मेलन में जो नीति अपनाई गई थी, उसे संशोधित किए जाने का कारण, जैसा कि आपने कहा है, गत वसंत में हुए प्रांतीय विधान सभाओं के चुनावों के नतीजे हैं। मिशन ने मतदान के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और मैंने स्वयं उनकी जांच की है। हम इस बात को मानते हैं कि वर्तमान निर्वाचन पद्धति उन अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के प्रति न्याय नहीं करती जो कांग्रेस के विरोधी हैं। दूसरी ओर, मैं देखता हूं कि आंकड़ों से उस बात की पुष्टि नहीं होती है जो आप प्राथमिक चुनावों* में अपने फेडरेशन के उम्मीदवारों की उपलब्धियों के बारे में कहते हैं। मैं यहां तथ्यों के ब्यौरे में जानना नहीं चाहता, परंतु ये तथ्य उन प्राथमिक चुनावों से संबंधित हैं जो आयोजित किए गए थे और 151 सीटों में से 43 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई थीं। इन 43 प्राथमिक चुनावों में अनुसूचित जातियों के फेडरेशन ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था और चुनाव में केवल 13 सीटों पर उसे सर्वोच्च स्थान मिला था।

आपने अपने पत्र में तीन विशेष निवेदन किए हैं।@ प्रथम निवेदन के बारे में मुझे यह बताना है कि महामहिम की सरकार चाहती है कि संविधान सभा को कार्रवाई करने की यथासंभव सर्वाधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए जो 16 और 25 मई के केबिनेट मिशन के वक्तव्यों की शर्तों के अनुकूल हो। अलबत्ता हम स्वयं अनुसूचित जातियों को महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक मानते हैं जिनका प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक सलाहकार समिति में होना चाहिए। परंतु जो घोषणा आप चाहते हैं, वह अनुसूचित जातियों तक

---

* डॉक्टर अम्बेडकर ने 1 जुलाई के अपने पत्र में लिखा ''जहां कहीं भी भारत में प्राथमिक चुनाव आयोजित किए गए, इन चुनावों के परिणामों ने यह सिद्ध किया कि फेडरेशन ने जिन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, उनकी स्थिति सर्वोच्च रही और जिन उम्मीदवारों को कांग्रेस ने चुनाव में खड़ा किया था, वे सबसे निचले स्थान पर रहें।''

एल.पी. एंड जे/10/50 एफ 81

@ ये इस प्रकार थे–

(1) स्पष्ट शब्दों में घोषणा कि महामहिम की सरकार का विचार है कि केबिनेट मिशन के वक्तव्य के पैरा 20 के अर्थ में अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक वर्ग हैं।

(2) महामहिम की सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि ऐसे संरक्षण अनुसूचित जातियों को उपलब्ध कराए जाएं जिनसे अनुसूचित जातियां बहुसंख्यक वर्ग से भय–रहित होकर जीवनयापन कर सकें और यह स्थिति इस समझौते से पूर्व होनी चाहिए जिस पर प्रभुसत्ता के हस्तांतरण के लिए संधि–पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएं।

(3) अंतरिम सरकार में कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जातियों के होने चाहिए तथा इन सदस्यों का नामांकन अनुसूचित जातियों के फेडरेशन द्वारा किया जाना चाहिए।

वही, एफ 82

ही सीमित नहीं की जा सकती तथा उन सभी तत्वों का वक्तव्य होगी जिनके बारे में हमारा विचार है कि उन्हें सलाहकार समिति में अल्पसंख्यक वर्गों के रूप में शामिल किया जाए। यद्यपि महामहिम की सरकार की ओर से यह केवल मत की अभिव्यक्ति होगी, तो भी निश्चित रूप से इसे सभा की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रयत्न समझा जाएगा और इस प्रकार इससे गंभीर रोष उत्पन्न होगा। इन परिस्थितियों में, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि इस प्रकार की घोषणा अनुसूचित जातियों के उद्देश्य के लिए लाभदायक होगी।

आपके दूसरे निवेदन के बारे में मुझे कहना है कि मैं नहीं समझता कि 15 मार्च को हाउस ऑफ कामन्स में मेरे भाषण में वे शब्द निहित हैं जिन्हें आप मेरे शब्द* बताते हैं। मैंने कहा था- ''हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पूरा ध्यान है और अल्पसंख्यकों को भय-रहित जीवनयापन करने का अधिकार होना चाहिए।'' यह विचार महामहिम सरकार का है और इसकी अभिव्यक्ति 25 मई के मंत्रिमंडल मिशन के वक्तव्य के पैरा 4 में की गई है। मैं नहीं समझता कि महामहिम की सरकार इस अवस्था में कोई अन्य घोषणा करेगी जो उस पैरा में अभिव्यक्त बात की व्याख्या से होती है।

आपका अंतिम निवेदन यह है कि अनुसूचित जातियों के कम से कम दो प्रतिनिधि होने चाहिए जो अनुसूचित जातियों के फेडरेशन द्वारा नामांकित व्यक्ति हों। मुझे खेद है कि मैं इसे संभव बनाने के लिए कोई आशा नहीं दे सकता।

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको संविधान सभा के लिए चुन लिया गया है।

सी.आर.ए.

---

* डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया था कि केबिनेट मिशन पहले ही यह विचार व्यक्त कर चुका है कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उनकी दूसरी मांग की पूर्ति तभी हो सकेगी जब इस वक्तव्य के साथ इन शब्दों को जोड़ा जाए- ''ऐसे संरक्षण जिनके फलस्वरूप अनुसूचित जातियां बहुसंख्यकों के भय से मुक्त रहेंगी।'' ये वही शब्द हैं जिनके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने दावा किया था और इन शब्दों का प्रयोग श्री एटली ने 15 मार्च के अपने भाषण में किया था। *वही।*

23

*डॉक्टर अम्बेडकर का श्री एटली को पत्र

एल/पी एंड जे/10/50:एफ55
दादर, बम्बई 14
12 अगस्त, 1946

प्रिय श्री एटली,

आपके 1 अगस्त, 1946 के पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे यह आशा नहीं थी कि आप समय निकालकर मेरे 1 जुलाई, 1946 के पत्र का उत्तर देंगे। अत: मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने समय निकाला ताकि मैं इन मुद्दों पर आपके विचारों से अवगत हो सकूं जो मैंने अपने पत्र में उठाए थे।

2. मुझे आशंका है कि मैं आपके उस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता कि 1945 में शिमला सम्मेलन के बाद महामहिम की सरकार द्वारा अपनाई गई नीति में संशोधन किया जाना उचित है और न मैं मिशन के उस तरीके का समर्थन करता हूं जो अनुसूचित जातियों के लिए अपनाया गया है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हाऊस ऑफ कामन्स में श्री एलेक्जेंडर का यह वक्तव्य बहुत बेदर्द वक्तव्य है अधिकांश अनुसूचित जातियां कांग्रेस के साथ है क्योंकि इस वक्तव्य में कोई सत्यता नहीं है। यह केवल मेरा ही मत नहीं है अपितु यदि आप केवल सर एडवर्ड बेनथाल से परामर्श करें, जो इस समय इंग्लैंड में है, मेरी धारणा है कि वे मेरा समर्थन करेंगे।

3. जहां तक आपके विश्लेषण का संबंध है, आपने प्राथमिक चुनाव में फेडरेशन की उपलब्धियों का परिणाम दिया है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आपने इसको गलत समझा है और मुझे यह कहना पड़ता है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति जो तथ्यों के महत्व को न जानता हो अथवा चुनाव के तरीके को न समझता हो, वह भी स्पष्टीकरण के बिना ही यह समझ सकता है कि वे तथ्य क्या कह रहे है। मिशन के विरूद्ध मेरे आरोप का मुख्य आधार यह है कि जब कांग्रेस ने तस्वीर का दूसरा

* द ट्रांसफर ऑफ पॉवर, खंड 7, संख्या 142, पृष्ठ 221-23

पहलू प्रस्तुत किया तब उसका कर्त्तव्य था कि मुझे बुला लेते और मुझसे व्याख्या करा लेते। मिशन ने ऐसा नहीं किया जब कि उसे न्याय के अनुरूप ऐसा करना चाहिए था। यदि मैं संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत करने में असफल हो जाता तो मिशन उस निष्कर्ष पर आ सकता था जो उसने निकाला है। मिशन को पूर्णतया गलतफहमी हुई है और यह बात मेरे चुनाव से सिद्ध होती है कि मुझे बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया है। केबिनेट मिशन ने हाऊस ऑफ कामन्स में बताया कि मेरा प्रभाव बम्बई और सी.पी. तक ही सीमित है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुझे बंगाल से चुना गया? मेरे अपने चुनाव के संबंध में तीन तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक बात यह है कि मैं केवल चुनाव ही नहीं जीता, अपितु मैं चुनाव में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर सका जबकि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च बंगाली नेता श्री शरत चन्द्र बोस भी हार गये। दूसरे, मैं किसी भी प्रकार से बंगाल की अनुसूचित जातियों के समुदाय के साथ साम्प्रदायिक बंधनों से संबंधित नहीं हूं। वे अलग जाति के हैं, जिस जाति का मैं नहीं हूं। वास्तव में मेरी जाति के लोग बंगाल में नहीं रहते, फिर भी बंगाल की अनुसूचित जातियों के लोगों ने मेरा समर्थन किया और यह समर्थन इतना अधिक था कि मैं सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सका। तीसरे, बंगाल की अनुसूचित जातियां कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुई, परंतु उन्होंने अपनी पार्टी के वे नियम तोड़ दिए जिनके अनुसार उन्हें कांग्रेस के लोगों को ही अपने मत देने थे जबकि उन्होंने मुझे मत दिए। क्या इससे यह सिद्ध होता है कि बंगाल में मेरे अनुयायी नहीं थे? मुझे विश्वास है कि यदि केबिनेट मिशन अपने निष्कर्ष में ईमानदार है तो उसे अपने उस गलत मत का संशोधन करना चाहिए जो हाऊस ऑफ कॉमन्स में व्यक्त किया गया तथा अपना विचार बदल कर फेडरेशन को समुचित मान्यता प्रदान करनी चाहिए।

4. जहां तक अल्पसंख्यक सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों की स्थिति का संबंध है, मुझे यह आश्वासन पाकर प्रसन्नता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल अनूसूचित जातियों को महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग मानता है। परंतु फिर भी मैं यह बात दुहराना चाहता हूं कि जब तक केबिनेट मिशन सार्वजनिक घोषणा नहीं करता तब तक इस विचार से अनुसूचित जातियों को सहायता नहीं मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जैसा कि आप देखेंगे, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की ओर से वायसराय को विचार-विमर्श के समाप्त होने से पूर्व अपने अंतिम पत्र में लिखा था और जोरदार शब्दों में इस विचार को चुनौती दी थी कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक वर्ग की हैं। अनुसूचित जातियों को इस बात का भय है कि यदि यह विचार समय रहते ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ठीक नहीं किया जाता है तो अनुसूचित जातियों के मामले पर उस सलाहकार समिति में विचार नहीं किया जाएगा जो कांग्रेस के सदस्यों से भरी

होगी। यह खतरा है कि अनुसूचित जातियों को हिन्दुओं के सामाजिक ग्रुप के रूप में माना जाएगा और उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग नहीं समझा जाएगा। यह स्थिति निश्चय ही बनेगी क्योंकि श्री गांधी ने भी ऐसा ही कहा है। श्री गांधी स्पष्ट रूप से यह सोचते है कि वे अनुसूचित जातियों के साथ वहीं सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि यह तथ्य है कि ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जातियों को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है।

5. इन परिस्थितियों में मैं आपसे कहूंगा कि आप इस मामले के बारे में विचार करें और यह साबित करें कि अनुसूचित जातियां एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग हैं ताकि वे नए संविधान में अपनी भावी स्थिति के खतरे से बच सकें।

6. मैं यह पढ़कर दुःखी हूं कि आप अनुसूचित जातियों के लिए कोई आशा नहीं दिलाते कि उन्हें अंतरिम सरकार में दो सीटें मिल जाएंगी। मैं इस नकारात्मक स्थिति के लिए कोई औचित्य नहीं देखता। उनकी संख्या तथा 1945 में गत शिमला सम्मेलन के समय दिए गए आश्वासन दोनों ही आधार पर वे अच्छे व्यवहार के अधिकारी है जैसा कि सिखों और अन्य छोटे अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है। मेरा विचार है कि मैंने जो दावा किया है, वह न्यायसंगत है।

सद्भावना सहित,

भवदीय,

बी.आर. अम्बेडकर

24

*लॉर्ड पेथिक-लारेंस का श्री एटली को पत्र

एल/पी एंड जे/10/50: एफ.एफ. 38–40
इंडिया ऑफिस 3 सितम्बर, 1946
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मिनट: क्रम सं. 48/46

प्रधान मंत्री,

आपने मुझे अम्बेडकर के उस पत्र पर विचार व्यक्त करने के लिए कहा है जो उन्होंने 12 अगस्त को आपको लिखा था।[@]

2. जहां तक उनके दूसरे पैरा का संबंध है, आप उस ज्ञापन में दलित वर्गों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण देखेंगे जिसे मेरे निजी सचिव ने अम्बेडकर के पत्र के उत्तर में मसौदे के साथ 26 जुलाई[+] को भेजा है। सारांश में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथमिक चुनाव लड़े गए और उन चुनावों में कांग्रेस ने अम्बेडकर के संगठन से कहीं अधिक मत प्राप्त किए जबकि उन स्वतंत्र उम्मीदवारों को अनुपात में और भी अधिक मत मिले जो अम्बेडकर के समर्थक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। किन्तु इसके अलावा, दो-तिहाई सीटें कांग्रेस ने निर्विरोध जीत ली। अलबत्ता ये आंकड़े अंतिम नहीं हैं, परंतु यह कहना संगत नहीं है कि कॉमन्स में प्रथम लॉर्ड के वक्तव्य में ''सत्य का आधार नहीं है'' यद्यपि मेरा विचार है कि यह कुछ ज्यादा ही निश्चयात्मक था।

3. अम्बेडकर के पत्र के पैरा 3 के संबंध में यह बात हाऊस ऑफ कामन्स में नहीं कही गई थी कि उनका प्रभाव बम्बई और मध्य प्रांत तक ही सीमित है। वह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष के भाषण का संदर्भ दे रहे हैं जिसमें वास्तविक शब्द इस प्रकार थे: ''डाक्टर अम्बेडकर का संगठन कुछ स्थानीय प्रकृति का है (कांग्रेस संगठन की अपेक्षा) और यह संगठन मुख्यतया बम्बई और मध्य प्रांत तक सीमित है।'' मैंने इस बात की जांच की है कि बंगाल में संविधान सभा के चुनाव में क्या

---

* ट्रांसफर ऑफ पॉवर, खंड 8, संख्या 250, पृष्ठ 411–12

@ संख्या 142

+ एल.पी.एंड जे/10/50 एफ 63–9

हुआ जो अलबत्ता सानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। अम्बेडकर को पांच प्रथम वरीयता मत प्राप्त हुए। शरद चन्द्र बोस को भी पांच प्रथम वरीयता मत प्राप्त हुए। बंगाल में चुनाव का कोटा चार मतों तक सीमित था। यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस अपने मतदाताओं को इस प्रकार संगठित करेगी कि अपने उम्मीदवारों में से प्रत्येक उम्मीदवार को यथासंभव चार प्रथम वरीयता मत मिल सकें। ''मतदान में सर्वोच्च'' जैसे शब्दों का महत्व सानुपातिक चुनाव में नहीं होता है। इसे कोई भी नहीं नकारता कि अम्बेडकर को भी बंगाल के दलित वर्गों में प्रभाव प्राप्त था। बंगाल विधान सभा में अनुसूचित जातियों के पच्चीस सदस्य हैं, इनमें से चार सदस्य स्वतंत्र सदस्यों के रूप में चुन लिए गए और एक अम्बेडकर का उम्मीदवार चुना गया। मैं यह नहीं जानता कि क्या सभी स्वतंत्र उम्मीदवारों ने संविधान सभा के चुनाव में अम्बेडकर को मत दिए थे अथवा क्या उन्हें कुछ एंग्लो-इंडियन मत प्राप्त हुए थे।

4. अम्बेडकर के पैरा 4 के संबंध में, मुझे विश्वास है कि हम सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकते कि हम अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक वर्ग मानते हैं और इस अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही सही है कि कांग्रेस उन्हें अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अल्पसंख्यक वर्ग नहीं मानती जबकि हमने सदैव उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग समझा है। परंतु हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि यह सुनिश्चित कर सकें कि अम्बेडकर के संगठन का अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व हो।

5. मैं यह नहीं समझता कि वास्तव में अम्बेडकर के पत्र का उत्तर भेजना चाहिए, परंतु यदि आप इसे सद्‌भावनापूर्ण मानें तो आप उत्तर भेज सकते हैं, जिसके लिए मैं एक छोटा मसौदा* भेज रहा हूं। मैं प्रथम लॉर्ड और बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष के भाषण के उद्धरण@ भेज रहा हूं जो कामन्स की बहस में उन्होंने दिए थे। मेरे अपने भाषण का एक अंश उसी प्रकार का था, परंतु वह संक्षिप्त था।

पेथिक लारेंस

* मुद्रित नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगता कि श्री एटली ने डॉ. अम्बेडकर के पत्र का उत्तर दिया।
@ मुद्रित नहीं हुआ।

25

*लॉर्ड पेथिक लारेंस का श्री एटली को पत्र

एल/पी एंड जे/ 10/50: एफएफ 28–32
इंडिया ऑफिस, 9 सितम्बर, 1946
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कार्यवाही–वृतांत: क्रम सं. 51/46

प्रधान मंत्री,

संविधान सभा की सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में आपके व्यक्तिगत मिनट संख्या एम 296/46, दिनांक 4 सितंबर@ का संदर्भ।

2. निश्चय ही मिशन का इरादा था कि सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मैंने अम्बेडकर को पत्र# द्वारा सूचित किया था। यह पत्र मैंने भारत में ही उन्हें लिखा था। आपने 1 अगस्त† के अपने उत्तर के तीसरे पैरा में डॉक्टर अम्बेडकर को बताया था कि महामहिम की सरकार स्वयं अनुसूचित जातियों को महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक मानती है और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक सलाहकार समिति में होना चाहिए, परंतु इस बारे में सार्वजनिक घोषणा करने की उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार की घोषणा का तात्पर्य यह होगा–

(क) ऐसे सभी अन्य तत्वों का भी विशेष रूप से उल्लेख करना पड़ेगा जिन्हें महामहिम की सरकार समझती है कि सलाहकार समिति में अल्पसंख्यकों के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए; और

(ख) इसे संविधान सभा के कार्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का प्रयास भी समझा जाएगा।

---

* ट्रांसफर ऑफ पॉवर, खंड 8, संख्या 288, पृष्ठ 466–68

@ संख्या 253 (द ट्रांसफर आफ पॉवर के क्रम संख्या में देखिए–सम्पादक)

संख्या 399, खंड VII (देखिए पृष्ठ 502–सम्पादक)

† संख्या 105, खंड VIII (देखिए पृष्ठ 509–सम्पादक)

3. परंतु स्थिति यह है कि हमने सलाहकार समिति के गठन को संविधान सभा के हाथ में छोड़ दिया है और अब हम स्वयं यह उपबंध नहीं कर सकते। मैं नहीं सोचता कि हमें हाऊस को गुमराह करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष के 18 जुलाई के भाषण में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था और इसके संगत पैरा को 3 सितम्बर के मेरे मिनट के साथ संलग्न कर दिया गया था।*

4. क्या अनुसूचित जातियां अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का गठन करती हैं अथवा वे हिन्दुओं के साथ वर्गीकृत होती हैं, इसका एक दीर्घ इतिहास है और इस बारे में विवादास्पद स्थिति है। गांधी ने अपने जीवन में काफी समय तक दूसरे विचार का प्रयास किया है। परंतु जब मैंने अपने तीन सितबर के कार्यवाही-वृत्तांत के पैरा 4 में बताया था कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों को अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग@ नहीं मानती, तो मेरे मस्तिष्क में 25 जून को वायसराय को लिखे आजाद के पत्र का पैरा घूम रहा था (16 मई के हमारे वक्तव्य के कुछ सप्ताह बाद) जिसका डॉक्टर अम्बेडकर ने आपसे अपने दोनों पत्रों# में उल्लेख किया था। इस पत्र में आजाद ने लिखा था कि कांग्रेस ''इस विचार का खंडन करती है कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक वर्ग की हैं और उन्हें हिन्दू समाज का अभिन्न अंग समझती है।'' (सीएमडी 6861 के पृष्ठ 23 का दूसरा पैरा) इस वक्तव्य में श्री जिन्ना† को वायसराय के आश्वासन का संदर्भ दिया गया है कि वे अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों को आवंटित सरकार में रिक्त स्थानों को भरने से पूर्व मुख्य पार्टियों से परामर्श करेंगे। यह बात पूर्णतया अस्वाभाविक नहीं थी कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों को अपना ही उत्तरदायित्व माने तथा इस बात पर आपत्ति उठाए कि मुस्लिम लीग को अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति में कुछ कहने का अधिकार है।

5. यह धारणा बनाने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं है कि कांग्रेस सलाहकार समिति में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की इच्छा नहीं रखती। वह भारत और विदेश में आलोचना से बचना चाहेगी, और उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि यथासंभव अधिक अनुपात में अनुसूचित जातियों को अपनी ओर मिलाए या उनसे समझौता करे, यदि किसी और प्रयोजन के लिए नहीं तो इसलिए कि वे मुस्लिम लीग के साथ न मिल जाएं। समिति को नागरिकों तथा अल्पसंख्यक

---

* संख्या 250 (देखिए पृष्ठ 515-सम्पादक)

@ खंड VII, संख्या 603, (टान्सफर ऑफ पॉवर)

देखिए संख्या 105 और संख्या 142 के फुटनोट (ट्रांसफर ऑफ पॉवर)

† खंड VII संख्या 573 (टान्सफर ऑफ पॉवर)

वर्गों दोनों के ही अधिकारों को देखना है ताकि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के सम्मिलित किए जाने का प्रश्न पूर्वाग्रही न बने कि क्या वे अल्पसंख्यक हैं या नहीं। दूसरी ओर, इस बात की गारंटी नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर अथवा कांग्रेस विरोधी अनुसूचित जातियों का कोई अन्य सदस्य समिति में स्थान पा सकेगा।

6. मैं अभी भी यह महसूस करता हूं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर की सार्वजनिक घोषणा की मांग के उत्तर में इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार न हों कि 16 मई के मिशन के वक्तव्य के पैरा 20 के अर्थ के अनुसार अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक वर्ग है। यदि ऐसा किया जाता है तो निश्चय ही वह गांधी के साथ विवाद पैदा करना होगा जिसका परिणाम यह हो सकता है कि अनुसूचित जातियों को प्रदर्शन के रूप में सम्मिलित किए जाने पर कांग्रेस में विरोध होगा। यदि हमने यह नहीं भी कहा कि अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक है और यही कहा कि उन्हें समिति में सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो हमारे वक्तव्य से एंग्लो-इंडियन और अन्य वर्गों के प्रश्न में इसी प्रकार का वक्तव्य देने की मांगे उठेंगी तथा उसे संविधान सभा के काम में हस्तक्षेप समझा जाएगा, और ऐसी स्थिति को न आने देने के लिए हम चिन्तित हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इस प्रकार के वक्तव्य से कांग्रेस सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों से बेहतर बर्ताव करने के प्रयोजन से उन्हें अधिक स्थान देगी जो वह अन्यथा न देती। न ही इससे डॉक्टर अम्बेडकर को सहायता मिलेगी क्योंकि इसमें केवल अनुसूचित जातियों का उल्लेख होगा और उनमें कोई भेद नहीं होगा जो कांग्रेस का समर्थन करती है और जो कांग्रेस का समर्थन नहीं करती।

पेथिक लॉरेन्स

* श्री एटली ने उस कार्यवाही-वृतांत पर यह लिखा
– 'आगे कोई कार्रवाई नहीं।' एटली पेपर्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज, आक्सफोर्ड

भाग 3

वक्तव्य

1

अनुसूचित जातियों (अछूतों) पर प्रभाव डालने वाले भारत के संवैधानिक परिवर्तनों के विषय में मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल (केबिनेट मिशन) के प्रस्तावों की ***डा. बी.आर. अम्बेडकर*** *द्वारा समीक्षा।*

*क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की अनुसूचित जातियों (अछूतों) का प्रतिनिधित्व करती है?

इस वर्ष के प्रारंभ में श्रमिक सरकार (लेबर गवर्नमेंट) ने भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जो मंत्रिमंडल शिष्टमंडल (केबिनेट मिशन)भेजा, उसने एक संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। इस संविधान सभा में ऐसे प्रतिनिधि होंगे जिनका चुनाव प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के गठन के लिए मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल की योजना ने प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों को तीन वर्गों में विभक्त किया है: 1. मुस्लिम, 2. सिख और 3. सामान्य। इनमें से प्रत्येक के लिए सीटों का कोटा निर्धारित किया गया है। प्रत्येक वर्ग का एक अलग निर्वाचन-मंडल होगा जिससे संविधान सभा के मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधायिका के मुस्लिम सदस्यों द्वारा किया जाएगा, सिख प्रतिनिधियों को सिख सदस्यों द्वारा और सामान्य वर्ग के सदस्यों को शेष सभी सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। 'सामान्य वर्ग' में 1. हिन्दू 2. अनुसूचित जातियां 3. भारतीय ईसाई तथा 4. एंग्लो-इंडियन शामिल हैं।

2. भारत की अनुसूचित जातियों को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उनको हिन्दुओं के साथ मिला दिया गया है। महामहिम की सरकार द्वारा कई बार यह घोषणा की गई है कि महामहिम की सरकार यह मानती है कि अनुसूचित जातियां भारत के राष्ट्रीय जीवन में पृथक घटक हैं और यह कि महामहिम की सरकार ऐसा कोई संविधान नहीं लायेगी/थोपेगी जिसमें अनुसूचित जातियां एक इच्छुक पक्ष नहीं होंगी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल (कैबिनेट मिशन) ने मुस्लिमों तथा सिखों को पृथक घटक क्यों माना है और उसने अनुसूचित जातियों को वही हैसियत देने से इंकार क्यों किया है?

---

* स्रोत: मुद्रित पुस्तिका

मंत्रीमंडलीय शिष्टमंडल (केबिनेट मिशन) के प्रस्तावों पर संसद में 18 जुलाई को जो वाद–विवाद हुआ, उसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, श्री अलेग्जेंडर तथा लार्ड पैथिक लारेंस ने इस आलोचना से स्वयं को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने दो तर्क दिए–

> (1) कि प्रांतीय विधायिका के चुनावों में जो पिछली फरवरी में हुए थे, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों को कांग्रेस ने जीत लिया था, जिससे यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियां कांग्रेस के साथ हैं और वे अपने भाग्य को कांग्रेस के अर्थात् हिन्दुओं के साथ जुड़ा मानती हैं और इसलिए उनको पृथक व अलग रखने का कोई आधार नहीं है।
>
> (2) कि अल्पसंख्यकों के विषय में एक सलाहकार समिति होगी। जिसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व होगा और वे उसमें अपने लिए आवश्यक बचाव के उपाय करने के लिए आवाज उठा सकेंगे।

दूसरा तर्क बहुत ही बेकार है। इसके कारण स्पष्ट है। सलाहकार समिति की स्थिति तथा शक्तियों को निर्धारित नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित नहीं है। सलाहकार–समिति के निर्णयों को केवलमात्र बहुलमत द्वारा ही लिया जाना है। अंत में, सलाहकार–समिति संविधान–सभा की ही मात्र प्रतिच्छाया होगी, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकती। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के समस्त प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और वे अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अतएव वे कांग्रेस पार्टी के आदेश के अधीन हैं, वे उसी के आदेश का पालन करेंगे। उनमें से जिन व्यक्तियों को सलाहकार समिति में रखा जाएगा, वे उसी पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। वे संविधान सभा में या सलाहकार–समिति में अनुसूचित जातियों के वास्तविक दृष्टिकोण को प्रस्तुत नहीं कर सकते।

मंत्रीमंडलीय आयोग के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जातियों को पृथक तथा स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देने में अपनी असफलता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अपने बचाव में जो मुख्य बात कहीं गई वह यह है कि विगत चुनावों में अनुसूचित जातियों की सीटों को कांग्रेस ने जीता था। उनके बचाव का यह तर्क भी ठीक नहीं उतरता। यह सच है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों की सीटों को जीता था। परंतु इसका उत्तर यह है कि इस चुनाव के परिणामों को विभिन्न बातों के कारण आधार नहीं माना जाना चाहिए।

प्रथम अनूसूचित जातियों जैसे दलों पर, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया था, उसी कारण से लोगों का विश्वास नहीं था। दूसरे, आजाद हिन्द फौज के लोगों के अभियोग का, जो चुनाव के समक्ष ही चला था, कांग्रेस को लाभ पहुंचा और दूसरे दलों को हानि हुई। यदि आजाद हिन्द फौज पर अभियोग चुनाव के समय न चला होता तो कांग्रेस की पूर्णतया हार होती, क्योंकि उसकी साख बहुत निम्न थी।

इन दो कारणों के अलावा, चुनाव के परिणाम परीक्षण के रूप में क्यों नहीं लिए जाने चाहिए थे इसका एक विशेष कारण यह है कि उसे इस बात का आधार नहीं माना जाना चाहिए कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं। वह कारण यह है कि अनुसूचित जातियों की सीटों के लिए अंतिम निर्णय संयुक्त निर्णायक प्रणाली द्वारा होता है जिसमें हिन्दू भी वोट (मत) देते हैं। चूंकि हिन्दुओं के वोट की प्रधानता होती है, अतः कांग्रेस के लिए अनुसूचित जातियों से संबंधित अपने उन उम्मीदवारों को पूर्णतया हिन्दू वोटों द्वारा चुनाव कर लेना आसान होता है जो अनुसूचित जाति की सीटों के लिए खड़े हैं। यह बात कि विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि जो कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए थे, वे मात्र हिन्दू वोटों द्वारा चुने गए, अनुसूचित जातियों के वोटों द्वारा नहीं। यह एक तथ्य हैं जिसे मंत्रीमंडलीय आयोग भी नकार नहीं सकेगा। कांग्रेस अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं इस बात का निर्णय करने की वास्तविक जांच प्राथमिक चुनावों के परिणामों को देखकर की जा सकती है जो अंतिम चुनावों से पहले हुए थे, क्योंकि प्राथमिक चुनावों में अनुसूचित जातियों का पृथक निर्वाचन-मंडल है जिसमें हिन्दुओं को मत देने का कोई अधिकार नहीं है। अतएव प्राथमिक चुनाव अनुसूचित जातियों की वास्तविक भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। प्राथमिक चुनाव के परिणाम क्या दर्शाते हैं? क्या वे यह दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां कांग्रेस के साथ हैं?

अनुसूचित जातियों को प्रांतीय विधानमंडलों की 151 सीटें आवंटित की गई हैं। वे, सिंध तथा उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़कर, विभिन्न प्रांतों में वितरित हैं।

प्राथमिक चुनाव अनिवार्य नहीं होता है। यह केवल तभी अनिवार्य होता है, जब एक सीट के लिए यदि चार से अधिक उम्मीदवार लड़ रहे हों।

विगत प्राथमिक चुनावों में, जो अंतिम चुनाव से पहले हुए, प्राथमिक चुनाव 151 में से 40 निर्वाचन क्षेत्रों में अनिवार्य हो गया था। सीटें निम्न प्रकार से वितरित थीं-

मद्रास	10
बम्बई	3
बंगाल	12
संयुक्त प्रांत	3
मध्य प्रांत	5
पंजाब	7

बिहार तथा उड़ीसा के प्रांतों में कोई प्राथमिक चुनाव नहीं हुए।

40 निर्वाचन मंडलों में प्राथमिक चुनावों के परिणामों को परिशिष्ट में तालिकाबद्ध किया गया है जो इस नोट के साथ संबद्ध है। परिणाम यह सिद्ध करते हैं–

(1) कि 283 उम्मीदवारों में से कांग्रेस ने अपने टिकट पर (तालिका 1 देखें) केवल 46 उम्मीदवार खड़े किए और 168 सफल उम्मीदवारों में से उसके पक्ष वाले केवल 38 उम्मीदवार सफल हुए (देखें तालिका V)

(2) प्राथमिक चुनाव में किसी पार्टी के प्रवेश करने का उद्देश्य अपनी पार्टी के टिकट पर कम से कम चार उम्मीदवारों को खड़ा करके अंतिम चुनाव से सभी प्रतिद्वन्द्वी दलों को बाहर करना होता है। एक दल अपने टिकट पर चार उम्मीदवार खड़े कर सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपने मतदाताओं पर अपनी पार्टी के टिकट के पक्ष में मत देने के संबंध में उसका कितना विश्वास है। कांग्रेस ने प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में एक से अधिक उम्मीदवार खड़ा करने का साहस नहीं किया। हमें इससे पता चलता है कि कांग्रेस को यह विश्वास नहीं था कि अनुसूचित जातियों के मतदाता उसके उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेंगे। यदि ऐसा कोई दल है जिसने उस प्रत्येक सीट के लिए जिस पर उसने चुनाव लड़ा है चार उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वह दल 'अनुसूचित जाति संघ' (शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन) है। (देखें तालिका II, भाग I और V, कॉलम 3 तथा 4)

(3) कांग्रेस के पक्ष में जो मत पड़े हैं, यदि उनको मापा जाय तो यह बात निर्विवाद रूप में सिद्ध होती है कि कांग्रेस ने प्राथमिक चुनावों में डाले गए मतों के केवल 28 प्रतिशत मत प्राप्त किए। (देखें, तालिका IV)।

(4) यदि किसी व्यक्ति को हिन्दू मतों की सहायता से अंतिम चुनाव में निर्वाचित होने का प्रलोभन न हो, तो समस्त स्वतंत्र उम्मीदवार अनुसूचित

> जाति संघ के हो जाएंगे। उस मान्यता के आधार पर अनुसूचित जाति संघ ही केवल एकमात्र ऐसा दल है जो अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करता है और गैर-कांग्रेस दलों के पक्ष में पड़े 72 प्रतिशत मतों को उसके पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। (देखें, तालिका IV)।

मंत्रिमंडलीय आयोग के सदस्यों ने यह तर्क दिया कि डा. अम्बेडकर के अनुयायी केवल बम्बई प्रेसिडेंसी तथा मध्य प्रांत (सेन्ट्रल प्रोविसेंज) में अनुसूचित जातियों तक ही सीमित था।

इस बयान का कोई आधार नहीं है। अनुसूचित जाति संघ अन्य प्रांतों में भी काम कर रहा है और इसने वहां भी चुनाव में बम्बई तथा मध्य प्रांत की भांति ही बड़ी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यह बयान देते समय आयोग डा. अम्बेडकर की संविधान सभा में प्राप्त जीत को ध्यान में रखने में असफल रहा है। वह एक उम्मीदवार के रूप में बंगाल प्रांत की विधान सभा से खड़े हुए थे। उन्होंने प्रथम वरीयता के 7 मत प्राप्त किए, और जहां तक सामान्य सीटों का संबध है, चुनाव में शीर्ष पर रहे, और कांग्रेस पार्टी के नेता, श्री शरत चन्द्र बोस को भी पराजित किया। यदि डा. अम्बेडकर का बम्बई तथा मध्य प्रांतों के बाहर कोई प्रभाव नहीं है तो वह बंगाल से किस प्रकार चुने गए? इसके अलावा यह बात भी याद रखनी चाहिए कि बंगाल की प्रांतीय विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए 30 सीटें हैं। इन 30 में से 28 पर कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार चुने गए शेष दो में से जो उसकी पार्टी से संबंधित हैं, एक उम्मीदवार चुनाव के दिन बीमार हो गया। इसका अभिप्राय यह है कि कांग्रेस के टिकट पर चुने गए, अनुसूचित जाति के 6 सदस्यों ने कांग्रेस के आदेश को तोड़ा और डा. अम्बेडकर के पक्ष में मतदान किया। इससे यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के वे सदस्य भी जो कांग्रेस के टिकट पर चुने गए हैं और कांग्रेस से संबंधित हैं, उन्हें अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में मानते हैं। यह बात आयोग द्वारा दिए गए बयान का पूर्ण खंडन है।

आयोग के आत्मकसमर्पण से कांग्रेस को इतना अधिक प्रोत्साहन मिला है कि आयोग को सम्बोधित एक पत्र में कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया है कि अनुसूचित जाति एक अल्पसंख्यक वर्ग है। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों को वही सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है जो अन्य अल्पसंख्यक वर्गो को वह देगी। आयोग ने कांग्रेस के इस सुझाव का खंडन नहीं किया है। पर इसमें एक बड़ा खतरा छिपा है और यह आवश्यक है कि वाद-विवाद के दौरान आयोग को यह बात

बताई जाए और उन्हें यह स्पष्ट घोषित करने के लिए बाध्य किया कि वे अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक मानते हैं या नहीं।

मंत्रीमंडलीय आयोग ने अपने प्रस्तावों में कहा है कि प्रभुसत्ता को स्थानांतरित किए जाने से पहले, संसद को स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सुरक्षा के उपाय पर्याप्त हैं। आयोग ने कहीं भी सुरक्षा के उपायों की जांच करने वाले तंत्र को निर्धारित नहीं किया है। अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा के उपायों की जांच करने के लिए संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति होगी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। आयोग ने यह भी नहीं कहा है कि सुरक्षा पर्याप्त है या नहीं, इस विषय में निष्कर्ष निकालने के लिए महामहिम की सरकार अपना स्वतंत्र नियम करेगी। इन मामलों को निर्धारित करना आवश्यक है क्योंकि यह व्यवस्था आयोग के साथ बाद में विचार करके दी गई थी और यह उनके मूल प्रस्तावों में नहीं थी। यह इस बात का संकेत देती है कि इसका उद्देश्य केवल अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक घूस के रूप में कार्य करना था।

प्राथमिक चुनावों के परिणामों
का
विश्लेषण

ये निर्वाचन दिसम्बर, 1945 में भारत के प्रांतीय विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए अनुसूचित जातियों (अछूतों) में से उम्मीदवारों का चयन करने के लिए (फरवरी, 1946 में भारत में हुए सामान्य निर्वाचनों से पहले) हुए थे।

नोटः इस विश्लेषण में तालिकाएं सरकारी आंकड़ों से तैयार की गई हैं।

प्रस्तावों की समीक्षा–

तालिका-I

जिन दलों ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्राथमिक चुनाव लड़ा उनको प्रान्तवार दर्शाया गया है

क्र.सं.	*दल का नाम जिसने प्राथमिक चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़े किए*	*प्रत्येक दल द्वारा निम्न प्रांतों में खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या*						*समस्त प्रांतों में दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या*
		मद्रास	*बम्बई*	*बंगाल*	*संयुक्त प्रांत*	*मध्य प्रांत*	*पंजाब*	
1.	कांग्रेस	10	3	13	11	5	4	46
2.	अनुसूचित जाति संघ	35	6	8	9	12	कोई नहीं	70
3.	हरिजन लीग	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1	3	कोई नहीं	4
4.	निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)	5	9	76	3	8	52	153
5.	हिन्दू महासभा	कोई नहीं	कोई नहीं	1	1	कोई नहीं	कोई नहीं	2
6.	साम्यवादी (कम्यूनिस्ट)	6	कोई नहीं	1	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	7
7.	रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी	कोई नहीं	कोई नहीं	1	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1
	जोड़	56	18	100	25	28	56	283

तालिका-II

जिन दलों ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्राथमिक चुनाव लड़ा, उनको निर्वाचन-क्षेत्रवार दर्शाया गया है-

भाग : I मद्रास

	निर्वाचन क्षेत्र जिसमें प्राथमिक चुनाव हुआ	*चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या*	*वे दल जिन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या*			
			कांग्रेस	*अनुसूचित जाति संघ*	*साम्यवादी*	*निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)*
1.	अमलापुरम	7	1	4	2	कोई नहीं
2.	कोको नाडा	5	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं
3.	बंदर	5	1	1	3	कोई नहीं
4.	कुडप्पा	5	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	पेनुकोंडा	5	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं
6.	तिरमवन्नमलाई	6	1	5	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	टिंटिवेणम	6	1	5	कोई नहीं	कोई नहीं
8.	मन्नरगुडि	5	1	कोई नहीं	1	3
9.	पोल्लाची	7	1	4	कोई नहीं	2
10.	नम्मकल	5	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं
	जोड़	56	10	35	6	5

भाग- II बम्बई

	निर्वाचन क्षेत्र जिसमें प्राथमिक चुनाव हुआ	*चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या*	*वे दल जिन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या*		
			कांग्रेस	*अनुसूचित जाति संघ*	*निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)*
1.	बम्बई नगर (उत्तर)	7	1	1	5
2.	बम्बई नगर (बाईकुला परेल)	6	1	1	4
3.	बम्बई नगर (पूर्व)	5	1	4	कोई नहीं
	जोड़	18	3	6	9

तालिका-II

भाग III - बंगाल

निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसने प्राथमिक चुनाव	कुल उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव में भाग लिया	वे दल जिन्होंने चुनाव लड़ा तथा प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या					
		कांग्रेस	अनुसूचित जाति संघ	हिन्दू महासभा	निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)	साम्यवादी	रेडिकल डेमोक्रेटिव पार्टी
1. हुगली	5	1	कोई नहीं	कोई नहीं	3	--	1
2. हावड़ा	7	3	कोई नहीं	कोई नहीं	4	--	--
3. नादिया	12	1	कोई नहीं	कोई नहीं	11	--	--
4. जेसोर	7	1	2	कोई नहीं	4	--	--
5. खुलना	11	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	11	--	--
6. दिनाजपुर	16	2	कोई नहीं	कोई नहीं	13	1	--
7. बोगरा	6	1	कोई नहीं	कोई नहीं	5	--	--
8. मेमनसिंग	7	1	कोई नहीं	कोई नहीं	6	--	--
9. फरीद्पुर	18	2	3	कोई नहीं	13	--	--
10. बाकरगंज	6	कोई नहीं	3	1	2	--	--
11. टिप्परा	5	1	कोई नहीं	कोई नहीं	4	--	--
कुल जोड़	100	13	8	1	76	1	1

तालिका-II

भाग- IV संयुक्त प्रांत

निर्वाचन क्षेत्र जिनमें प्राथमिक चुनाव लड़ा गया	*कुल उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव में भाग लिया*	*दल जिन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या*				
		कांग्रेस	*अनुसूचित जाति संघ*	*हरिजन लीग*	*हिन्दू महासभा*	*निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)*
आगरा नगर	11	1	5	1	1	3
इलाहाबाद नगर	6	1	4	कोई नहीं	कोई नहीं	3
अल्मोड़ा	8	3	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	3
जोड़	25	11	9	1	1	9

भाग- V मध्य प्रांत

निर्वाचन क्षेत्र जिनमें प्राथमिक चुनाव लड़ा गया	*कुल उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव में भाग लिया*	*दल जिन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या*			
		कांग्रेस	*अनुसूचित जाति संघ*	*हरिजन लीग*	*निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)*
नागर व सकोली	5	1	2	1	1
हिंगनघाट	6	1	2	1	2
भंडारा	5	1	3	1	कोई नहीं
यवतमाल	6	1	2	कोई नहीं	3
चिखाली	6	1	3	कोई नहीं	2
कुल जोड़	28	5	12	3	8

भाग- VI पंजाब

निर्वाचन क्षेत्र जिनमें प्राथमिक चुनाव लड़ा गया	*कुल उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव में भाग लिया*	*दल जिन्होंने चुनाव लड़ा और प्रत्येक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की संख्या*		
		कांग्रेस	*यूनियनिस्ट जाति संघ*	*निर्दलीय उम्मीदवार (स्वतंत्र)*
गुड़गांव	10	--	1	9
करनाल	10	1	--	9
अम्बाला	8	--	--	8
होशियारपुर	9	1	1	7
जालंधर	6	1	1	4
लुधियाना	10	1	--	9
लायलपुर	6	--	--	6
कुल जोड़	59	4	3	52

भाग- III

जिन दलों ने प्राथमिक चुनाव लड़ा, उन विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त मतों को प्रांतवार इस तालिका में दर्शाया गया है:

दल का नाम	निम्न प्रांतों में प्रत्येक दल द्वारा प्राप्त किए गए मत											
	मद्रास		बंबई		बंगाल		संयुक्त प्रांत		मध्य प्रांत		पंजाब	
	कुल	प्रति	कुल	प्रति	कुल	प्रति	कुल	प्रति	कुल	प्रति	कुल	प्रति
1. कांग्रेस	27838	33	5333	14	56848	32.7	4101	41.8	1131	10.7	82938	17.6
2. अनुसूचित जाति संघ	30199	36	28489	74	21129	12.2	3093	30.5	8685	82.8	NIL	.53
3. स्वतंत्र	4648	4.5	3814	10	83869	47	1773	18.8	551		24618	
4. हरिजन लीग	NIL		NIL		NIL		370		113		NIL	
5. हिन्दू महासभा	NIL		NIL		760		452		NIL		NIL	
8. यूनियनिस्ट	NIL		NIL		NIL		NIL		NIL		13521	
6. साम्यवादी	20814	25	NIL		10049	5.8	NIL		NIL		NIL	
कुल	83409		37586		172791		9789		10480		46337	

भाग- IV

समस्त भारत में प्राथमिक चुनावों में पड़े कुल मतों का विभाजन तथा कांग्रेस और गैर-कांग्रेस दलों के बीच उनका विभाजन

प्राथमिक चुनाव में भारत भर में पड़े	कांग्रेस दल के पक्ष में				गैर-कांग्रेस दलों के पक्ष में							
कुल मत	कांग्रेस	हरिजन लीग	कुल	प्रति	अनुसूचित जाति संघ	स्वतंत्र	हिन्दू महासभा	साम्य-वादी	यूनिय-निस्ट	रेडिकल डेमो-क्रेटिक पार्टी	कुल	प्रति.
359532	103449	483	103932	28	91595	119273	1212	30863	13521	136	255600	.72

भाग- V

उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने प्राथमिक चुनावों में, विभिन्न प्रांतों में सफलता प्राप्त की और उनके दल के अनुसार वर्गीकरण

दल का नाम	मद्रास	बम्बई	बंगाल	उ.प्र.	म.प्र.	पंजाब	कुल
1. कांग्रेस	10	3	12	4	5	4	38
2. अनुसूचित जाति संघ	24	5	6	5	11	कोई नहीं	51
3. स्वतंत्र	3	4	36	2	3	21	69
4. हिन्दू महासभा	कोई नहीं	कोई नहीं	1	1	1	---	3
5. हरिजन लीग	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	---	---
6. साम्यवादी	3	कोई नहीं	1	कोई नहीं	कोई नहीं	---	4
7. रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	---	---
8. यूनियनिस्ट	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	3	3
कुल	40	12	56	12	20	28	168

2

*मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल (केबिनेट मिशन) तथा अछूत

I

मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अछूतों की उपेक्षा कैसे की?

मंडिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपने 10 मई के बयान में भारत में राजनीतिक गतिरोध के समाधान के लिए अंतरिम तथा दीर्घकालीन प्रस्ताव किए। उनके प्रस्तावों का सबसे अधिक कष्टदायी तथा विस्मयकारक पहलू अछूतों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक तथा अलग घटक के रूप में मानने से इंकार करना था। आयोग ने अछूतों की इतनी अधिक पूर्णतया उपेक्षा की है कि उन्होंने अपने लम्बे वक्तव्य में उनका एक बार भी उल्लेख नहीं किया है। मंत्रिमंडलीय आयोग ने अछूतों की किस हद तक उपेक्षा की हैं, यह बात निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाएगी:–

(i) अछूतों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वे सिखों तथा मुसलमानों की तरह अपने प्रतिनिधियों को केन्द्रीय कार्यपालिका में मनोनीत कर सकें। वर्तमान अंतरिम सरकार में, उनके पास अनुसूचित जातियों के दो प्रतिनिधि हैं, उनमें से एक की भी अनुसूचित जातियों के प्रति कोई निष्ठा या दायित्व नहीं है। उनमें से एक कांग्रेस द्वारा नामित है तथा दूसरा मुस्लिम लींग द्वारा नामित है।

(ii) अंतरिम सरकार में अछूतों को प्रतिनिधित्व एक निश्चित कोटा में नहीं दिया गया जैसा कि मुसलमानों को दिया गया है। 1945 की शिमला कांफ्रेंस में इस बात पर सहमति हुई थी कि चौदह व्यक्तियों के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जातियों के कम से कम दो सदस्य होने चाहिए। 1945 तथा 1946 के बीच व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण है, यह मालूम नहीं।

(iii) उनको संविधान सभा में पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है।

II

* स्रोत: मुद्रित पुस्तिका–सं.

मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल (केबिनेट मिशन) का निर्णय महामहिम की सरकार की स्थापित नीति से दूर कैसे आया?

2. मंत्रिमंडलीय आयोग के निर्णय ने अछूतों के प्रति केवल एक गंभीर गलती ही नहीं की बल्कि यह उन सिद्धांतों से भी दूर चला गया जो महामहिम की सरकार का भारतीय राजनीति के संबंध में तथा अछूतों की स्थिति के संबंध में मार्ग–निर्देशन करते थे।

(i) 1920 से पहले, भारत के शासन में संवैधानिक परिवर्तन ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकार से तथा अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार किए थे। 1920 में ही पहली बार वह अवसर आया था जब ब्रिटिश सरकार ने भारत का संविधान भारतीयों के साथ परामर्श करके बनाने का निर्णय किया। तदुनसार एक गोलमेज कांफ्रेंस बुलाई गई, जिसमें भारतीयों को आमंत्रित किया गया। भारतीय प्रतिनिधियों में अछूतों के प्रतिनिधि थे जिन्हें कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से पृथक तथा स्वतंत्र रूप में, अलग से, आमंत्रित किया गया था।

(ii) गोलमेज कांफ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री गांधी ने, भारत के राष्ट्रीय जीवन में अछूतों को एक पृथक व अलग घटक/अंग के रूप में मान्यता देने का विरोध किया और यह दावा किया कि वे हिन्दुओं का भाग हैं और इसलिए वे पृथक प्रतिनिधित्व के हकदार नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने अपने परिनिर्णय द्वारा यह माना कि अछूत भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक घटक/अंग है और इसलिए वे उन्हीं सुरक्षा उपायों के हकदार हैं जिस प्रकार भारत के अन्य अल्पसंख्यक जैसे मुलसमान तथा भारतीय इसाई आदि हैं।

(iii) ब्रिटिश सरकार, जून, 1945 में हुई शिमला कांफ्रेंस में इस सिद्धांत पर जमी रही। उस कांफ्रेंस में आमंत्रित भारतीयों में एक प्रतिनिधि अछूतों का था जिसे कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से अलग तथा स्वतंत्र रूप में आमंत्रित किया गया था।

(iv) यह कहा जा सकता है कि संविधान सभा में, जो 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों का एक भाग थी, अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और इसलिए मंत्रिमंडलीय आयोग के वर्तमान प्रस्तावों में कोई अंतर नहीं किया गया है। इसका उत्तर यह है कि उनमें अंतर किया गया है। 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों में, यह बात नहीं है कि अकेले अछूतों को ही पृथक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तथ्य यह है कि संविधान सभा में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को पृथक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। परंतु मंत्रिमंडलीय आयोग की संविधान सभा के गठन में मुसलमानों तथा सिखों को पृथक मान्यता तथा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है जिसे अछूतों के लिए नकार दिया गया है। इस भेदभाव के कारण व इस गलती के कारण ही

अछूत शिकायत कर रहे हैं।

3. इस प्रकार, मंत्रिमंडलीय आयोग के प्रस्तावों की असमानता इस तथ्य में निहित है कि यह अछूतों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक घटक के रूप में मान्यता देने की नीति से अलग हट गया है और उनको पृथक मान्यता न देकर उनके साथ भेदभाव करता है जबकि मुसलमानों तथा सिखों को पृथक वर्ग के रूप में मान्यता देता है।

महामहिम की सरकार द्वारा अछूतों को दिए गए वचनों को मंत्रिमंडलीय आयोग के निर्णय किस प्रकार रद्द कर देते हैं?

4. मंत्रिमंडलीय आयोग द्वारा अछूतों को एक पृथक घटक के रूप में मान्यता न देना उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा उसकी ओर से दिए गए वचनों के प्रतिकूल है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय वचन नीचे दिए जा रहे हैं:-

(i) ''भारत की एकता के हित में, किसी संवैधानिक योजना में भारतीय रियासतों के शामिल करने की अनिवार्य आवश्यकता को हमें भूलना नहीं चाहिए।

मैं उनमें से केवल दो का-मुस्लिम अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जातियों का उल्लेख करना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों को विगत समय में दी गई कुछ गारंटियों हैं; यह तथ्य है कि उनकी स्थिति की रक्षा की जानी चाहिए और उनको दी गई गारंटियों का सम्मान किया जाना चाहिए।''

-लार्ड लिनलिथगो द्वारा 10 जनवरी, 1940 को ओरिएंट क्लब, बम्बई में दिए गए भाषण से उद्धरण।

(ii) ''ये दो मुख्य बातें हैं जो प्रकट हुई हैं। इन दो बातों के संबंध में महामहिम की सरकार अब मुझसे यह चाहती है कि मैं उनकी स्थिति को स्पष्ट करूं। पहली बात किसी संवैधानिक योजना के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में हैं..........। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह (महामहिम की सरकार) भारत की शांति तथा कल्याण के लिए अपने उत्तरदायित्व को किसी ऐसी शासन प्रणाली को हस्तांतरित करने का विचार नहीं कर सकती जिसके प्राधिकार व सत्ता को भारत के राष्ट्रीय जीवन में बड़े तथा शक्तिशाली घटकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया जाए, वह ऐसी सरकार के प्रति समर्पण करने के लिए भी ऐसे घटकों पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती।''

-लार्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त, 1940 को दिये गये भाषण से उद्धरण।

''कांग्रेस नेताओं ने.......... एक असाधारण संगठन, भारत में एक सबसे कुशल

राजनीतिक तंत्र, का निर्माण किया है। काश, केवल उनको सफलता मिल जाती.....। यदि कांग्रेस वास्तव में भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी मुख्य घटकों/अंगों के लिए बोल सकती, जैसा कि वह बोलने का दावा करती है, तब उनकी मांगे चाहे जितनी बड़ी होती, तब भी हमारी समस्या अनेक प्रकार से आज की अपेक्षा बहुत आसान हो जाती। यह सच है कि ब्रिटिश भारत में वह (कांग्रेस) संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अकेला दल है परंतु समस्त भारत के लिए बोलने के उसके दावे की वास्तविकता को भारत के जटिल राष्ट्रीय जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों द्वारा पूर्णतया अस्वीकार कर दिया है। ये अन्य लोग केवल स्वयं को संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक मानने के अपने अधिकार पर ही जोर नहीं देते बल्कि वे भारत की किसी भी भावी नीति में पृथक घटक के रूप में माने जाने का दावा भी करते हैं। इन घटकों में प्रमुख मुस्लिम समुदाय है। भौगोलिक निर्वाचन-क्षेत्रों में बहुमत द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान से उनका कोई मतलब नहीं। वे यह दावा करते हैं कि किसी भी संवैधानिक विचार विमर्श में, बहुमत की कार्यवाही के विरूद्ध उनके अधिकार को एक अलग अस्तित्व के रूप में माना जाए। यही बात उस बड़े घटक पर लागू होती है जिसे अनुसूचित जातियों के रूप में जाना जाता है। उसकी ओर से श्री गांधी के महत्वपूर्ण प्रयास के बावजूद, ये लोग यह महसूस करते हैं कि एक समुदाय के रूप में वे हिन्दू समुदाय से, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, बाहर हैं।''

-माननीय श्री एल.एस.एमरी.सेक्रेट्री ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, द्वारा 14 अगस्त, 1940 को हाउस ऑफ कामन्स में दिए गए भाषण से उद्धरण।

''इन समस्त कारणों को विस्तृत रूप में दोहराए बिना, मैं आपको यह स्मरण कराना चाहता हूं कि महामहिम की सरकार ने उस समय यह स्पष्ट किया था:-

(क) युद्ध के बाद संपूर्ण स्वतंत्रता का उनका प्रस्ताव एक ऐसे संविधान के निर्माण पर सशर्त रखा गया था जिसे भारत के राष्ट्रीय जीवन के मुख्य घटकों द्वारा स्वीकार किया जाए तथा महामहिम की सरकार के साथ आवश्यक संधि व्यवस्था की बातचीत द्वारा स्वीकृत हो।

(ख) युद्ध के दौरान, संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन करना असंभव है, जिसका यह अभिप्राय हो कि केवल ऐसी 'राष्ट्रीय सरकार' ही जैसी आपने सुझाई है, केन्द्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी बनाई जा सकती है।

इन शर्तों का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि दलित वर्गों के तथा भारतीय रियासतों के प्रति संधि दायित्वों तथा जातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करने के लिए कर्तव्य को पूरा करें।''

–लार्ड वेवल द्वारा श्री गांधी को 15 अगस्त, 1944 को लिखे गए पत्र से उद्धरण।

5. अछूतों को पृथक प्रतिनिधित्व न देने का मंत्रिमंडलीय आयोग का प्रस्ताव, संबंधित तथ्यों के ईमानदारी से परीक्षण करने के बाद उसका व्यक्तिगत व ईमानदार निर्णय पर पहुंचने का परिणाम नहीं था। इसके विपरीत, आयोग ने जो कुछ किया है वह श्री गांधी के पूर्वाग्रह का समर्थन करा है। श्री गांधी, अछूतों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक घटक के रूप में मान्यता देने के प्रबल विरोधी हैं। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में उनको पृथक मान्यता देने का विरोध किया। जब उन्हें यह पता चला कि उनके विरोध के बावजूद भी उनको श्री रेमजे मैक्डोनल्ड के साम्प्रदायिक परिनिर्णय द्वारा एक पृथक घटक के रूप में मान्यता दे दी गई है, तो उन्होंने धमकी दी कि यदि अछूतों की पृथक मान्यता को वापिस न लिया गया तो आमरण अनशन कर दूंगा। फिर 1945 में प्रथम शिमला सम्मेलन में श्री गांधी ने जब यह देखा कि महामहिम की सरकार ने अछूतों को पृथक मान्यता दे दी है, तो उन्होंने उसका विरोध किया। मंत्रिमंडलीय आयोग अपने प्रस्तावों को सफल बनाने के लिए उत्सुक था। ऐसा उस समय तक संभव नहीं था जब तक उसको श्री गांधी की स्वीकृति न मिलती। श्री गांधी ने अपनी कीमत मांगी और आयोग ने वह दे दी। वह कीमत थी अछूतों के पृथक राजनीतिक अस्तित्व का बलिदान करना। वास्तव में, इससे भी आगे जाकर यह कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडलीय आयोग के प्रस्तावों का जहां तक अल्पसंख्यक वर्गो से संबंध है, वे श्री गांधी के सूत्र का ही प्रतिरूप थे और कुछ नहीं, जिसके संबंध में उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की थी। श्री गांधी ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए वह केवल तीन समुदायों/सम्प्रदायों (1) हिन्दू, (2) मुसलमान तथा (3) सिखों को ही मान्यता देंगे। आयोग का सूत्र श्री गांधी के सूत्र की ही मात्र प्रतिलिपि है। इसका और अन्य स्पष्टीकरण नहीं है।

III

मंत्रिमंडलीय आयोग द्वारा अपने निर्णय के औचित्य में बताए गए आधार

6. अछूतों को एक पृथक घटक के रूप में न मानने के अपने निर्णय के औचित्य के लिए, मंत्रिमंडलीय आयोग ने प्रान्तीय विधान सभाओं के फरवरी, 1948 में हुए चुनावों के परिणामों पर निर्भर किया है। मंत्रिमंडलीय आयोग के प्रस्तावों पर संसद में 18 जुलाई, 1948 को हुए वादविवाद के दौरान, आयोग के सदस्यों ने निम्नलिखित बातें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है:–

(i) कि चुनाव में अछूतों के लिए आरक्षित सभी स्थानों को कांग्रेस ने जीता, इसलिए कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात की दृष्टि में, अछूतों को पृथक प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई औचित्य नहीं था।

(ii) कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का प्रभाव और मेरा अपना प्रभाव केवल बम्बई तथा मध्य प्रांत तक ही सीमित था।

इन आधारों की निरर्थकता

7. ये नितांत असंगत तर्क हैं और निकट से तथा ईमानदारी से विचार करने पर ये खरे नहीं उतरेंगे। प्रारंभ में ही, मंत्रिमंडलीय आयोग ने कांग्रेस के प्रतिनिधि स्वरूप का मूल्यांकन करने के लिए चुनाव के परिणामों को एक आधार के रूप मं अपनाने की भारी गलती की है। ऐसा करने में, आयोग ने निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा:-

(i) हिन्दू मतदाता तमाम युद्ध काल के दौरान, पूर्णतया ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे और यद्यपि उन्होंने युद्ध में काम किया, परंतु वह काम इच्छा से नहीं किया। कांग्रेस पार्टी, जो ब्रिटिश विरोधी थी और युद्ध-प्रयासों में असहयोगी रही थी, हिन्दू मतदाताओं की प्रीति-भाजन थी। अन्य दलों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को चुनाव में इसलिए हानि हुई थी क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे और युद्ध प्रयास में उन्होंने सहयोग किया था।

(ii) चुनाव के लिए निर्धारित तारीख से ठीक पहले, वायसराय तथा कमांडर-इन चीफ ने आई.एन.ए के व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। कांग्रेस ने आई.एन.ए. के व्यक्तियों का पक्ष लिया और उसे चुनाव का मुद्‌दा बनाया। यह मुकदमा मुख्य कारक था जिसने कांग्रेस के प्रभाव को बढ़ाया, जिसकी अवनति हो रही थी।

(iii) जिस मुद्‌दे पर चुनाव लड़ा गया, वह स्तवंत्रता तथा भारत छोड़ों था। भारत के भावी संविधान का स्वरूप कभी भी कोई मुद्‌दा नहीं था। यदि वह मुद्‌दा होता तो कांग्रेस को कभी भी वह बहुमत न मिलता जो उसने प्राप्त किया।

(iv) मंत्रिमंडलीय आयोग ने रिटर्निंग अफसरों तथा पोलिंग अफसरों के, जो कि सवर्ण हिन्दू थे, कांग्रेस का विरोध करने वाले अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के विरोधी रवैये को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने उनके नॉमिनेशन पेपर (नामजदगी पर्चे) अस्वीकार कर दिए और उनको मतपत्र जारी करने से इंकार कर दिया। मंत्रिमंडलीय आयोग ने आतंकवाद तथा धमकी की उस मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जो अछूत मतदाताओं को सवर्ण हिन्दुओं द्वारा इस आधार पर दी गई क्योंकि वे कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मत देने के लिए तैयारी नहीं थे। आगरा शहर में अछूतों के 40 घर जला

दिए गए। बम्बई में एक अछूत की हत्या कर दी गई और सैंकड़ों गांवों में मुफस्सल अछूत मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक नहीं जाने दिया गया। नागपुर में, एक पुलिस अधिकारी कांग्रेस का इतना अधिक हिमायती हो गया कि उसने दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) की अनुमति के बिना अछूत मतदाताओं को डराने के लिए अछूतों की एक भीड़ पर गोली चलाई। समस्त भारत में ऐसे असंख्य मामले हुए।

8. यदि मंत्रिमंडलीय आयोग इन परिस्थितियों को ध्यान में रखता तो यह महसूस करता कि चुनावों में कांग्रेस को सफलता केवल लाभकारी परिस्थितियों के कारण मिली। ऐसी परिस्थितियों में हुए चुनावों के परिणामों को संविधान सभा में अछूतों को पृथक प्रतिनिधित्व न देने के लिए औचित्य के रूप में नहीं मानना चाहिए था।

आयोग ने अपने निर्णय के लिए एक गलत मापदंड को कैसे अपनाया

9. आयोग द्वारा यह निर्णय करने के लिए कि कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं, तो मापदंड अपनाया गया वह यह था कि अंतिम चुनाव में कांग्रेस द्वारा अछूतों के लिए आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें जीती गई। यह मापदंड एक झूठा व गलत मापदंड था क्योंकि अंतिम चुनावों के परिणाम, अछूतों के नियंत्रण से बाहर हैं। पूना पेक्ट के अधीन, चुनावों का निर्धारण हिन्दू मतों से होता है। आयोग द्व ारा जिस सच्चे मापदंड को अपनाया जाना चाहिए था वह इस बात का पता लगाना था कि अछूतों ने किस प्रकार मतदान किया, कांग्रेस के पक्ष में उनके द्वारा कितने मत डाले गए और कांग्रेस के विरोध में उनके कितने मत गए। इसका निर्णय केवल प्राथमिक चुनावों के परिणामों से किया जा सकता है अंतिम चुनावों के परिणामों से नहीं, क्योंकि प्राथमिक चुनाव में केवल अछूत ही मतदान करते हैं। यदि प्राथमिक चुनावों के परिणामों को आधार माना जाए तो मंत्रिमंडलीय आयोग का निर्णय हास्यास्पद व निरर्थक था और तथ्यों के प्रतिकूल था क्योंकि प्राथमिक चुनाव में पड़े केवल 28 प्रतिशत मत ही कांग्रेस के पक्ष में तथा 72 प्रतिशत विरोध में डाले गए थे।

10. यह कहा जाता है कि यदि अछूत यह महसूस करते थे कि वे कांग्रेस में नहीं हैं तो उन्हें अपने लिए आरक्षित 151 सीटों में से प्रत्येक सीट के लिए प्राथमिक चुनाव कराना चाहिए था। वास्तव में, प्राथमिक चुनाव समस्त भारत में केवल 43 सीटों के लिए थे। अछूतों ने शेष 108 सीटों के लिए प्राथमिक चुनाव के लिए जोर क्यों नहीं दिया? यह तर्क निम्नलिखित बातों के कारण निरर्थक हैं:-

(i) प्राथमिक चुनाव अनिवार्य नहीं होता, यह केवल उसी स्थिति में अनिवार्य होता है जब एक सीट के लिए लड़ने वाले चार से अधिक उम्मीदवार हों। यह महसूस नहीं किया गया है कि जो व्यक्ति प्राथमिक चुनाव के लिए खड़ा होता है उसके

लिए अंतिम चुनाव के लिए खड़ा होना भी आवश्यक होता है। अछूतों के लिए दोहरे चुनाव के खर्च के भार को वहन करने की अक्षमता के कारण प्राथमिक चुनाव के लिए अछूत समुदायों के सदस्यों को खड़ा करना बहुत कठिन होता है। इस तथ्य को कि केवल 43 सीटों के लिए ही चुनाव हुए, इस निष्कर्ष का आधार नहीं बनाया जा सकता कि अछूत कांग्रेस से पृथक होने का दावा नहीं करते।

(ii) कांग्रेस से ही यह पूछा जाना चाहिए कि उसने प्राथमिक चुनावों में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चार उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किए। क्योंकि यदि कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है तो उसे प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस टिकट पर चार उम्मीदवारों से अधिक उम्मीदवार खड़े करने चाहिए थे और 151 चुनाव क्षेत्रों में से प्रत्येक में प्राथमिक चुनाव कराने चाहिए थे और अंतिम चुनाव में आने से अन्य प्रत्येक दल को बाहर कर देना चाहिए था। कांग्रेस ने यह नहीं किया। इसके विपरीत 43 प्राथमिक चुनावों में भी कांग्रेस ने प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार खड़ा किया क्योंकि उसका प्रथम चार के अंदर आने और हिन्दू मतों से अंतिम चुनाव में जीतने की कम संभावना थी। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस यह जानती थी कि अछूतों का कांग्रेस में विश्वास नहीं था।

(iii) केवल 1937 में ही अछूतों को पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला था और 1937 के बाद ही अछूतों ने अपने आपको चुनाव कराने के लिए संगठित करना शुरू किया था। कांग्रेस चुनावों में अनुसूचित जाति संघ से बढ़कर सिद्ध हुई, केवल इस बात से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत है कि अछूत कांग्रेस के साथ हैं। मंत्रिमंडलीय आयोग को चुनावों के परिणामों से अनुसूचित जाति संघ के विपरीत कोई निष्कर्ष निकालते समय चुनाव लड़ने में अनुसूचित जाति संघ तथा कांग्रेस की असमान शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए था।

मंत्रिमंडलीय आयोग द्वारा अपने निर्णयों के औचित्य में बताए गए अन्य आधारों की निरर्थकता

11. मंत्रिमंडलीय आयोग के सदस्यों ने तर्क दिया कि डाक्टर अम्बेडकर का समर्थन अनुसूचित जातियों में केवल बम्बई प्रेसिडेंसी तथा मध्य प्रांत तक ही सीमित था। इस बयान का कोई आधार नहीं है। अनुसूचित जाति संघ अन्य प्रांतों में भी कार्य कर रहा है और उसने उसमें उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। वह सफलता यदि अधिक बड़ी नहीं तो बम्बई तथा मध्य प्रांत के समान ही बड़ी है। इस बयान को देते समय, आयोग ने उस एकाकी विजय को ध्यान में नहीं रखा है जो डा.अम्बेडकर ने संविधान सभा के चुनाव में प्राप्त की थी। वह बंगाल प्रांत विधान

सभा से उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। जहां तक सामान्य सीटों का संबंध है, चुनाव में वह सबसे ऊपर रहे और कांग्रेस पार्टी के नेता, शरत चन्द्र बोस को भी हरा दिया। यदि डा. अम्बेडकर का बम्बई तथा मध्य प्रांत से बाहर प्रभाव न होता, तो वह बंगाल से कैसे चुने जाते? इसके अतिरिक्त, यह भी याद रखना चाहिए कि प्रांतीय सभा में 30 सीट हैं। 30 में से 28 पर कांग्रेस टिकट वाले उम्मीदवार चुने गए। जो दो उम्मीदवार उनके दल के थे उनमें से एक चुनाव के दिन बीमार पड़ गया। फिर भी, डा. अम्बेडकर चुनाव में शीर्ष पर रहे। यदि बंगाल के अनुसूचित जाति सदस्य जो कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे, उनके पक्ष में मत न देते तो यह नहीं हो सकता था। यह भी याद रखना चाहिए कि बंगाल में अनुसूचित जातियों का संबंध उस समुदाय की जाति से नहीं है जिससे डा. अम्बेडकर संबंधित है। इससे यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के वे सदस्य भी जिनका संबंध कांग्रेस से है, और जिनका संबंध उनके समुदाय/जाति से नहीं है, उन्हें अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में मानते हैं। यह बात आयोग के सदस्यों द्वारा दिए गए बयान को असत्य प्रमाणित करती है।

12. मंत्रिमंडलीय आयोग के सदस्यों ने तर्क दिया कि संविधान सभा के गठन में एकरूपता को बनाए रखने के लिए अछूतों के मामले में उनको अंतिम चुनावों के परिणामों को अपनाना पड़ा, जैसा कि वे अन्य समुदायों/जातियों के मामले में कर चुके थे। यह तर्क एक विशेष प्रकार की वकालत करने का रूप है जिसमें कोई दम नहीं है। आयोग जानता था कि सिखों, मुसलमानों तथा भारतीय ईसाइयों का अंतिम चुनाव, पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा हुआ था। अनुसूचित जातियों का अंतिम चुनाव, पृथम निर्वाचकों द्वारा नहीं हुआ था। फलतः, एकरूपता के लिए, आयोग को संविधान सभा में अछूतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्राथमिक चुनावों के परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए था। आयोग ऐसा करने के लिए बाध्य था क्योंकि वादविवाद में स्टेफोर्ड क्रिप्स ने यह स्वीकार किया था कि अछूतों के चुनाव की प्रणाली जो पूना समझौते द्वारा निर्धारित की गई थी, असमान थी। आयोग ने अपने निर्णय के लिए फिर उसे क्यों अपनाया?

IV

अछूतों को आसन्न खतरे से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है?

13. मंत्रिमंडलीय आयोग में संविधान सभा के गठन द्वारा अछूतों को पूर्णतया उन सवर्ण हिन्दुओं की दया पर छोड़ दिया है जिनका इसमें पूर्ण बहुमत है। अछूत यह चाहते हैं कि महामहिम की सरकार साम्प्रदायिक समझौते द्वारा उनको दिए गए पृथक निर्वाचन मंडल की पुनःव्यवस्था की जाए तथा पूना पेक्ट का निराकरण किया जाए

जो कि श्री गांधी द्वारा उनके ऊपर अपने आमरण अनशन से बलात लादा गया था। हिन्दू इसका विरोध अवश्य करेंगे। इस आलोचना के उत्तर में कि उनको हिन्दू बहुमत की दया पर छोड़ दिया गया है, मंत्रिमंडलीय आयोग, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के साधन के रूप में, अल्पसंख्यकों पर एक सलाहकार समिति बनाने के अपने प्रस्ताव का प्रचार करता रहा है। जो भी व्यक्ति सलाहकार समिति की शक्तियों तथा गठन की जांच करेगा, पायेगा कि यह समिति बेकार से भी बदतर है।

(i) वर्तमान रचना में यह संविधान सभा का निस्तेज प्रतिबिम्ब है। हिन्दुओं का इस पर भी संविधान सभा की तरह ही अधिकार होगा।

(ii) यह तथ्य कि संविधान सभा में तथा कांग्रेस की सद्भावना द्वारा निर्वाचित सलाहकार समिति में कुछ संख्या अछूत सदस्यों की होगी, उनके लिए कुछ भी सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान सभा तथा सलाहकार समिति के अछूत सदस्य केवल हिन्दुओं की ही कठपुतली हैं।

(iii) सलाहकार समिति द्वारा अल्पसंख्यकों की रक्षा से संबंधित प्रश्नों पर निर्णयों को मात्र बहुमत पर ही छोड़ दिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि निर्णय सवर्ण हिन्दुओं द्वारा लिया जाएगा और उसे अल्पसंख्यकों पर लादा जाएगा।

(iv) सलाहकार समिति के निर्णय भले अनुकूल ही हों, पर वे सिफारिश ही होंगे, उससे अधिक नहीं। वे संविधान सभा पर बाध्यकारी नहीं हैं।

14. सलाहकार समिति की युक्ति, इस प्रकार से, यदि एक छल नहीं तो एक कपट है और इस पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए हिन्दू बहुमत द्वारा जो शरारत की जाती है, वह उसका विरोध करेगी। हिन्दु बहुमत की एकमात्र अछूतों के प्रति ही दुर्भावना है और यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अछूतों को उस राजनीतिक सुरक्षा से वंचित रखने का निश्चय कर लिया है जो कि बहुमत के कारण मिलनी चाहिए। यह बात 25 जून, 1946 को कांग्रेस द्वारा सम्बोधित पत्र (पत्राचार 6861 में मद 21) से प्रकट होती है। उस पत्र में कांग्रेस ने यह पक्ष लिया है कि अछूत अल्पसंख्यक नहीं हैं। यह एक विस्मयकारक तर्क है। क्योंकि ''हरिजन'' नामक 21 अक्तूबर, 1939 के साप्ताहिक पत्र में श्री गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारत में अछूत ही केवल वास्तविक अल्पसंख्यक हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने पूर्ण कलाबाजी की है। अब कांग्रेस द्वारा लिया गया आधार, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित सिद्धांतों के विपरीत है जो उनको अल्पसंख्यक मानते हैं। इस कलाबाजी द्वारा क्या शरारत अपेक्षित है, इसे जानना संभव नहीं है। यदि कांग्रेस अछूतों को यह नहीं मानती कि वे अछूत हैं, तो यह संभव है कि संविधान

सभा उनको वह सुरक्षा प्रदान करने से इंकार कर दे जो वह अन्य अल्पसंख्यकों को देने के लिए सहमत है। इसलिए सलाहकार समिति अछूतों को खतरे से नहीं बचा सकती।

15. अतएव संसद को यह देखने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए कि अछूतों की स्थिति जोखिम में न पड़ जाए। संसद को यह केवल इस कारण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने वचन दिए हैं, बल्कि इस तथ्य के कारण भी करना चाहिए कि संविधान सभा के वादविवाद की पुष्टि नहीं की जाती।

16. संसद क्या कर सकती है? अछूत यह चाहेंगे कि अंतरिम सरकार के संबंध में उनके साथ जो गलती की गई है उसका सुधार किया जाए। वे अपना कोटा निश्चित करना चाहेंगे। वे यह चाहेंगे कि कार्यकारिणी परिषद में उनके प्रतिनिधि नामित किए जाएं। ये अधिकार कोई नए दावे नहीं हैं। वे अछूतों के प्रदत्त अधिकार हैं जिन्हें 1945 की शिमला कांफ्रेंस में मान्यता दी गई थी। वे यह महसूस करते हैं कि इस गलती को सुधारना अब कठिन हो सकता है, परंतु यदि परिस्थितियां बदलें और सरकार का पुनर्गठन हो तो वे यह आशा करते हैं कि संसद इस गलती को ठीक करने के लिए महामहिम की सरकार पर दबाव डाले।

17. अछूतों को उनकी राजनीतिक सुरक्षा से वंचित रखने के लिए दृढ़ संकल्प सवर्ण हिन्दुओं के बहुमत व प्रभाव वाली संविधान सभा से अछूतों को पहुंची हानि व क्षति से बचाने के लिए काफी किया जा सकता है। इस हानि को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

(i) महामहिम की सरकार पर यह दबाव डाला जाए कि वह यह घोषणा करे कि वह अछूतों को अल्पसंख्यक मानती है।

कांग्रेस ने अपने 25 जून, 1946 के पत्र (पृष्ठ 6861 में मद 21) में जो आधार/पक्ष लिया है उसकी दृष्टि से यह आवश्यक है। यह इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि कांग्रेस को वायसराय ने, दिनांक 27 जून, 1946 के उत्तर में (पत्राचार संख्या 6861 में मद 38) कांग्रेस के इस विवाद को कि अछूत अल्पसंख्यक नहीं हैं निश्चित रूप में नकारने में टालमटोल की है। यदि सरकार पर घोषणा करने के लिए अब दबाव नहीं डाला गया तो अछूतों को दो प्रकार से हानि होगी।

(क) हिन्दुओं के प्रभुत्व वाली संविधान सभा उनको अल्पसंख्यक का अधिकार देने से इनकार कर देगी।

(ख) महामहिम की सरकार इस आधार पर उनके बचाव के लिए आगे न आने को स्वतंत्र होगी कि वह अछूतों को अल्पसंख्यक मानने के लिए वचनबद्ध नहीं है।

(ii) यह घोषण करने के लिए दबाव डाला जाए कि क्या महामहिम की सरकार एक व्यवस्था तंत्र स्थापित करेगी; यदि हां तो किस किस्म का जो इस बात की जांच करे कि क्या संविधान सभा द्वारा निर्मित अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षाएं पर्याप्त तथा वास्तविक हैं या नहीं।

(क) दिनांक 25 मई, 1946 के अपने पूरक विवरण (बयान) (पत्राचार 6835) में मंत्रिमंडलीय आयोग यह कहता है:-

"जब संविधान सभा अपना श्रम पूरा कर लेगी, महामहिम की सरकार संसद से ऐसे कार्यवाही की सिफारिश करेगी जो भारत की जनता की प्रभुसत्ता के लिए आवश्यक हो, परंतु केवल दो मामलों के अधीन, जिनका उल्लेख वक्तव्य में है और जिनके विषय में हमारा विश्वास है कि विवादास्पद नहीं हैं, अर्थात, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था (वक्तव्य का पैरा 20) तथा सत्ता-हस्तांतरण से उत्पन्न मामलों को शामिल करने के लिए महामहिम की सरकार के साथ संधि करने की इच्छा (वक्तव्य का पैरा 22)"

इस पैरा के पीछे का विचार बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। महामहिम की सरकार पर इस बात को स्पष्ट करने के लिए दबाव डाला जाए कि उनकी मंशा क्या है।?

(ख) यदि "मामलों के अधीन" शब्दों का अर्थ यह है कि महामहिम की सरकार अपने पास यह अधिकार रखती है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षाओं की वह जांच करने का अधिकार रखती है ताकि यह पता चल सके कि क्या वे पर्याप्त तथा वास्तविक हैं, तो महामहिम की सरकार पर यह दबाव देना आवश्यक है कि वह यह बताए कि ऐसी जांच के लिए उसका क्या तंत्र बनाने का प्रस्ताव है। अल्पसंख्यक समुदायों से साक्षियों की जांच करने के लिए एक शक्ति सम्पन्न संयुक्त संसदीय समिति का तंत्र सबसे उपयुक्त होगा। इसके लिए एक पूर्वोदाहरण है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 बन रहा था तो एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई थी। संविधान सभा की रिपोर्ट पर कार्यवाही में पूर्वोदाहरण का अनुसरण करने में कोई गलती नहीं होगी।

(iii) महामहिम की सरकार पर यह दबाव डाला जाए कि वह यह घोषणा करे कि क्या वह संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान के लिए आग्रह करेगी जिसमें भावी भारतीय विधायिका द्वारा मात्र बहुमत से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को नष्ट करने की शक्ति को सीमित करने वाला अनुच्छेद हो।

(क) न तो 16 मई, 1946 के मंत्रिमंडलीय आयोग के प्रथम वक्तव्य में और न 25 मई, 1946 के पूरक विवरण में, स्वतंत्र भारत की विधायिका के विरूद्ध व्यवस्था करने, संविधान को बदलने तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद को रद्द

करने की बात है। संसद में सुरक्षा की शुरूआत करने का कोई लाभ नहीं है, यदि इन सुरक्षाओं को भारतीय विधायिका द्वारा नष्ट किया जा सकता हो। ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध एकमात्र रक्षोपाय यह आश्वस्त करना है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान में ऐसे अनुच्छेद हों जो भारतीय विधायिका की सांविधिक शक्तियों पर सीमा व प्रतिबंध लगाते हों और अल्पसंख्यक रक्षोपायों में परिवर्तन करने से पहले पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तों को निर्धारित करते हों। ऐसी व्यवस्था व प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के संविधान में विद्यमान हैं।

(ख) यद्यपि यह अल्पसंख्यकों के लिए अत्यावश्यक महत्व का मामला है, फिर भी मंत्रिमंडलीय आयोग ने इस विषय पर कोई विचार नहीं किया है। महामहिम की सरकार इस प्रश्न के संबंध में क्या करेगी इस बात को बताने के लिए इस पर दबाव डालना आवश्यक है।

–बी.आर. अम्बेडकर

अनुक्रमणिका

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
DR. AMBEDKAR FOUNDATION

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

☎ 23320571
23320589
23320576
FAX : 23320582

निदेशक
DIRECTOR

15, जनपथ,
15, JANPATH
नई दिल्ली - 110001
NEW DELHI-110001

दिनांक – 31.10.2019

रियायत नीति (Discount Policy)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले के नियमों के अनुसार CWBA वॉल्यूम के संबंध में रियायत नीति (Discount Policy) जारी रखें। तदनुसार, CWBA इंग्लिश वॉल्यूम (डिलक्स संस्करण–हार्ड बाउंड) के एक पूर्ण सेट की कीमत और CWBA हिंदी वॉल्यूम (लोकप्रिय संस्करण–पेपर बाउंड) के एक पूरे सेट की कीमत निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	सीडब्ल्यूबीए सेट	रियायती मूल्य प्रति सेट
	अंग्रेजी सेट (डिलक्स संस्करण) (वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 17)– 20 पुस्तकें।	रू 2,250/–
	हिंदी सेट (लोकप्रिय संस्करण) (खंड 1 से खंड 40 तक)– 40 पुस्तकें।	रू 1073/–

2. एक से अधिक सेट के खरीदारों को सेट की मूल लागत (Original Rates) यानी रू 3,000/–(अंग्रेजी के लिए) और रू 1,430/–(हिंदी के लिए) पर छूट मिलेगी जो कि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विशेष	मूल लागत पर छूट का प्रतिशत
	रू 1000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	10%
	रू 1001–10,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	25%
	रू 10,001–50,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	33.3%
	रू 50,001–2,00,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	40%
	रू 2,00,000/– से ऊपर की पुस्तकों की खरीद पर	45%

3. इच्छुक खरीदार प्रतिष्ठान की वेबसाइट : www.ambedkarfoundation.nic.in पर विवरण के लिए जा सकते हैं। संबंधित CWBA अधिकारी / पीआरओ को स्पष्टीकरण के लिए दूरभाष नंबर 011–23320588, पर कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

ISBN (सेट) : 978-93-5109-149-3

रियायत नीति के अनुसार

सामान्य (पेपरबैक) खंड 01-40

के 1 सेट का मूल्य : ₹ 1073/-

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

15, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

फोन : 011–23320571

जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588

वेबसाइट : http://drambedkarwritings.gov.in

ईमेल : cwbadaf17@gmail.com